

ନବରୁଚନା

NAV RACHNA

एक समाजशास्त्रीय शोध पत्रिका

वर्ष 1, अंक 2, दिस. 2015

A GREFI PUBLICATION

नवरचना NAVRACHNA

वर्ष 1, अंक 2, दिस. 2015

सम्पादक प्रोफेसर वी. पी. सिंह

सह-सम्पादक
प्रोफेसर राजेश मिश्र
प्रोफेसर प्रहलाद मिश्र
प्रोफेसर अरविन्द चौहान
प्रोफेसर परवेज अहमद अब्बासी

प्रबन्ध सम्पादक
डा. पंकज कुमार सिंह
डा. श्रीपाल चौहान
डा. राजाराम सिंह
डा. मन्जू गोयल

पुस्तक-समीक्षा सम्पादक डा. अनूप कुमार सिंह

हिन्दी भाषा सम्पादक
डा. सूर्य नारायण सिंह प्रो. सत्यपाल सिंह
डा. रचना रंजन डा. सुप्रिया सिंह

सम्पादकीय सलाहकार परिषद

प्रो. योगेन्द्र सिंह, दिल्ली
प्रो. हरीश दोषी, सूरत
प्रो. सुरजन सिंह शर्मा, साहिबाबाद
प्रो. जैनेन्द्र कुमार दोषी, उदयपुर
प्रो. आनन्द कुमार, दिल्ली
प्रो. एस.बी. सिंह, नोएडा
प्रो. रणविन्दर सिंह सन्धू, अमृतसर
प्रो. कामेश्वर चौधरी, लखनऊ
प्रो. आर. शंकर, त्रिचुरापल्ली
प्रो. रघुनन्दन शर्मा, पटना
प्रो. आमा चौहान, जम्मू
प्रो. राजेश गिल, चंडीगढ़
प्रो. अनीसा शफी, श्रीनगर
प्रो. ज्ञान प्रकाश पांडे, शिलचर
प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत, सागर
प्रो. मौहम्मद सलीम, वाराणसी
प्रो. जगदीश कुमार पुण्डीर, मेरठ
प्रो. प्रदीप सिंह चूडावत, बडोदरा
प्रो. ए. पी. सिंह, वाराणसी
प्रो. खजान सिंह सांगवान, रोहतक

प्रो. ज्वाला प्रसाद पचौरी, श्रीनगर
प्रो. कमला गणेश, मुंबई
प्रो. किरनप्रीत कौर, चंडीगढ़
प्रो. आर. जी. सिंह, भोपाल
प्रो. आर. डी. मोर्य, महू
प्रो. विपुल सोमानी, सूरत
प्रो. जे. सी. पटेल, अहमदाबाद
प्रो. जय प्रकाश त्रिवेदी, आनन्द
प्रो. हेमीक्षा राव, राजकोट
प्रो. जे. पी. सिंह, पटना
प्रो. भगवान सिंह विष्ट, नैनीताल
प्रो. मनजीत चर्तुवेदी, वाराणसी
प्रो. रवि प्रकाश पांडे, वाराणसी
प्रो. तेज मल दक, उदयपुर
प्रो. सतीश कुमार शर्मा, शिमला
प्रो. रशिम जैन, जयपुर
प्रो. अनिल भार्गव, जयपुर
प्रो. मनीष कुमार वर्मा, लखनऊ
डा. भगवती प्रसाद बडोला, धर्मशाला
डा. दिवाकर सिंह राजपूत, सागर
डा. विनीता सिंह, रांची
डा. स्मिता सुरेश अवाचार, ओरंगाबाद
डा. पद्मा रानी, मणिपाल
डा. अंजुला गुप्ता, मेरठ
डा. राज कुमार कायस्थ, शिमला
डा. नीना रोजी केलहन, अमृतसर
डा. मौ. अकरम, अलीगढ़
डा. वाई. एस. भदौरिया, लखनऊ
डा. विशेष कुमार गुप्ता, मुरादाबाद
डा. एम. एन. सिंह, इलाहाबाद
डा. रविन्द्र बंसल, बरेली
डा. महेश शुक्ला, रीवा
डा. मनु गौराहा, उज्जैन
डा. लता कुमार, मेरठ
डा. मानवेन्द्र प्रताप सिंह, गोरखपुर
डा. अच्यूत खान, खालियर
डा. आशीष सक्सेना, इलाहाबाद
डा. इति तिवारी, इलाहाबाद
डा. प्रमोद कुमार शर्मा, रायपुर
डा. सर्वेश दत्त त्रिपाठी, दिल्ली

नवरचना NAVRACHNA

एक समाजशास्त्रीय शोध पत्रिका

वर्ष १

अंक २

दिसम्बर 2015

अनुक्रमणिका

शोध लेख

गांव और नगर के बदलते आयाम और प्रशासकीय व्यवस्थाएँ 3
ब्रजराज चौहान

विकास का आधुनिकतावादी सिद्धान्त 6
वीरेन्द्र पाल सिंह व पंकज कुमार सिंह

भारतीय सामाजिक संस्तरण : एक समग्रवादी व्याख्या 37
श्रीपाल चौहान

उत्तर प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की कार्यदशाएं व सफलता 46
मधु सिसौदिया

पुस्तक समीक्षा

लैचनर, फ्रेंक जे० एण्ड जॉन बॉली (सम्पादित) 2004: दी ग्लोबलाईजेशन रीडर,
ब्लैकवैल पब्लिशिंग लिमिटेड, पृ. xvi, 454। 61

आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiplus.org/navrachna
वर्ष 1, अंक 2, दिसम्बर 2015, प. 3–5

गांव और नगर के बदलते आयाम और प्रशासकीय व्यवस्थायें

ब्रजराज चौहान*

प्रशासन व जनता के बीच पारस्परिक सम्बन्धों की निकटता या दूरी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि जनता के जीवन क्रम की परिधियां प्रशासनिक व्यवस्था की परिधियों से कितना मेल खाती है। प्रश्न सामाजिक जीवन और प्रशासनिक इकाइयों के समवर्ती होने का है। बहुत कुछ इसी आधार पर पंचायती राज की विभिन्न इकाइयों— ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लाक समिति— के निर्धारण होते रहे हैं और कई बार उन्हें समवेत बनाने के पुनः निर्धारण के प्रयास भी। ऐसी प्रक्रिया में सामंजस्य स्थापित हो भी जाता है, और कई बार विषमताएं भी उजागर होती हैं, और यह क्रम चलता रहता है। सामुदायिक विकास खण्ड का निर्माण बड़े आकार से हुआ, तत्पश्चात उसमें स्वतन्त्र इकाईयां बनीं, और कुछ राज्यों में जिला स्तर पर अधिकार दिए गये। योजना आयोग में भी “क्षेत्रीय समस्याओं” के समाधान के लिये गांव से अधिक व्यापक व जिले से छोटे आकार को बल दिया गया। आधार-भूत विचार था कि कुछ सुविधाएं हर गांव में उपलब्ध नहीं करायी जा सकती— अतः कुछ ग्राम समूहों में उनका नियोजन हो : उच्च माध्यमिक शालाएं, औषधालय, व्यापार मंडी इसके करिपय उदाहरण हैं। सिंचाई के मध्यम दर्जे के साधन भी इसमें आते हैं। उक्त सभी व्यवस्थाएं ग्रामीण जीवन को केन्द्र मानकर बनाई गयी हैं, और इनके पीछे आधार सम्भवतः ग्रामीण विकास को ग्रामीण जीवन की परिधि के निकटतम लाना रहा है।

ग्रामीण जीवन के विगत 10 वर्षों के अध्ययनों में एक नये आयाम को उजागर किया जाने लगा है। समाज-विज्ञान में ग्रामीण व शहरी समाजों की विषमताओं व अंतरों को बिन्दु-वार व्यक्त करने के स्थान पर अब ग्रामीण-शहरी सम्बन्धों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। यूनेस्को में इस बारे में विभिन्न राष्ट्रों में ऐसे अध्ययन किये गये— जैसे बंगकाक में गांवों से छः महीने के लिये युवक चले आते हैं, टैक्सी चालक बन जाते हैं, फिर पर्याप्त धन कमा कर लौट जाते हैं; अरब देशों में ग्रामीण व्यक्ति तेल के कारखानों की ओर जाते हैं और उनका प्रभाव शेष ग्राम पर पड़ता है। मैक्रिस्को नगर तो बढ़ता-बढ़ता कई ग्रामों को आत्मसात कर चुका है; और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों में गांवों से राजधानी की ओर इतना पलायन हो रहा है कि देश का प्रमुख नगर झुग्गी-झोपड़ियों के अनुरूप शैन्टी कस्बों से घिर गया है; और उस नगर में संचालित आन्दोलन शासन सत्ता को हिला भी सकते हैं। भारत में कलकत्ता व मुम्बई जैसे नगर इन दुविधाओं के बीच हैं ही, दिल्ली भी अब पीछे नहीं रहा। इन सभी परिस्थितियों के बीच गांवों को अधिक आकर्षक

*अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र.।

तथा छोटे नगरों को विकसित सुविधाएं प्रदान करने की बात चल पड़ी है। अब गांव व नगर के बदलते हुए सम्बन्धों को समझना विचार व आयोजन को नया आधार प्रदान कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मेरठ क्षेत्र के अध्ययनों में समाज विज्ञान में इस दिशा में कुछ उल्लेखनीय कार्य हुआ है। नगर व कस्बों और गांवों में इस्लाम धर्म के अनुयायियों में दो समूहों का अध्ययन हम लोगों को यह सोचने में सहायक हुआ कि दूध व सब्जी का उत्पादन केन्द्र ग्रामीण है जबकि इनकी खपत नगरों में है। ग्रामीणों को कम अध्ययन के बाबजूद भी नगर में स्थित बाजार से सम्पर्क करना है, यातायात का प्रबन्ध उन्हें अपने ट्रैक्टरों, मोटर साइकिल, टैम्पो व बस से करना है। उन्हें ज्ञात है कि होली के एक पखवाड़े पहले ही मावा (खोया) दिल्ली पहुंचाना है, और समय पर सजियों व आलू जैसी खराब होने वाली उत्पादक वस्तुओं को पास के नगर में कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचा देना है। भूमि का क्रय-विक्रय भी होता रहता है अतः (निकट के नगर/कस्बे में स्थित) तहसील भी जाना है और आपसी-खटपट में थाने व कचहरी तक। सरकारी औषधालय व मेरठ का मेडिकल कालेज बड़ी संख्या में मरीजों को भर्ती करता है। कपड़ा बुनने वाले समूह के व्यक्ति सूत शहर से लाते हैं और तैयार कपड़ा निकट के कस्बों व नगर में आढ़तियों की दुकानों पर ले जाते हैं, जिनका काम ग्राम व बड़े नगरों व अन्य राज्यों के खरीदारों के बीच सम्पर्क बैठाना, भाव तय करना और लेन-देन की समय-सीमा निर्धारण कर गारंटी देना भी है। दूसरी ओर गांव से आये कारीगर नगरों व बाजार की नई पसन्द व चलन से अभ्यस्त होते हैं। जब भी राजनेताओं का सहयोग मिला गांव से बस चलवा दी, कभी औपचारिक रूप से व कभी वैसे ही; और राज्य की राजधानी जाकर बिजली गांव तक पहुंचवायी; इसके बाद सूरत से मेरठ व फिर कस्बों व गांवों तक नाइलोन के धागे पर काम करने की कुशलता प्राप्त की, बिजली आने पर हथ-करघा के स्थान पर पावरलूम से उत्पादन होने लगा। ग्राम-नगर के सम्पर्क को सुविधाजनक बनाने में एक उल्लेखनीय प्रयास उस समय किया गया जब श्री चेन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री थे। अपने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हम लोगों ने हैदराबाद के निकट प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे के अध्ययन वाले गांव शामीरपेट देखने का निर्णय किया। पता चला कि वहां “कार्गो-बस” जायेगी। यह एक नया शब्द था— देखा तो बस के दो भाग थे — आगे का आधा भाग बैठने के लिये सीटों वाला था, पीछे वाले भाग में खिड़की के सहारे तो सीटें थीं परन्तु बीच का भाग खाली था। उसमें ग्रामीण यात्री अगला सामान रख कर लाते और ले जाते थे। राजकीय बसों में यह स्वरूप बड़ा आकर्षक तो लगा ही, पर यह भी आभास हुआ कि ग्रामीण-नगरीय सम्पर्क को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रशासन की पहल पर नये विचार भी क्रियान्वित हो सकते हैं। इन सम्पर्कों का विस्तार से अध्ययन किया गया है— गुजरात में अमूल डेरी के सम्बन्ध में व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नेतृत्व के सम्बन्ध में। अति संक्षेप में निष्कर्ष थे—

- गांव के नेता पद को प्राप्त किये व उम्मीदवारी लिये व्यक्ति महीने में 7 से 12 दिन नगरों में लोगों का काम करवाने जाते हैं;
- अनुसूचित जाति के नेता ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय वातावरण से प्रेरणा व मान्यता प्राप्त करते हैं;
- अब ग्रामीण नेतृत्व को वे व्यक्ति ही निभा सकते हैं जिनकी एक टांग नगर में हो, जिनकी अगली पीढ़ी भी नगर का अनुभव करने लगी हो;

- जो लोग सरकारी और गैर-सरकारी नगरीय दफतरों के सलीकों व तौर-तरीकों से वाकिफ हों और जिसकी पिछली पीढ़ी की जड़ें गांव में मजबूती से जमी हों।
- अब ग्रामीण सामाजिक जीवन का एक बड़ा भाग गांव में व दूसरा नगर में व्यतीत होता है। इसी प्रकार नगरों में गांवों से जाकर लोग बसने लगे हैं;
- और नगर अपने लिए कच्चा माल, मजदूर, व जीवन की विविध आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं; अपनी सीमाओं को बढ़ाकर गांवों का अपने अन्दर समावेश कर रहे हैं (राजस्थान में अलवर व जोधपुर नगरों में मालियों का उदाहरण उल्लेखनीय हैं);
- कई ग्रामीण तो नगर क्षेत्र में अपना दूसरा निवास बनाने लगे हैं।

जीवन क्रम की उक्त गतिविधियों के बीच (जिनके उदाहरण अनेकों और भी बताये जा सकते हैं) प्रश्न यह उठता है कि प्रशासन की समानान्तर व्यवस्थाएं उनके कितने अनुरूप हैं? भारत की सामाजिक अनुसन्धान परिषद के इस प्रश्न पर कि हम लोगों के अध्ययन की नीतिगत सम्भावनाएं क्या हैं, हमारा उत्तर अनुवादित रूप में उद्घृत है :

“ग्रामीण व शहरी अंतः क्रियाओं की गहनता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि उस प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार हो जिसमें नगर व कस्बों की म्यूनिसिपैलिटी व कॉर्पोरेशन को उन निर्णायक संस्थाओं से दूर रखा जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और यहां तक कि जिला परिषदों के रूप में कार्यरत हैं। आवश्यकता है एक ऐसे समन्वित तंत्र की जो नगर, कस्बों व गांवों को उनके प्रभाव क्षेत्र (या जर्मन भाषा में “उमलैंड”) में आते हों, से गहन व पारस्परिक रूप में जुड़े हों, सभी की समस्याओं को ध्यान में रख सकें ताकि प्रशासनिक व्यवस्था जनता के वास्तविक जीवन के समकक्ष हो सके।”

सम्पादकीय टिप्पणी : यह लघु लेख स्व. प्रोफेसर ब्रजराज चौहान द्वारा 27.11.1992 को लिखा गया था जो अभी तक अप्रकाशित है। इसकी एक प्रतिलिपि उन्होंने अपने भोपाल प्रवास के दौरान मुझे दी थी यह मुझे कुछ दिन पूर्व एक पुरानी फाइल से प्राप्त हुई है, इस लेख में उठाये गये समाजशास्त्रीय प्रश्न बिन्दु व सुझाव आज 2015 में भी उतने ही प्रासांगिक एवं महत्वपूर्ण हैं जितने कि उस समय थे। अतः हमने इसे लघु लेख के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना *NAV RACHNA*
www.grefiplus.org/navrachna
वर्ष 1, अंक 2, दिसम्बर 2015, पृ. 6–35

विकास का आधुनिकतावादी सिद्धान्त

वीरेन्द्र पाल सिंह*
पंकज कुमार सिंह**

अपने प्रारम्भिक काल से ही समाजशास्त्र का 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोपीय समाजों में हो रहे तीव्र एवं हिंसात्मक परिवर्तनों की व्याख्या से निकट रूप से सम्बन्धित रहा है। अनेकों इतिहासकारों व दार्शनिकों (स्कॉटिश इतिहासकारों व दार्शनिकों में फरग्यूसन, मिलर, व राबर्टसन; फ्रांसिसी दार्शनिकों में वॉल्टेर, टारगॉट व कॉनडोरसैट; जर्मन इतिहासकारों व दार्शनिकों में हर्डर व हीगल) ने अपने युग में हो रही सामाजिक व रातनीतिक क्रान्तियों की व्याख्या इतिहास के एक सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत की है। इन सभी विद्वानों के विचारों का एक गंभीर प्रभाव प्रारम्भिक समाजशास्त्र पर देखा जा सकता है। बाद के लेखकों (जैसे सैन्ट साइमन व बुकले तथा प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों—कॉम्ट, मार्क्स व स्पैनसर) पर इसे और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तत्पश्चात् 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र व मानवशास्त्र में एक ऐतिहासिक अथवा उद्विकासवादी दृष्टिकोण प्रभावी रहा। मैक्स वैबर ने यद्यपि सार्वभौमिक इतिहास के किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन तो नहीं किया परन्तु इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि उनकी सभी सामाजिक कृतियां एक ऐसी ऐतिहासिक घटना से प्रेरित अवश्य रही हैं जिसे आधुनिक पूँजीवाद के उदय व इसके महत्व के सन्दर्भ में तथा उसके फलस्वरूप सामाजिक जीवन में बढ़ते हुए तार्किकीकरण व मानव स्वतन्त्रता पर पड़ने वाले प्रभावों के सन्दर्भ में देखा जा सकता है।

डुर्कहाइम (अधिकतर हिन्दी पुस्तकों में इसे दुर्खीम या दुरखाइम के रूप में सम्बोधित किया गया है) ने यूं तो कॉम्ट के उद्विकासवादी सिद्धान्त को अस्वीकृत किया परन्तु उनकी स्वयं की समाज के वर्गीकरण की रूपरेखा को भी इसी रूप में देखा जा सकता है। डुर्कहाइम की पुस्तक समाज में श्रम विभाजन (1893) का सम्बन्ध प्राथमिक समाज से आधुनिक समाज में विकसित होने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। हॉबहाऊस की रचनाओं पर कॉम्ट व स्पैनसर का भारी प्रभाव देखा

*प्रोफेसर एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, वैश्वीकरण एवं विकास अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद—211 002 उ. प्र.।

**असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिल्सी, बदायूँ उ.प्र.।

जा सकता है। उसकी समस्त समाजशास्त्रीय रचनाएं स्पष्ट रूप से सामाजिक प्रगति की दार्शनिक अवधारणा से निर्देशित हैं।

इन प्रारम्भिक समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों में 'परिवर्तन', 'उद्विकास', 'विकास', तथा 'प्रगति' की धारणाओं में कई बार भ्रम की स्थिति दिखायी पड़ती है अथवा ये सभी किसी एक अवधारणा से सम्बद्ध प्रतीत होती हैं; जबकि दूसरे प्रकरणों में इनमें विभेद तो किया गया है परन्तु तार्किक रूप से इन्हें परस्पर सम्बन्धित शब्दों के रूप में ही लिया गया है। वास्तव में सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को सीधे ही जैवकीय उद्विकास के सिद्धान्तों से ले लिया गया था, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र पर 'इतिहास के दर्शन' के प्रभाव को और अधिक शक्तिशाली रूप से पुनर्स्थापित किया तथा इसका प्रभाव हरबर्ट स्पैन्सर और टॉयलर की कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ता है।

बाद में जैवकीय व सामाजिक उद्विकास में की जाने वाली अनुरूपता की कमियों को समझ लिया गया तथा कुछ समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया को 'सामाजिक विकास' कहना अधिक पसन्द किया, परन्तु इसके बाबजूद भी इन धारणाओं में दृढ़तापूर्वक अन्तर नहीं किया गया। उदाहरण के लिये एल. टी. हॉबहाऊस ने अपनी अधिकतर रचनाओं में इन शब्दों का पर्यायवाची की तरह उपयोग किया है। उसने अपनी पुस्तक 'सामाजिक विकास' में विकास के निम्न चार आधारों को प्रस्तुत किया है: 1. स्तर में वृद्धि (increase in scale); 2. क्षमता में वृद्धि (increase in efficiency); 3. परस्पर निर्भरता में वृद्धि (increase in mutuality); तथा 4. स्वतन्त्रता में वृद्धि (increase in freedom)। तत्पश्चात उसने इन आधारों को जैवकीय उद्विकास से स्पष्ट रूप से जोड़ा। बाद के दोनों आधार उसकी प्रगति की अवधारणा से जुड़े हुये हैं। अनेकों दूसरे समाजशास्त्रियों ने अपने सामाजिक विकास के विवरणों में स्तर में वृद्धि को आधार के रूप में प्रयुक्त किया है। स्पैन्सर व डुर्कहाइम ने समाजों के वर्गीकरण में इसी आधार का प्रयोग किया है। विकास का एक अन्य सबसे अधिक प्रयुक्त आधार 'सामाजिक विभेदीकरण' है जो स्पैन्सर व डुर्कहाइम के साथ-2 हॉबहाऊस के विवरणों में भी मिलता है तथा मैकाइवर और पेज ने भी इसे प्रमुख आधार माना है।

सामाजिक प्रघटनाओं के सन्दर्भ में 'विकास' शब्द यद्यपि 'उद्विकास' शब्द की अपेक्षा बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। साधारण प्रयोग की भाषा में विकास का अर्थ है 'एक क्रमिक रूप में समुन्नत होना; किसी विचार को विस्तारपूर्वक आगे बढ़ाना; बीज में पाये जाने वाली वस्तुओं की वृद्धि (आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी)। इस अर्थ में हम किसी बालक अथवा बीमारी के विकास के बारे में कह सकते हैं, परन्तु इस अर्थ में सामाजिक विकास के बारे में कहना कठिन है क्योंकि हम सदैव निश्चित रूप से इसको बीज से सम्बन्धित एक विशिष्ट प्रघटना के सन्दर्भ में नहीं ले सकते अथवा विकास तथा क्षय की विशिष्ट प्रक्रिया के मध्य स्पष्ट रूप से भेद नहीं कर सकते। केवल दो ही ऐसी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिनके लिये सही प्रकार से 'विकास' शब्द का प्रयोग करना सम्भव प्रतीत होता है, ये हैं— 'ज्ञान की अभिवृद्धि' तथा 'प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर मनुष्य के नियन्त्रण में अभिवृद्धि', जो कि तकनीकी तथा आर्थिक क्षमता के माध्यम से किया जाता है। निस्संदेह यही वे दो प्रक्रियाएं हैं जो मानव समाज के विकासवादी या उद्विकासवादी विवरणों में प्रमुख रूप से दिखायी देती हैं।

हाल ही की समाजशास्त्रीय रचनाओं में 'विकास' शब्द का प्रयोग भिन्न प्रकार से किया गया है: प्रथमतः, दो प्रकार के समाजों में अन्तर स्थापित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक ओर सम्पन्न औद्योगिक समाज है तो दूसरी ओर वे सभी समाज (अन्य बातों में परस्पर अति भिन्न) हैं जो प्रमुख रूप से ग्रामीण, कृषि पर निर्भर तथा गरीब हैं। द्वितीयतः, औद्योगिकीकरण अथवा आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है।

विकास की इस नवीन धारणा की कई अलग विशेषताएं हैं। यह सामाजिक उद्विकास अथवा विकास के उस सिद्धान्त पर निर्भर नहीं करता जो मानव इतिहास के सम्पूर्ण काल को समावेशित करता है, अपितु यह सिद्धान्त एक विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन से सम्बन्धित है जो वर्तमान काल में घटित हो रहा है अथवा अभी हाल ही में घटित हो चुका है। इसको एक सरल ऐतिहासिक प्रारूप (model) के अन्तर्गत तीन अवस्थाओं में होने वाली प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है: 1. परम्परागत समाज (traditional society) 2. संक्रमणशील समाज (transitional society) 3. आधुनिक समाज (modern society)। इस अर्थ में विकास के अध्ययन विशिष्ट रूप से आर्थिक अभिवृद्धि (economic growth) पर केन्द्रित रहे हैं तथा ऐसा करते समय वे अनेकों पूर्वकालीन सिद्धान्तोंमें निहित तत्वों का समावेश भी कर लेते हैं – जैसे 'ज्ञान की अभिवृद्धि' तथा 'प्राकृतिक पर्यावरण के ऊपर मनुष्य का नियन्त्रण'। दूसरे शब्दों में, समाज के रूपान्तरण की प्रक्रिया में उत्पादन की मानवीय शक्तियों का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि कुछ सीमा तक इस विचार ने 'तकनीकी निर्धारणवाद' (technological determinism) को भी जन्म दिया है जो सामाजिक संरचना के कई महत्वपूर्ण पक्षों की उपेक्षा कर देता है। समकालीन लेखकों की रचनाओं में विकास की समाजशास्त्रीय व्याख्या में दो प्रमुख सिद्धान्त दृष्टिगोचर होते हैं: 1. आधुनिकतावादी सिद्धान्त तथा मार्क्सवादी सिद्धान्त। विकास के आधुनिकतावादी सिद्धान्तों में प्रमुख रूप से नील जे. स्मेलसर, बी. एफ. होज़ेलिज, एस. एन. आइज़ेनस्टैट, टॉलकॉट पारसन्स, डबल्यू. डबल्यू. रोस्टॉव, डेनियल लर्नर व मैकलिलैन्ड को समिलित किया जा सकता है।

टालकॉट पारसन्स (Talcott Parsons) की विकास की अवधारणा

परिवर्तन का अनुभव प्राप्त कर चुके समाज तथा अपरिवर्तनशील एवं परम्परागत सामाजिक संगठन वाले समाजों के मध्य अन्तःक्रिया को सैद्धान्तिक रूप से प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री टालकॉट पारसन्स (1902-1979) ने अपनी रचनाओं में विश्लेषित किया है। पारसन्स को प्रायः आधुनिक प्रकार्यवाद का संस्थापक कहा जाता है। 1937 में प्रकाशित उनकी प्रमुख कृति दी स्ट्रक्चर ऑफ़ सोशल एक्शन (The Structure of Social Action) के बाद के पचास से भी अधिक वर्षों में पारसन्स अमेरिकी समाजशास्त्र में सबसे अधिक सृजनशील और विवादास्पद व्यक्ति रहे। अनेक विद्वान उन्हें 'घोर-प्रकार्यवादी' के रूप में देखते हैं। उनकी रचनाओं का आधार यह मान्यता थी कि 'सामान्यत, सामाजिक जीवन परस्पर वैमनस्य तथा विनाश की अपेक्षा परस्पर लाभ तथा शाँतिपूर्ण सहयोग के द्वारा संचालित होता है'।

पारसन्स के समाजशास्त्र में 'संरचनाओं के कार्य करने' को केन्द्रीय महत्ता प्रदान की गयी है, इसके अनुसार ही वह सभी समाजों को विभेदीकृत, एवं प्रकार्यात्मक रूप से विशिष्ट सामाजिक संस्थाओं द्वारा निर्मित व्यवस्था के रूप में देखते हैं। सम्पूर्ण व्यवस्थाओं को एक तालबद्ध संतुलन की अवस्था में बनाये रखने का कार्य सहमति पर आधारित मूल्य मतैक्य द्वारा किया जाता है।

डुर्कहाइम की भाँति ही पारसन्स के समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रमुख कार्य सामाजिक संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। पारसन्स के विचार से सामाजिक संस्थाओं को भिन्न तथापि परस्पर निर्भर समूहों के रूप में देखा जाता है जो मौटे तौर पर समान सांस्कृतिक प्रतिमानों वाले होते हैं; डुर्कहाइम का अनुसरण करते हुए पारसन्स सांस्कृतिक प्रतिमानों की समानता की व्याख्या निम्न प्रकार से करते हैं:

1. समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से; जिसमें व्यक्ति समूह आदर्शों (group norms) तथा मूल्य व्यवस्थाओं (value systems) का आन्तरीकरण करते हैं।
2. बाह्य सामाजिक नियन्त्रण के द्वारा, जो व्यक्ति पर दण्ड की धमकी के कारण मिलता है, यदि वह व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों से विचलित होता है।

पारसन्स सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को अपना अस्तित्व बनाये रखने और फलने-फूलने (उन्नति करने) के लिए कुछ विशिष्ट समस्याओं का सामना करते हुए देखते हैं उन्होंने ऐसी चार दशाओं को निश्चित किया है जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं। इन्हे उसने 'प्रकार्यात्मक पूर्व-दशाओं' अथवा अस्तित्व के लिए 'आवश्यक तत्वों' की संज्ञा दी है।

(1) अनुकूलन (Adaptation)

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्थायें अपने चारों ओर के प्राकृतिक पर्यावरण से जीवन की मूलभूल आवश्यकताओं—भोजन कपड़ा और आवास—को जुटाने के उद्देश्य से अन्तःक्रिया करती है।

(2) एकीकरण (Integration)

सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवहार के स्थापित प्रतिमान होते हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि यह एकीकृत तथा रिथर अवस्था में है।

(3) लक्ष्य प्राप्ति (Goal Attainment)

सामाजिक व्यवस्था के कुछ लक्ष्य होते हैं जो सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण उन प्रकार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उचित रूप से पुरुस्कृत किया जाना है।

(4) अर्त्तहितता व प्रतिमान सुनिश्चितता (Latency and Pattern Maintenance):—

इसका सम्बन्ध सामाजिक व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने से है कि संस्थागत मूल्यों को बनाये रखा जाये ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे।

पारसन्स द्वारा उल्लेखित चारों तत्व परस्पर निकट रूप से जुड़े हुए हैं तथा इसके फलस्वरूप किसी एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन कुछ अथवा सभी में परिवर्तन लाता है। जैसा कि पारसन्स ने स्वयं कहा है

"एक बार यदि संनुलित व्यवस्था मे 'व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाये तो व्यवस्था को सन्तुलन की अवस्था में पुनः लाने के लिए प्रतिक्रिया होना आवश्यक होगा" (पारसन्स 1971:)

सामाजिक व्यवस्था मे सन्तुलन को पुनः कायम करने की प्रक्रिया के दौरान ही सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है। पारसन्स 'परिवर्तन' शब्द का प्रयोग करने मे एक विशेष प्रकार की प्रकार्यवादी कठिनाई महसूस करता है तथा उस प्रक्रिया को 'गतिमान सन्तुलन' (moving equilibrium) कहना पसन्द करता है।

1960 के दशक में पारसन्स ने अपना ध्यान सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया की ओर किया। अमेरिकन सोसियोलॉजिकल रिव्यू (June, 1964, 23(3), 339) के लिए लिखे एक शोध पत्र में उसने यह कहा कि “समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय दोनों ही क्षेत्रों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्विकासवादी ढाँचे पर अधिक बल दिया जाने लगा है।”

अपने विश्लेषण की स्थापना के लिए पारसन्स ने उद्विकासवादी सामान्य तत्वों (Evolutionary universals) की अवधारणा को प्रस्तावित किया। इसे उसने ‘किसी ऐसे संगठनात्मक विकास के रूप में परिभाषित किया है जो आगे के उद्विकास के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है, एक ही बार उत्पन्न होने की अपेक्षा यह (लक्ष्य) विभिन्न दशाओं के अन्तर्गत कार्य कर रही विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है।’

पारसन्स के अनुसार ‘उद्विकास वादी सामान्य तत्व’ सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए उनके सन्तुलन में गति को प्रभावित करने वाली मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उसकी सैद्धान्तिक योजना के अनुसार वे अपने धारकों की सामान्यीकृत अनुकूलन क्षमता (generalized adaptive capacity) में प्रचुर मात्रा में वृद्धि करने में इतना अधिक समर्थ बनाती है कि उनके अभावों से ग्रस्त प्रजातियाँ उन सभी प्रमुख क्षेत्रों में अपेक्षाकृत रूप से अलाभकारी स्थिति में रहती हैं जिनमें प्राकृतिक चयन अस्तित्व के लिए इतनी मात्रा में नहीं होता जितना कि आगे बढ़े विकासों को प्रांगम्भ करने की सम्भावना के लिए होना चाहिए।

पारसन्स द्वारा बताये गये इन उद्विकासवादी सामान्य तत्वों में प्रकार्य की ‘एक वैधता प्राप्त, विभेदीकृत सामाजिक व्यवस्था’ के साथ अभिवृद्धि परिवार की सीमाओं से बाहर होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार्य वादी विभेदीकरण को स्पष्ट रूप से दिखायी देने वाली सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था का निर्माण करना चाहिये। दूसरा जीवन्त सामान्य तत्व लिखित भाषा व्यवस्था का निर्माण है क्योंकि उस से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि एक समूह दूसरे समूह से साक्षरता के द्वारा संस्तरित रूप में अलग हो जायेगा। यह पृथकीकरण एक ऐसा शक्ति आधार प्रदान करेगा जिस पर संस्तरण व्यवस्था को वैधानिकता प्रदान की जा सकेगी। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसे प्रभावकारी नौकरशाही व्यवस्था द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। पारसन्स द्वारा बताये गये दूसरे सामान्य तत्वों में मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था (monetary economy) तथा बाजार व्यवस्था (market system) सम्मिलित हैं। जिन्हें एक विश्वस्त वैधानिक ढाँचे द्वारा सहारा दिया जाता है। इस वैधानिक ढाँचे को सामाजिक व्यवस्था में विश्वस्त आधार पर स्वीकारा जाता है।

पारसन्स की दृष्टि में समाजों के उद्विकास को अपेक्षाकृत एक अनियमित प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिये जो कि ‘सांस्कृतिक विसरण’ (cultural diffusion) का परिणाम हैं यह विसरण उद्विकास के उच्च स्तर पर स्थित तथा उसके नीचे के स्तर पर स्थित समाजों के मध्य होता है। पारसन्स ने उन विशिष्ट समाजों को परिभाषित किया है जो उसके मत से उन अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे समाजों को अपने उद्विकासवादी पथ पर आगे बढ़ते हुए गुजरना चाहिये।

प्राथमिक	आदि देशवासी (अविभेदीकृत)
प्राचीन प्राथमिक तथा प्राचीनतम्	प्राचीन मिस्र
ऐतिहासिक मध्य कालिक	प्राचीन भारत, चीन
'बीजारोपण' के लिए तैयार स्थिति' ('seed bed')	प्राचीन इस्राइल, ग्रीस और रोम
आधुनिक	औद्योगिक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप

इनमें से प्रत्येक क्रमबद्ध अवस्था की विशेषता कुछ निश्चित उद्विकासवादी तत्वों जैसे भाषा, मुद्रा पर आधारित अर्थ—व्यवस्था आदि का जुड़ना है। पारसन्स ने उनमें से दो तत्वों पर विशेष जोर दिया है जो उसकी दृष्टि में प्राथमिक अवस्था से सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें से पहला है, परम्परागत नातेदारी प्रतिमानों का हास जैसे कि विस्तृत परिवार का पतन। दूसरी वह स्थिति है जो, पारसन्स के शब्दों में "सामाजिक स्तरीकरण की 'भली प्रकार चिन्हित व्यवस्था' का विकास पहले होता है तथा यह राजनीतिक प्रकार्य के वैधानिकीकरण की शर्त है" (The Social system, p.342)। दूसरे शब्दों में सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार से रचित किया जाना चाहिये कि व्यक्ति 'सम्पदा' तथा 'शक्ति पर पहुँच' दोनों में असमानता रखते हों। पारसन्स का विचार है कि ऐसी स्थिति इस प्रकार्य को सम्पादित करने के लिए जन साधारण में से सबसे उपयुक्त का (प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने के लिये) चुनाव किया जाना सुनिश्चित करेगी।

यहाँ पारसन्स के सामने भी वही कठिनाई आती है जो डुर्कहाइम के सामने आयी थी। आंतरिक जटिलता में वृद्धि होने तथा व्यक्तिवाद की ओर आगे बढ़ने से, जो औद्योगिक समाज को प्रतिरूपित करती है, सामाजिक व्यवस्था में सन्तुलन तथा गत्यात्मकता (dynamism) दोनों को एक ही समय में कैसे बनाये रखा जा सकता है? व्यक्तिवाद द्वारा गत्यात्मकता आयेगी, परन्तु यह कल्पित मूल्य मतैक्य (value consensus) को नष्ट करेगी तथा सन्तुलन के लिए चुनौती उत्पन्न करेगी; मूल्य मतैक्य की ओर वापसी व्यक्तिवाद को रोकेगी तथा गत्यात्मकता पर अंकुश लगायेगी। समाज के ये दोनों पक्ष असंगत प्रतीत होते हैं। पारसन्स ने इस समस्या का समाधान यह दावा करके किया कि संस्थाओं की भिन्नता में वृद्धि सामाजिक मूल्यों के सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अधिक सामान्यीकृत हो जाने की स्वीकृति देती है। उदाहरण के लिए, पारसन्स का दावा है कि मूलभूत नैतिकता के सार्वभौमिक मापदण्ड जैसे प्रतिस्पर्धा, निष्पत्ति (achievement), कानून के दायरे में स्वतन्त्रता आदि मूल्यों को समस्त पश्चिमी औद्योगिक समाजों में विस्तृत स्वीकृति प्राप्त है। इसे 'सामान्यीकृत सामाजिक मूल्य' तथा बढ़ती हुई अनुकूलन क्षमता की ओर प्रमाण के लिए एक प्रभावकारी शिक्षा व्यवस्था तथा जनसंचार माध्यम तन्त्र की भी आवश्यकता होती हैं जिससे विचारों को दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं में विसरित किया जा सके।

पारसन्स के विश्लेषण में इन विचारों का विसरण औद्योगिकरण के केन्द्रों से बाहर की ओर क्रियिक तथा उद्विकासवादी तरीके से होता है। यहाँ पर पारसन्स ने मेक्स वेबर का अनुसरण अपने इस दृष्टिकोण में किया है कि 'औद्योगिक व्यवस्था स्वयं ही सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संगठन के एक समान प्रतिमानों को ले आती है'। अनेकों सिद्धान्तकारों ने इस प्रकार के विचार का अनुसरण करते हुए यह घोषणा की, "जैसे—जैसे कोई समाज उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली की ओर बढ़ता है तथा जटिल, आधुनिक समाज की आन्तरिक विशेषताओं को धारण करता है तो यह

कहा जा सकता है कि यह विकास के अनुभव से गुजर रहा है”। सिद्धान्तकारों में इस बात पर मतभेद है कि वे उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली को अपनाने में विचारों की भूमिका पर जोर दें अथवा तकनीकी की भूमिका पर जोर दें। यद्यपि इनमें से अनेक इस आवश्यकता पर सहमत हैं कि सरल समाजों को विकास के लिए आधुनिकीकृत (अर्थात् उन्हें औद्योगिकीकरण से प्रभावित होना चाहिए) होना चाहिये तथा इसलिए ही इस समूह के सिद्धान्तकारों को सामूहिक रूप से ‘आधुनिकीकरणवादी’ सिद्धान्तकार (modernisation theorists) कहा जाता है।

स्मेलसर का संरचनात्मक—विभेदीकरण प्रारूप

विल्बर्ट ई. मूर के अनुसार, आधुनिकीकरण का अर्थ है— एक परम्परागत अथवा पूर्व—आधुनिक समाज का ‘तकनीकी तथा संबद्ध सामाजिक संगठन के उन प्रकारों में सम्पूर्ण रूपान्तरण है जो परिवर्मी जगत के ‘प्रगतिशील’, आर्थिक रूप से सम्पन्न, तथा अपेक्षाकृत राजनीतिक रूप से स्थिर राष्ट्रों की विशेषता है (मूर 1963:89)। यह विचार इस प्रस्थापना पर आधारित है कि ‘परम्परागत’ तथा ‘प्रगतिशील’ अथवा ‘आधुनिक’ समाजों की सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है तथा इस प्रकार से विकास को एक प्रकार के समाज से दूसरे प्रकार के समाज में रूपान्तरण के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को दर्शाने हेतु एक प्रारूप का निर्माण करने की दिशा में किये गये अनेकों प्रयासों में से नील. जे. स्मेलसर (1963) का संरचनात्मक विभेदीकरण की अवधारणा पर आधारित प्रारूप श्रेष्ठ है। उनके अनुसार एक विकसित आर्थिक व्यवस्था तथा समाज की विशेषता उसमें पायी जाने वाली उच्च कोटि की विभेदीकृत संरचना है तथा एक अल्पविकसित (underdeveloped) समाज में अपेक्षित रूप से विभेदीकरण का अभाव होता है तथा इस कारण से विभेदीकरण की प्रक्रिया स्वयं ही केन्द्र बिन्दु बन जाती है। विभेदीकरण से स्मेलसर का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समाज में अधिक विशिष्टीकृत तथा अधिक स्वायत्त सामाजिक इकाईयां स्थापित होती हैं। इस प्रक्रिया को वह कई क्षेत्रों— अर्थव्यवस्था, परिवार, राजनीतिक व्यवस्था, तथा धार्मिक संस्थाओं में घटित होते हुए देखता है।

स्मेलसर के इस प्रारूप का सम्बन्ध आर्थिक निर्धारकों को पृथक करना नहीं है अपितु सामाजिक रूपान्तरण का वर्णन करना है जिसके साथ—साथ आर्थिक विकास भी होता है। आर्थिक विकास को वह जनसंख्या के प्रति—व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के रूप में परिभाषित करता है।

स्मेलसर के अनुसार आर्थिक विकास निम्न चार प्रक्रियाओं के द्वारा घटित होता है:

- (क) तकनीकी का आधुनिकीकरण—जिसके द्वारा सरल परम्परागत तकनीकी को वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है;
- (ख) कृषि का व्यापारीकरण—इसके अन्तर्गत निर्वाहकारी खेती से व्यापारिक कृषि में परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप नकदी—भुगतान वाली फसलों के उत्पादन में विशेषता तथा मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों का प्रादुर्भाव होता है;
- (ग) औद्योगिकरण की प्रक्रिया—इसके अन्तर्गत मानव तथा पशु—शक्ति के स्थान पर मशीन की शक्ति के उपयोग की ओर परिवर्तन होने लगता है;
- (घ) नगरीकरण—इसमें पर्यावरण के पक्षों में परिवर्तन होता है तथा जनसंख्या का पलायन फार्म तथा ग्राम से बड़े नगरीय केन्द्रों की ओर होने लगता है।

ये प्रक्रियाएं कभी—कभी एक साथ घटित होती है तो कभी विभिन्न दरों पर। उदाहरण के तौर पर कई उपनिवेशवादी परिस्थितियों में कृषि का व्यापारीकरण बिना औद्योगीकरण के पहले हो जाता है अथवा औद्योगीकरण बिना अधिक नगरीकरण के विकसित हो जाता है। कुछ भी हो, ये चार प्रक्रियाएं 'परम्परागत समाजों की सामाजिक संरचना को समान तरीकों से प्रभावित करने को बाध्य हैं। सर्वप्रथम, हम पाते हैं कि संरचनात्मक विभेदीकरण' अधिक विशिष्टीकृत एवं स्वायत्त सामाजिक इकाईयों की संरचना होने पर घटित होता है। उदाहरण के लिए, जैसे—जैसे आर्थिक विकास होता है, कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ परिवार नामक संस्था से पृथक हो जाती हैं। नकदी फसलों के परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से घर से जुड़ी रहने वाली उत्पादन एवं उपभोग की गतिविधियाँ भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तथा श्रम पर आश्रित मजदूर उत्पादन व्यवस्था को कमतर आँका जाने लगता है। परिवार अब उत्पादन की मूल इकाई न रहकर भावनात्मक परितुष्टि (Emotional Gratification) तथा समाजीकरण जैसी गतिविधियों पर अधिक केन्द्रित इकाई हो जाते हैं (स्मेलसर 1963:108)। परिवार के अन्तर्गत शिष्यता (apprenticeship) का ह्वास होने लगता है तथा नातेदारी सम्बन्धों के आधार पर श्रमिकों की भर्ती के विरुद्ध दबाव उत्पन्न होने लगता है। सत्ता के प्रतिमान में भी रुपान्तरण होता है, बुजुर्ग अपना प्रभाव व नियन्त्रण खो बैठते हैं तथा विस्तृत परिवार, एकाकी परिवारों में टूटने लगते हैं। विवाह के आदर्शों में भी बदलाव होने लगता है क्योंकि जीवनसाथी के चुनाव में व्यक्तिगत पसन्द पर अधिक बल दिया जाने लगता है तथा महिलायें आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर अधिक आत्म-निर्भर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक संस्तरण के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विभिन्न व्यावसायिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पदों पर भर्ती के लिए प्रदत्तता के स्थान पर अर्जित गुणों को प्राथमिकता दी जाने लगती है, तथा समाज में व्यक्तिगत गतिशीलता की दर में वृद्धि होने लगती है।

संरचनात्मक विभेदीकरण के साथ ही समाज में एकीकरण की प्रक्रिया भी होने लगती है। जिसके द्वारा विभेदीकृत संरचनाएं नये आधारों पर परस्पर जुड़ने लगती हैं। उदाहरण के लिए, पूर्व—आधुनिक समाज जहाँ राजनीतिक एकीकरण नातेदारी सम्बन्धों, आदिवासी समूह की सदस्यता, मूलभूत आर्थिक संसाधनों पर नियन्त्रण तथा रहस्यपूर्ण विधानों (mystical sanctions) से निकट रूप से संबद्ध रहते हैं, 'आधुनिक' प्रकार के समाजों में परिवर्तित होने लगते हैं, जिनकी विशेषताएं राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा राज्य—नौकरशाही की विषमता हैं। (डेविड ईस्टन ने इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से की है)।

सामाजिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी हमें इस प्रकार की एकीकरण की प्रक्रियाएं घटित होती दिखायी पड़ती है। उदाहरण के लिए, आर्थिक क्षेत्र में किसान तथा आदिवासी पूँजीवादी अथवा आधुनिक सहकारी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, ट्रेड यूनियनों, तथा श्रमिक भर्ती ऐजेन्सियों के माध्यम में सहभागिता द्वारा नये सम्बन्धों का विकास कर लेते हैं अथवा धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक प्रतिष्ठान (मंदिर, मस्जिद, चर्च), सम्रादाय तथा धार्मिक नौकरशाही राजनीतिक संस्थाओं के नियन्त्रण से बाहर हो जाती है।

विभेदीकरण तथा एकीकरण की इन दोनों प्रक्रियाओं के साथ—साथ समाज में यत्र—तत्र (sporadic) सामाजिक व्यवधान भी घटित होते हैं (जैसे—हिंसा का फूट पड़ना, धार्मिक व राजनीतिक आन्दोलनों का उद्भव) जो परिवर्तन की असमान दर को परिलक्षित करता है। स्मेलसर

के अनुसार, कई बार इन प्रतिमानों में निरन्तरता का अभाव भी दिखायी देता है क्योंकि एकीकरण की प्रक्रिया सदैव विभेदीकरण की प्रक्रिया के साथ तादातम्य स्थापित नहीं कर पाती तथा इस कारण से सामाजिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर, उपनिवेशवादी समाजों में आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक संरचनाएं तो आधुनिकीकृत हो जाती हैं परन्तु वहाँ परोक्ष शासन की नीति सक्रिय रूप से परिवार, तथा स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में रुढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। (उदाहरण के तौर पर, उपनिवेशवादी इस्लामिक परम्पराओं को बनाये रखना)। यह एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देती है जिसमें नयी गतिविधियाँ तथा लक्ष्य विद्यमान परम्परागत प्रवृत्तियों तथा संस्थानों के साथ संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं। यह इस लक्ष्य की ओर भी इंगित करता है कि आधुनिकीकरण की आरम्भिक अवस्था में हम प्रायः कुछ ऐसे धार्मिक आन्दोलनों का उदय देखते हैं जो कठोर, संयमी (ascetic) तथा इस (भौतिक) संसार के मूल्यों तथा विश्वासों पर आधारित होते हैं और परम्परागत सम्बन्धों व मूल्यों के तिरस्कार को वैधता प्रदान करते हैं परन्तु बाद में राष्ट्रीय राजनीतिक संरचनाओं तथा विचारधाराओं के माध्यम से एकीकरण के प्रयासों का विरोध करने लगते हैं।

यद्यपि स्मैलसर ने इस बात को माना है कि पूर्व—आधुनिक दशाओं में तथा परम्परागत संरचनाओं में अन्तर उस प्रभाव को आकार प्रदान कर सकते हैं जो आधुनिकीकरण की शक्तियाँ एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था पर डालती हैं। (तदानुसार परिवर्तन के मार्ग में विभिन्नता उत्पन्न करती हैं), उसका दावा है कि इस प्रकार का प्रारूप एक सामान्य आदर्शवादी विशेषताओं (ideal typical features) तथा सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है।

आधुनिकीकरण पर होजोलिज के विचार

इस प्रकार के विचार न केवल स्मैलसर की रचनाओं में मिलते हैं अपितु अन्य लेखकों की कृतियों में भी पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए होजोलिज (1960) ने टॉलकॉट पारसन्स की प्रतिमान चरों की योजना को लागू करने का प्रयास किया है, जो आवश्यक रूप से स्मैलसर के विकास की प्रक्रिया के अध्ययन हेतु विकसित संरचनात्मक—विभेदीकरण के प्रारूप पर आधारित है। उनका तर्क है कि विकसित देशों की विशेषताएं—सार्वभौमिकता (universalism), अर्जित रुझान, प्रकार्यात्मक विशिष्टता (functional specificity), हैं तथा—अल्प विकसित (underdeveloped) देशों में इनके विपरीत व्यैक्तिकता (Particularism), प्रदत्तता (ascription), तथा प्रकार्यात्मक व्यापकता (functional diffuseness) जैसी विशेषताएं पायी जाती हैं। स्मैलसर की भाँति होजोलिज ने भी परम्परागत समाज से आधुनिक समाज में रूपान्तरण को 'परम्परागत' प्रतिमान चरों के अपरिहार्य रूप से परिवर्तन के रूप में देखा है। अतः आधुनिकीकरण प्रकार्यात्मक रूप से व्यापक आर्थिक भूमिकाओं (जो अन्य राजनीतिक व धार्मिक भूमिकाओं से निकट रूप से संबद्ध है) से प्रकार्यात्मक रूप से विशिष्ट भूमिकाओं में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन है जो अन्तःक्रिया से जुड़े व्यक्तियों की श्रेणी से परे घटित होता है। पारसन्स तथा होजोलिज ने इस रूपान्तरण को विभेदीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से घटित होते देखा है, जिसका वर्णन स्मैलसर ने किया है। राष्ट्रों के विकास में विभिन्नता की व्याख्या तब इन संरचनात्मक चरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति तथा अर्जित आधुनिकीकरण की मात्रा को मापने हेतु निर्मित मानदण्डों के सन्दर्भ द्वारा की जा सकती है।

बाद के सिद्धान्तकारों में विशेष रूप से एस० एन० आइजेनस्टैड (S. N. Eisenstadt 1966 : 1970) ने 'परम्परागत' अथवा 'पूर्व—आधुनिक' समाजों को एक ही अवधारणा के अन्तर्गत रखे जाने की समस्या को ध्यान में रखते हुए तथा उन सभी विभिन्न प्रक्रियाओं, जिनके द्वारा आधुनिकीकरण को प्रारम्भ किया जाना चाहिये, इस उपागम में संशोधन किये। उनके शब्दों में 'आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का उदय आदिवासी समाजों, जाति समाजों, विभिन्न प्रकार के किसान समाजों तथा पूर्व नगरीकरण के विभिन्न प्रकारों तथा विभिन्न मात्रा को धारण किये समाजों से हो सकता है। ये समूह आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक संसाधनों तथा योग्यताओं की दृष्टि से परस्पर भिन्न हो सकते हैं। इनमें समाज के उन विभिन्न भागों के मध्य पाने जाने वाले अधिक जटिल सम्बन्धों को नियन्त्रित करने की क्षमता में भी भिन्नता हो सकती है जो सामाजिक विभेदीकरण के परिचारक होते हैं तथा उन सीमाओं में भी, जहाँ तक ये नये, विस्तृत सामाजिक ढांचे में स्वयं को एकीकृत होने करने की क्षमता अथवा इच्छा रखते हैं' (आइजेनस्टैड 1970:25)।

आधुनिकीकरण का एक अन्य पक्ष जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है—आधुनिकीकरण के प्रारम्भिक आवेग (impetus) की प्रकृति है। इसमें एक बड़ी सीमा तक भिन्नता पायी जा सकती है। कुछ अवस्थाओं में यह समाज के विभिन्न आन्तरिक समूहों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जैसे—पश्चिमी यूरोप के प्रोटेस्टेंट उद्यमी समूह (वेबर, 1904) अथवा जापान का मेजी धनिक तन्त्र (Meiji oligarchs) (बेलाह, 1957)। परन्तु तीसरी दुनिया के देशों में यह प्रायः विभिन्न बाह्य शक्तियों के प्रभाव जैसे उपनिवेशवादी विस्तार तथा तकनीकी नवाचारों के विस्तार अथवा सांस्कृतिक आन्दोलनों के फलस्वरूप हुआ है। इसके अतिरिक्त कार्यरत कारकों के आधार पर हम यह अन्तर भी पाते हैं कि संरचनात्मक—विभेदीकरण तथा आदर्शों में परिवर्तन का प्रभाव सर्वप्रथम किन संस्थाओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आइजेनस्टैड का मानना है कि विकास का क्रम तथा इसके मार्ग में आने वाली परेशानियाँ समाज के अधिक सक्रिय—अभिजनों (elites) द्वारा अपनायी गयी नीतियों तथा व्यूह—चरनाओं द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है जिनकी आधुनिकीकरण को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका होती है। परिवर्तन के मार्गों तथा स्रोतों में भिन्नता की व्याख्या हेतु उन्होंने एक विस्तृत सामाजिक—ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने स्मैलसर तथा होजोलिज द्वारा आधुनिकीकरण की मूल विशेषताओं को न्यूनाधिक स्वीकारते हुए इस तर्क पर जोर दिया है कि आधुनिकीकरण के बाल उस दशा में ही सतत रह सकता है, यदि समाज एक मात्रा तक संरचनात्मक—लचीलापन विकसित कर लेता है। जिसके कारण इसमें एक ऐसी क्षमता का विकास हो जाता है कि यह नयी परिवर्तित समस्याओं, का समाधान कर सकता है, तथा अपने संस्थागत क्षेत्र में नये सामाजिक समूहों तथा स्तरों को उनकी समस्याओं व मांगों सहित समाविष्ट कर लेता है। (1966:49)।

इस प्रकार उन्होंने 'विभेदीकरण' तथा 'एकीकरण' की अवधारणाओं में 'अनुकूलन' (adaptation) की तीसरी अवधारणा को सम्मिलित किया है कि परम्परागत समाजों के विपरीत, आधुनिक अथवा आधुनिकीकृत समाज की संस्थागत संरचना कुछ इस प्रकार की होती है जो अपनी प्रारम्भिक प्रस्थापनाओं के परे होने वाले परिवर्तनों को समाविष्ट करने में तथा संरचनात्मक विस्थापनों (structural dislocation), प्रतिरोधी आन्दोलनों (protest movements) तथा विघटनीकरण (disorganization) के तत्वों के साथ समझौता कर लेने में समर्थ होती है। यद्यपि यह इस बात पर

निर्भर करता है कि वे कितनी व्यापक हैं तथा यह क्षमता सामाजिक व्यवस्था के प्रकार पर भी निर्भर करेगी, परन्तु एक दृढ़, अपेक्षाकृत स्थिर, राजनीतिक संरचना तथा वैचारिकी इसके लिए एक आवश्यक पूर्वदशा जान पड़ती है। इसलिए आधुनिकीकरण एक नवीन, विस्तृत राजनीतिक तथा सामाजिक स्वरूप का संकेत देता है जिसकी पहचान के प्रतीक गैर-परम्परागत अर्थों में व्यक्त होते हैं तथा जिसका संस्थागत ढाचा संकीर्ण स्थानीय इकाईयों को आर-पार से विच्छिन्न करते हुए अधिक सामान्य व सार्वभौमिक आधारों पर बल देता है।

विकास की मनोवैज्ञानिक व्याख्या:- मैकलीलैंड का 'सफलता की आवश्यकता' (need for achievement) का सिद्धान्त

विकास की मनोवैज्ञानिक व्याख्या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों (motives) तथा 'आन्तरिक कारकों' पर बल देती है जो कि आर्थिक वृद्धि की चालित शक्तियाँ (motor forces) मानी जाती हैं। इनमें से सबसे अधिक उपयुक्त मैकलीलैंड का 'सफलता की आवश्यकता' का सिद्धान्त है। यद्यपि उन्होंने विकास की प्रक्रिया में 'बाह्य कारकों' तथा वस्तुपरक दशाओं के महत्व को नकारा नहीं है; परन्तु उनकी रुचि उन मानवीय मूल्यों तथा अभिप्रेरकों (values and motives) में है जो उन्हें अवसरों का लाभ उठाने के लिए, तथा उपयुक्त व्यापार दशाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करती है अथवा संक्षिप्त में उन्हें अपना भाग्य निर्धारण करने देती है।

इसका अध्ययन करने के लिए मैकलीलैंड ने अन्तर्वस्तु विश्लेषण की एक विधि को विकसित किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तियों की लिखित कल्पनाओं (बच्चों की कहानियों सहित) में आने वाले कुछ निश्चित विषयों की आवृत्तियों की गणना के आधार पर कुछ ऐसे अभिप्रेरकों (motives) को पृथक करने में सफलता प्राप्त की जो उन व्यक्तियों के विषय में बताते हैं। इनमें से उन्होंने 'सफलता हेतु आवश्यकता' (n-achievement) की खोज की जिसे उन्होंने "कुछ अच्छा करने की" इच्छा के रूप में परिभाषित किया है जो मात्र सामाजिक सम्मान अथवा मान्यता प्राप्त करने हेतु न होकर व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने के लिए होती है" (D. McClelland 1966:74)।

मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट आचार संहिता तथा पूंजीवाद की आत्मा' के मध्य सम्बन्ध से प्रारम्भ करके मैकलीलैंड इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जिसे वेबर 'पूंजीवाद की आत्मा' कहता है वह यह विशिष्ट 'अच्छा करने की इच्छा' होनी चाहिये तथा इस प्रकार प्रोटेस्टेंट व्यापार उद्यमियों में एक उच्च स्तरीय एन-एचीवमेंट (सफलता हेतु आवश्यकता) होना चाहिये था। इसलिए यूरोपीय प्रोटेस्टेंट देशों में 'एन-एचीवमेंट' की भारी मात्रा तथा तीव्र आर्थिक विकास के मध्य सम्बन्ध है। इस उपकल्पना को ध्यान में रखते हुए मैकलीलैंड ने यह दर्शाने हेतु प्रमाण एकत्रित करने प्रारम्भ किये कि यह सम्बन्ध एक सामान्य प्रकार का है, जो न केवल यूरोपीय औद्योगिक क्रान्ति के परिप्रेक्ष्य में सत्य है अपितु आधुनिक जापान या प्राचीन ग्रीस के सम्बन्ध में भी सत्य है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पाया कि 'एन-एचीवमेंट' का स्तर एथिनियन ग्रीस में आर्थिक विकास के चरम बिन्दु से पूर्व के वृद्धिकाल में उच्चतम था तथा उस उच्चतम सम्पन्नता के काल तक पहुँचते-पहुँचते इस उच्च स्तर में गिरावट आ गयी जो एक तरह से आगे होने वाली आर्थिक गिरावट की भविष्यवाणी करता है। उन्होंने इसी प्रकार के सह-सम्बन्ध 16वीं शताब्दी के स्पेन के प्रकरण में, 16वीं शताब्दी तथा 1800 में इंग्लैंड तथा समकालीन प्राथमिक समाजों में भी पाये जाते हैं। परन्तु इन समाजों में आर्थिक विकास का मापन किस प्रकार से किया जाये, इस समस्या का निदान उन्होंने वहाँ पाये

जाने वाले 'व्यापारी—उद्यमियों' की संख्या की गणना के द्वारा किया। जिनको उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है— "ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण हो तथा वह अपनी उपभोग—क्षमता से अधिक उत्पादन का व्यक्तिगत अथवा गृह आय के लिए विक्रय करता हो।

इस अवधारणात्मक प्रारूप के आधार पर 1925 से 1940 के मध्य कोई 40 देशों के एन—एचीवमेंट का मापन बाल कहानियों तथा विद्युत—उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया। यहाँ पर उन्होंने 'विद्युत—उत्पादन की मात्रा' को आर्थिक वृद्धि के संकेतक के रूप में किया। उन्होंने इनमें पुनः एक उच्च सांख्यिकीय सह—सम्बन्ध पाया। ऐसे देश जिनमें एन—एचीवमेंट की मात्रा उच्च थी वे न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रुस थे अपितु इनमें टर्की, भारत, पाकिस्तान, बुलारिया, पुर्तगाल, तथा ग्रीस भी सम्मिलित थे तथा उन देशों में जिनमें एन—एचीवमेंट निम्न था तथा जिनकी आर्थिक वृद्धि अपेक्षा से कम थी उनमें न्यूजीलैंड, नार्वे, स्वीडन, इटली, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा जापान थे।

होजोलिज व शुम्पीटर से सहमति व्यक्त करते हुए मैकलीलैंड ने इस विचार को अग्रेषित किया कि 'एन—एचीवमेंट' तथा आर्थिक वृद्धि के मध्य की कड़ी व्यापार उद्यमी हैं। उद्यमी को अन्य व्यक्तियों से पृथक करने वाली विशेषता यह है कि वह थोड़ा जोखिम लेने तथा नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार रहता है यद्यपि उसका व्यवहार एक जुआरी की तरह नहीं होता अपितु उसके निर्णय तर्क तथा सटीक सूचनाओं पर आधारित होते हैं। इस प्रश्न पर कि कुछ समाजों में ही क्यों 'एन—एचीवमेंट' देखने को मिलते हैं, अन्य में नहीं, उनका तर्क है कि 'कुछ अच्छा करने की अभिप्रेरणा' आनुवांशिक या नैसर्गिक लक्षण नहीं होता अपितु उसे बाल्यकाल की प्रारम्भिक अवस्था में प्राप्त किया जाता है। उन्होंने पाया कि वे बालक जिन्हें आत्मनिर्भरता तथा सफलता की शिक्षा दी जाती है उनमें 'अच्छा करने की अभिप्रेरणा' विकसित हो जाती है। प्राधिकारवादी तथा हस्तक्षेप करने वाले परिजनों के बालकों में इसके विपरीत परिणाम आते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी देश में एन—एचीवमेंट को शिक्षा द्वारा विकसित किया जा सकता है। जिससे अधिक से अधिक बालक 'उद्यमिता आवेग' (entrepreneurship) को प्राप्त कर सकें।

रास्तोंव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं

कुछ सिद्धान्तकारों की दृढ़ मान्यता है कि समाजों की ऐतिहासिक प्रगति सदैव ही सरल, अविभेदीकृत व्यवस्थाओं की दिशा में हुई है। इनमें से सबसे अधिक जटिल व्यवस्था आधुनिक औद्योगिक समाज में पायी जाती है। इसके अतिरिक्त ये सिद्धान्तकार एकस्थीकरण सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए भी बाध्य हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सभी औद्योगिक समाज राजनीतिक विचारधारा से परे एक ही प्रकार के सामाजिक संगठन को अपनाने के लिए बाध्य हैं अर्थात् उनकी राजनीतिक विचारधारा चाहे जैसी भी हो परन्तु उनका सामाजिक संगठन एक जैसा ही होगा। इस प्रकार से विकासवादी प्रगति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिसके माध्यम से आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषताओं को प्राप्त किया जाता है। वस्तुतः विकासवादी सिद्धान्त का एक मूल भाग यह विश्वास है कि तृतीय विश्व में परम्परागत सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचनाएं प्रभावकारी आर्थिक योजनाओं की अभिवृद्धि को रोकती हैं तथा ऐसा दावा किया गया है कि ये समाज केवल उसी दशा में विकसित हो पायेंगे यदि इनकी प्रगति के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को दूर कर दिया जाये। आर्थिक दृष्टि से विकासवादी उपागम इस मान्यता

पर आधारित है कि: “that a free market economy compounded by an entrepreneurial enterprise culture will bring about a major take-off into growth’.” (एक ऐसी मुक्त बाजार आर्थिक व्यवस्था, जो साहसिक उद्यमिता संस्कृति से जुड़ी हुई हो, ‘अभिवृद्धि की दिशा में उड़ान’ लेने की स्थिति में जायेगी)।

इस परिप्रेक्ष्य (ट्रिटिकोण) का अनुसरण करने वाले (आधुनिकीकरण उपागम का प्रतिपादन करने वाले) सिद्धान्तकारों का दावा है कि उन समाजों में गरीबी तथा अल्पविकास की अवस्था इसलिए है क्योंकि इनमें औद्योगिक व्यवस्था को लाने के अनुरूप आंतरिक संरचनात्मक विशेषताओं का अभाव है। इन गरीब देशों में अविद्यमान इन विशेषताओं में निवेश पूँजी (investment capital) तथा उद्यमिता मूल्य (entrepreneurial values) के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी उपकरणों तथा उनका प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल भी सम्मिलित हैं। इसके बाद यह भी सुझाव दिया जाता है कि अल्प विकसित समाजों की इन अक्षमताओं को प्रगतिशील देशों के साथ अन्तःक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है।

कई आधुनिकीकरणवादी सिद्धान्तकारों ने उन उपायों को सुझाया है जिनसे तीसरी दुनिया के सरल कृषक समाजों में उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली को स्थापित करने में सहायता की जा सकती है। इन सिद्धान्तकारों में सबसे प्रमुख नाम डब्ल्यू. डब्ल्यू. रास्टॉव (W. W. Rostow) का आता है जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री है। इनकी पुस्तक *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* है जो सन् 1969 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन के उन प्रतिमानों का परीक्षण किया है जिन्होंने हमें ऐतिहासिक रूप से आधुनिक औद्योगिक समाजों की दिशा में अग्रसर किया है। तकनीकी को प्रगति की कुंजी के रूप में पृथक करते हुए उन्होंने ‘आर्थिक अभिवृद्धि का विवरण’ देने का प्रयास किया है जो उत्पादन के गतिशील सिद्धान्त पर आधारित है तथा इसकी व्याख्या वास्तविक समाजों के सन्दर्भ में की गयी है। रास्टॉव के इस सिद्धान्त को पश्चिमी औद्योगिक देशों के विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों के बीच समान रूप से स्वीकारा गया है। रास्टॉव के इस सिद्धान्त में प्रगति को निम्न पाँच अवस्थाओं में निरूपित किया गया है: प्रथम अवस्था: परम्परागत समाज (The traditional society); द्वितीय अवस्था: उड़ान के पूर्व की दशाएं (The pre-conditions for take off); तृतीय अवस्था: आर्थिक अभिवृद्धि की दिशा में उड़ान (take-off into economic growth); चतुर्थ अवस्था: परिपक्वता की ओर ले जाना (The Drive to maturity); तथा पंचम अवस्था: जन-उच्च उपभोक्तावाद का युग (The age of high mass consumption)। प्रथम अवस्था: परम्परागत समाज

इस अवस्था में समाज विपन्न अवस्था में होता है। कृषि की अवस्था केवल निर्वाहकारी होती है। इस सरल तथा अविभेदीकृत व्यवस्था के रूप में संगठित समाज में धर्म तथा आध्यात्मिक विद्याओं की प्रमुख भूमिका होती है। रास्टॉव के अनुसार “परम्परागत समाज वह है जिसकी संरचना सीमित उत्पादन के साधनों के अन्तर्गत विकसित होती है। इसकी उत्पादन प्रणाली न्यूटन से पहले के विज्ञान और तकनीकी पर आधारित होती है तथा भौतिक जगत के न्यूटन से पूर्व की प्रवृत्तियाँ इस समाज में प्रमुख स्थान रखती हैं। परन्तु परम्परागत समाज की यह अवधारणा किसी भी अर्थ में स्थिर नहीं है तथा यह उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना को नकारती नहीं है, प्रति एकड़ उत्पादन की दर में वृद्धि हो सकती है, कुछ अस्थायी तकनीकी अन्वेषण तथा प्रायः अधिक उत्पादन करने

वाले नवाचार व्यापार, उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में विकसित किये जा सकते हैं। सिंचाई के साथ इनों के विकास से अथवा एक नयी फसल की खोज व उसके प्रसार द्वारा उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। परन्तु परम्परागत समाज के बारे में केन्द्रीय तथ्य यह रहा है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन की दर एक स्तर पर आकर रुक जाती थी। इस स्थिरता का प्रमुख कारण यह था कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी के माध्यम से उत्पन्न सम्भावनाएं या तो उपलब्ध ही नहीं थी अथवा नियमित एवं व्यवस्थित रूप से लागू नहीं की गयीं थी।

इस प्रकार अतीत और वर्तमान दोनों ही कालों में परम्परागत समाजों की कहानी एक अन्तर्हीन परिवर्तन की कहानी है। इन समाजों में राजनीतिक और सामाजिक अशान्ति की मात्रा, केन्द्रीय शासन की क्षमता, सड़कों के रख-रखाव के साथ-साथ व्यापार की मात्रा व क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते थे। जनसंख्या के साथ-साथ कुछ सीमा तक जीवन-स्तर में भी उतार-चढ़ाव न केवल अनाज काटने के समय-क्रम पर निर्भर करता था अपितु युद्ध तथा प्लेग जैसी बीमारियों पर भी निर्भर था। दस्तकारी की भिन्न मात्राओं का विकास तो हुआ परन्तु कृषि की भाँति इसमें भी उत्पादन का स्तर आधुनिक विज्ञान तक पहुंच न होने के कारण सीमित ही रहा।

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि उत्पादकता सीमित होने के कारण इन समाजों को अपने संसाधनों का बड़ा भाग कृषि में लगाना पड़ा तथा कृषि व्यवस्था ने एक संस्तरित सामाजिक संरचना को जन्म दिया जिसमें उर्ध्व गतिशीलता (vertical mobility) की अपेक्षाकृत कम सम्भावनाएं थी। परिवारिक तथा वंश सम्बन्धों की दूसरे सामाजिक संगठन में भूमिका अधिक थी इन समाजों की मूल्य व्यवस्था दीर्घकालिक भाग्यवाद पर आधारित थी। अतः यह मान्यता सही है कि दो-तीन पीढ़ियों के अन्तराल में भी सम्भावनाओं के क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं आता था। परन्तु इस भाग्यवाद ने लघु-कालिक अवसरों की सम्भावनाओं को समाप्त नहीं किया था तथा अपने जीवन काल में व्यक्ति को अपने भाग्य में सुधार करने की सम्भावना थी तथा इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त थी।

यद्यपि इन परम्परागत समाजों में एक केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता का किसी न किसी रूप में अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर क्षेत्रों में अतिक्रमण था परन्तु राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केन्द्र उन क्षेत्रों में अथवा उन हाथों में होता था जो भूमि पर स्वामित्व अथवा नियन्त्रण रखते थे। भू-स्वामियों का इस प्रकार की राजनीतिक शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहता था यद्यपि उसमें भी उतार-चढ़ाव देखे जा सकते थे। इस प्रभाव का माध्यम शासकीय कर्मचारियों तथा सैनिकों के समर्थन से होता था; जो उनकी प्रवृत्तियों से प्रभावित तथा क्षेत्रों के हितों से नियन्त्रित होते थे।

इतिहास के दृष्टिकोण से हम 'परम्परागत समाज' के अन्तर्गत विश्व के उन सभी समाजों को रख सकते हैं जो न्यूटन से पहले अस्तित्व में थे; जैसे चीन का राजवंश, मध्य-पूर्व तथा भूमध्य सागर के क्षेत्र की सभ्यताएं; मध्य युग का यूरोप। इनमें हम न्यूटन के बाद के उन समाजों को भी सम्मिलित कर सकते हैं जो एक समय तक मनुष्य द्वारा अधिक लाभ के लिए अपने पर्यावरण को नियमित रूप से नियन्त्रित करने की नवीन क्षमताओं से अछूते रहे अथवा वंचित रहे हैं।

इस प्रकार के सभी समाजों को एक ही श्रेणी में रखने का आधार यह है कि इन सभी में आर्थिक तकनीकी के कारण उत्पादकता का स्तर एक सीमा तक सीमित रहा है। यद्यपि यह एक बहुत ही सीमित आधार है।

द्वितीय अवस्था: उड़ान से पूर्व की दशाएं

सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में तथा 18वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में पश्चिमी यूरोप में उड़ान से पूर्व की दशाएं विकसित हुई थीं। जब आधुनिक विज्ञान से प्राप्त अन्तर्ज्ञान का उपयोग कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में नवीन उत्पादन कार्यों में परिवर्तन हेतु किया जाने लगा जिसके फलस्वरूप समाज को एक गत्यात्मकता (dynamism) प्राप्त हुई क्योंकि इसने एक विश्व बाजार तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। परन्तु मध्य युग की समाप्ति से पहले की परिस्थितियाँ पश्चिमी यूरोप में उड़ान के पूर्व की दशाओं की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। पश्चिमी यूरोप के राज्यों में अपनी भौगोलिक, प्राकृतिक संसाधनों, व्यापार की सम्भावनाओं, सामाजिक व राजनीतिक संरचना की अनुकूलता के कारण ब्रिटेन वह पहला राज्य था जहाँ उड़ान के पूर्व की दशाएं पूर्णरूप से विकसित हो गयी थीं।

आधुनिक इतिहास में पाये जाने वाले सामान्य उदाहरणों में यह देखा गया है कि उड़ान की पूर्व दशाएं आन्तरिक रूप से उत्पन्न न होकर अधिक प्रगतिशील समाजों के बाहर से बलात् प्रवेश से उत्पन्न हुई हैं। इन आक्रमणों (साहित्यिक अथवा आलंकारिक) से परम्परागत समाज को धक्का पहुँचा तथा इनके विनाश का प्रारम्भ हुआ, परन्तु इन्होंने उन विचारों व भावनाओं का संचार भी किया जिन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जो इन परम्परागत समाजों के एक आधुनिक विकल्प की रचना प्राचीन संस्कृति से कर सके।

इससे न केवल यह विचार फैला कि आर्थिक प्रगति सम्भव है अपितु यह भी कि आर्थिक प्रगति कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए भी आवश्यक है, जो कि अच्छे माने गये हैं। चाहे यह राष्ट्रीय सम्मान हो, अथवा निजी लाभ अथवा सामान्य कल्याण अथवा बच्चों के लिए बेहतर जीवन की आकांक्षा हो। शिक्षा का कम से कम कुछ लोगों के लिए विस्तार होता है तथा यह आधुनिक आर्थिक गतिविधि की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेती है। नवीन प्रकार के उद्यमी व्यक्ति निजी एवं सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में आगे आते हैं जो बचत को बढ़ाने तथा लाभकारी कार्यों अथवा आधुनिकीकरण के कार्यों में जोखिम उठाने के इच्छुक होते हैं। पूँजी निवेश की प्रक्रिया को गतिशील करने के लिए बैंक तथा अन्य वित्त संस्थाओं का जन्म होता है। निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है, विशेष रूप से यातायात, संचार तथा उस कच्चे माल के क्षेत्र में, जिससे दूसरे देशों के आर्थिक हित जुड़े हो। आंतरिक व बाह्य वाणिज्य का विस्तार होता है तथा यहाँ-वहाँ नवीन प्रणालियों का उपयोग कर आधुनिक उत्पादन करने वाले उद्यमों का जन्म होता है। परन्तु ये सभी गतिविधियाँ एक आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं तथा समाज की पहचान तभी भी प्रमुख रूप से परम्परागत निम्न-उत्पादकता वाली प्रणालियों से, प्राचीन सामाजिक संरचना तथा मूल्यों से तथा क्षेत्रीयता पर आधारित राजनीतिक संस्थाओं से होती है जो इनके सम्पर्क से विकसित होती हैं। राजनैतिक रूप से, एक प्रभावशाली केन्द्रीय राष्ट्र का निर्माण पूर्वदशा-काल का एक निर्णायक पक्ष था तथा यह सार्वभौमिक रूप से उड़ान के लिए एक आवश्यक दशा भी थी।

तृतीय अवस्था— उड़ान की अवस्था (The Take-off)

अब हम आधुनिक समाजों के जीवन में आने वाले एक बड़े मोड़ पर अर्थात् इस क्रम की तीसरी अवस्था उड़ान की अवस्था पर आते हैं। उड़ान की अवस्था एक ऐसी मध्य अवस्था है जब

ठोस अभिवृद्धि के मार्ग में आने वाली पुरानी बाधाओं एवं प्रतिरोधों पर पूरी तरह से नियन्त्रण कर लिया जाता है। आर्थिक प्रगति की दिशा में कार्य कर रही शक्तियों का विस्तार होता है तथा समाज में इन का प्रभुत्व स्थापित होने लगता है।

उड़ान की अवस्था के अन्तर्गत नवीन उद्योगों का तेजी से विस्तार होता है जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में लाभ होता है। इसका एक बड़ा भाग नयी परियोजना में पुनः निवेशित कर दिया जाता है। इसके बदले में ये नये उद्योग फैक्टरी श्रमिकों के लिए अपनी तेजी से बढ़ रही आवश्यकताओं के माध्यम से उनको समर्थन करने के लिए सेवाओं को प्रेरित करते हैं तथा दूसरी उत्पादक वस्तुओं के लिए नगरीय क्षेत्रों में तथा अन्य आधुनिक परियोजनाओं में और अधिक विस्तार की संभावनाएं उत्पन्न करते हैं। आधुनिक क्षेत्र में विस्तारीकरण की पूरी प्रक्रिया उन लोगों की आय में वृद्धि करती है जो न केवल उच्च दर पर बचत करते हैं अपितु अपनी बचत को आधुनिक क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों में लगी संस्थाओं में निवेशित करते हैं। उद्यमियों के एक नये वर्ग का विस्तार होता है; तथा यह निजी क्षेत्र में पूँजी निवेश के बढ़ते प्रवाह को दिशा प्रदान करता है। आर्थिक व्यवस्था अभी तक अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों तथा उत्पादन की विधियों का भरपूर उपयोग करती है।

कृषि के साथ-साथ उद्योग के क्षेत्र में भी नवीन तकनीकों का विस्तार होने लगता है। कृषि का बाजारीकरण होने लगता है तथा अधिक से अधिक किसान नवीन् तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा उनकी जीवन शैली में भी गहन परिवर्तन आने लगता है। कृषि-उत्पादकता में क्रान्तिकारी परिवर्तन सफल उड़ान के लिए एक आवश्यक परिस्थिति है। समाज का आधुनिकीकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादों पर होने वाले खर्च में भारी वृद्धि हो। एक या दो दशक के मूलभूत संरचना के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक संरचना भी इस प्रकार रूपान्तरित हो जाती है कि इसके पश्चात् आर्थिक अभिवृद्धि की एक अपरिवर्ती दर को नियमित रूप से बनाये रखा जा सकता है।

चतुर्थ अवस्था—परिपक्वता की ओर प्रस्थान (The Drive to Maturity)

उड़ान की अवस्था के पश्चात् स्थिर अभिवृद्धि का एक लम्बा काल आता है। अब नियमित रूप से प्रगति कर रही आर्थिक व्यवस्था अपनी आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी का विस्तार करती है। राष्ट्रीय आय के करीब 10 से 12 प्रतिशत भाग का दृढ़तापूर्वक निवेश इस बात को निश्चित करने के लिए किया जाता है कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से उत्पन्न पिछड़ेपन को नियमित रूप से उत्पादन बढ़ाकर दूर किया जा सके। तकनीकी में सुधार के साथ-साथ आर्थिक व्यवस्था के स्वरूप में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है तथा नवीन उद्योगों के विकास की गति तीव्र होती है तथा पुराने उद्योगों का पतन होने लगता है। आर्थिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में अपना एक स्थान बना लेती है: पूर्व में आयात की जा रही वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में होने लगता है; आयात की नवीन आवश्यकताओं का विकास होने लगता है तथा उनके अनुरूप निर्यात की जा सकने वाली वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है। समाज में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जो आधुनिक प्रभावशाली उत्पादन की आवश्यकताओं के अनुकूल हों तथा पुराने मूल्यों व संस्थाओं का नये मूल्यों व संस्थाओं के साथ सन्तुलन स्थापित करने में सक्षम हों अथवा पुराने मूल्यों व संस्थाओं को इस प्रकार से संशोधित करते हों जिससे वे आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने के स्थान पर उसका समर्थन करने लगें।

उड़ान की अवस्था प्रारम्भ होने के साठ वर्ष पश्चात् अथवा इसकी समाप्ति के 40 वर्ष बाद परिपक्वता की अवस्था को सामान्यत प्राप्त कर लिया जाता है। उड़ान की अवस्था में अर्थ—व्यवस्था, जो अपेक्षाकृत रूप से उद्योग व तकनीकी के एक संकीर्ण दायरे में केन्द्रित थी, अब अपने क्षेत्र का विस्तार अधिक परिष्कृत तथा तकनीकी रूप से अधिक जटिल प्रक्रियाओं की ओर करती है; उदाहरण के लिए रेलवे उद्योग की अवस्था में, कोयला, लोहा तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योग से मशीनी—उपकरणों, रसायनिकों तथा विद्युत उपकरणों की ओर एक ऐसा परिवर्तन था जिससे 19वीं शताब्दी के अन्त में अथवा उसके तुरन्त बाद जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका गुजर चुके हैं। औपचारिक रूप से परिपक्वता की अवस्था को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें अर्थव्यवस्था उन मूल उद्योगों से आगे जाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है जिन्होंने इसकी उड़ान को शक्ति प्रदान की थी तथा अपने असीमित संसाधनों का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करने लगती है। यदि सभी संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं भी कर पाती है तो भी आधुनिक तकनीकी के सबसे अधिक स्वादिष्ट फलों का स्वाद तो प्राप्त कर ही लेती है।

पंचम अवस्था: उच्च जन—उपभोक्तावाद का युग (Stage V: The Age of High Mass-consumption)

अब हम उच्च जन—उपभोक्तावाद के युग में प्रवेश करते हैं जहाँ शीघ्र ही प्रमुख क्षेत्र चिर—स्थायी उपभोक्ता सामग्री तथा सेवाओं की ओर उन्मुख होते हैं। जैसे—जैसे समाजों ने 20वीं शताब्दी में परिपक्वता की अवस्था को प्राप्त किया दो प्रमुख घटनाएं घटित हुईः

(१) प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में एक ऐसे बिन्दु तक वृद्धि हुई जहाँ एक बड़ी संख्या में लोगों ने उपभोग पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया तथा जिसने उपभोग को भोजन, आवास तथा वस्त्र की मूल आवश्यकताओं से और आगे बढ़ाया;

(२) श्रम शक्ति की संरचना भी परिवर्तित हुई। न केवल पूरी जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई अपितु कार्यालयों में काम करने वाली अथवा फैक्टरी में अभ्यस्त व्यवसाय करने वाले श्रमिकों की जनसंख्या के अनुपात में भी वृद्धि हुई। ये वर्ग परिपक्व आर्थिक व्यवस्था के उपभोगीवादी फलों को प्राप्त करने के प्रति जागरुक होने के साथ—साथ उत्सुक भी थे।

इन आर्थिक परिवर्तनों के अतिरिक्त समाज में आधुनिक तकनीकी को आक्रमणकारी उद्देश्य के रूप में स्वीकार करना समाप्त हो गया। परिपक्वता के बाद की इस अवस्था में, उदाहरण के लिए, पश्चिमी समाजों ने राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का मार्ग चुना। कल्याणकारी राज्य का उदय समाज के तकनीकी परिपक्वता से आगे की ओर बढ़ने को प्रकट करता है। परन्तु इसी अवस्था में यह भी होता है कि संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन तथा बड़े पैमाने पर सेवाओं के विस्तार में किया जाता है। सिलाई मशीन, साईकिल तथा इसके बाद विभिन्न घरेलू विद्युत उपकरणों का धीरे—धीरे विस्तार हुआ। यद्यपि ऐतिहासिक रूप से इसमें सस्ते आटोमोबाइल वाहनों की सामाजिक जीवन और अपेक्षाओं पर पड़ने वाले क्रान्तिकारी प्रभावों सहित निर्णायक भूमिका रही। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्णायक अवस्था शायद हेनरी फोर्ड द्वारा (1913—1914) में

लिए गये कदम थे; परन्तु 1920 के दशक तथा बाद में विश्वयुद्ध के बाद के दशक (1946–1956) में विकास की इस अवस्था को प्राप्त किया गया। 1950 के दशक में पश्चिमी यूरोप तथा जापान ने पूर्ण रूप से इस अवस्था को प्राप्त किया। सोवियत संघ भी तकनीकी रूप से इस अवस्था के लिए तैयार है तथा इसके नागरिक हर प्रकार से इसे प्राप्त करने को उत्सुक भी हैं; परन्तु कम्यूनिस्ट नेताओं को कठिन राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना होगा यदि वे इस ओर आगे बढ़ते हैं।

रास्ताँव ने यह बताया है कि उसके विचार से सरल व परम्परागत समाजों के आधुनिक औद्योगिक उत्पादन व्यवस्थाओं में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में दो प्रमुख कारक सन्निहित हैं। प्रथम स्थान पर वह गैर-आर्थिक कारकों (non-economic factors) जैसे विचार तथा प्रवृत्तियों को रखता है जिसमें उद्यमितावादी मूल्यों को स्वीकार करना सम्मिलित है। इसके द्वारा नवीन अभिजन वर्ग का नेतृत्व उत्पन्न होता है तथा एक आधुनिक औद्योगिक समाज के निर्माण की सम्भावना जन्म लेती है तथा प्रोटेस्टेन्ट आचार संहिता किसी भी प्रकार से आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट रूप से अनुरुप नहीं हैं। नये अभिजन वर्ग के सदस्य आधुनिकीकरण को एक सम्भव कार्य मानते हैं जो उन उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है जिन्हें वे नैतिक रूप से सही अथवा लाभकारी मानते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह नवीन अभिजन वर्ग एक सीमा तक पुराने भू-स्वामियों के अभिजन वर्ग से सामाजिक तथा राजनीतिक सत्ता की दौड़ में आगे निकल जाता है। यहाँ रास्ताँव ने इस बात की वकालत की है कि अल्प विकसित समाजों में प्रगतिशील समाजों के प्रमुख मूल्यों (उद्यमितावाद, प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवाद आदि) का प्रचार करना चाहिये। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि ऐसे समाजों के बड़े-बड़े जनसंख्या केन्द्रों में ऐसे स्थानीय अभिजनों को प्रतिरोपित किया जाये जो उन नागरिकों में से हो जिन्होंने प्रगतिशील समाज की मूल्य-व्यवस्था को अपना लिया है। एक बार यदि ऐसे समूह को समाज में स्थापित करके उस पर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाये तो अन्य संस्थाओं व संगठनों को स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल कार्य है। रास्ताँव ने अपने इस प्रारूप में कुछ आर्थिक कारकों का भी जिक्र किया है जो उसके विचार से इस परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं। इन कारकों को उसने दो श्रेणियों में रखा है:

(1) लोगों को अपने धन को दीर्घकाल के लिए, उच्च जोखिम पर नवीन उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहना चाहिये। उन्हें अपने धन को आधुनिक उद्योगों में लगाना चाहिये;

(2) कृषि का उपयोग अधिक से अधिक खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए किया जाना चाहिये। खाद्यान्न की आवश्यकता जनसंख्या के बढ़ने से उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगी, साथ ही अकाल अथवा विदेशी मुद्रा के समाप्त होने की सम्भावना को समाप्त करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।

रास्ताँव तथा अन्य विकासवादी सिद्धान्तकारों के अनुसार अल्प-विकसित समाजों की अपेक्षाकृत गरीबी, उत्पादन की नवीन औद्योगिक विधियों के विकास के लिए निवेश की जाने वाली आवश्यक पूँजी के उपलब्ध न होने से उत्पन्न हुई है। इन गरीब देशों की जनता उस पूँजी को स्वयं उत्पन्न करने में अक्षम है। अतः रास्ताँव की मान्यता है कि आर्थिक अभिवृद्धि के लिए आवश्यक प्रेरणा तथा आधार प्रदान करने के लिए विकसित देशों को इन देशों में अपनी पूँजी का निवेश करना चाहिये। इस प्रकार की अभिवृद्धि से उत्पन्न सम्पदा सम्पूर्ण गरीबी को दूर करेगी तथा

आगे के विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हुए समाज की आर्थिक प्रगति को और बढ़ावा देगी। रॉस्टाव के विचार से विकासशील देशों में कृषि के क्षेत्र से पूँजी का कुछ भाग उत्पन्न होने की सम्भावना तो है परन्तु उसे यह भय है कि इससे क्षमता के उस आवश्यक स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा जो कि औद्योगीकरण के मार्ग पर चल कर प्राप्त किया जा सकता है। उसने सरल सामाजिक संरचना से जटिल औद्योगिक स्वरूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में पूँजीवादी उपकरणों तथा तकनीकी के महत्व पर बल दिया है। परन्तु फिर भी वह यह स्पष्ट नहीं करता कि विकासशील देशों में पूँजी तथा तकनीकी कौशलों का विस्तार किस प्रकार से किया जाये। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विकसित देश अपनी पूँजी को दान के रूप में देंगे अथवा ऋण के रूप में। आधुनिकीकरणवादी सिद्धान्त कारों ने तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक अभिवृद्धि को बढ़ावा देने के जोश में औद्योगिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐसा करने में उन्होंने एक ऐसा अमूल्य आधार प्रदान किया है जिस पर विकसित विश्व के राजनेता तथा कोषाध्यक्ष अपनी असली वैचारिक उद्देश्य को छिपाकर उन देशों में अपना आश्रय स्थल बना सकेंगे। जैसी कि हूगवेल्ट ने टिप्पणी की है: “Structural-functional theories of modernization have in fact very usefully served as an ideological mask-camouflaging the imperialist nature of western capitalism. The Western capitalist system for its very own survival needed and still needs to expand” (A.M.M. Hoogvelt, The Sociology of Developing Societies, Mac millan , 1983, pp. 61-62). अर्थात् “आधुनिकीकरण का संरचनात्मक—प्रकार्यवादी सिद्धान्त वास्तव में पश्चिमी पूँजीवाद की साम्राज्यवादी प्रकृति के झूठे मुखोटे के रूप में कार्य करने के लिए उपयोगी है। पश्चिमी पूँजीवादी व्यवस्था को अपने स्वयं के अस्तित्व के बनाये रखने के लिए और आगे विस्तार करने की आवश्यकता है।” इस झूठे मुखोटे को हटाने तथा विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य सम्बन्ध के वास्तविक चरित्र को बेनकाब करने के प्रयास उन विद्वानों ने किये हैं जो एक विपरीत दृष्टिकोण से विकास का विश्लेषण करते हैं। अल्पविकास की समस्या को एक दम विपरीत ध्रुव से देखते हुए वे तीसरे विश्व की गरीबी को अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवाद के शोषणकारी चरित्र का एक स्वाभाविक परिणाम मानते हैं इन विश्लेषकों की खोजें प्रमुख रूप से कार्ल मार्क्स के सिद्धान्त पर आधारित रही हैं। इनमें से एक प्रमुख विद्वान आन्द्रे गुन्डर फ्रेन्क हैं। आन्द्रे गुन्डर फ्रेन्क ने रास्तांव के इस मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Latin America: Underdevelopment or Revolution? (1969) में की है। आन्द्रे गुण्डर फ्रेन्क इन प्रमुख विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जिन्होंने अल्प-विकास (Under development) के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के साथ-साथ निर्भरता-सिद्धान्त (Dependency Theory) को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

रास्तांव की आलोचना करते हुए फ्रेन्क कहते हैं कि:- “रॉस्टाव की अवस्थाएं और सिद्धान्त दोनों ही मूल रूप से गलत हैं क्योंकि वे उन अल्प विकसित देशों की भूतकाल तथा वर्तमान काल की वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं जिनको वे निर्देशित करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि रास्तांव के सिद्धान्त में अल्पविकास को परम्पराप्रगत समाजों की मूल अवस्था के रूप में देखा गया है तथा यह मान लिया गया है कि अल्पविकास की वर्तमान अवस्था से पूर्व कोई अन्य अवस्था नहीं थी। रास्तांव के इस सिद्धान्त में आगे यह और भी स्पष्ट रूप से दिखायी देता है कि आज के विकसित समाज एक समय अल्प विकसित थे। परन्तु यह सब तथ्यों के विपरीत है। आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रति यह सम्पूर्ण दृष्टिकोण जहाँ विकसित देशों के इतिहास का सन्दर्भ

देता है वहीं यह अल्पविकसित समाजों के सम्पूर्ण इतिहास को नकारता है। वे देश जो आज अल्प-विकसित हैं उनका इतिहास विकसित समाजों के इतिहास से कहीं भी कमतर नहीं है। उनमें से एक की भी आज की स्थिति (उदाहरण के लिए भारत की आज की स्थिति) ऐसी नहीं है जैसी कि वह कुछ दशकों पूर्व थी अथवा कुछ शताब्दी पूर्व थी। इसके अलावा विश्व-इतिहास के बारे में किसी स्कूली छात्र से भी इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि आज के अल्पविकसित समाजों का इतिहास (आज के) विकसित देशों के इतिहास से बहुत गहन रूप से जुड़ा हुआ रहा है कम से कम कुछ शताब्दियों तक तो ऐसा था ही।

वस्तुतः पन्द्रवीं शताब्दी के पश्चात् यूरोप के आर्थिक और राजनीतिक विस्तार ने आज के अल्पविकसित देशों को विश्व-इतिहास की एक धारा में सम्मिलित कर लिया जिसने जहाँ एक ओर कुछ राष्ट्रों के वर्तमान विकास को बढ़ावा दिया, वहीं अन्य राष्ट्रों के अल्प विकास को भी बढ़ाया। यद्यपि अल्पविकसित देशों के लिए सिद्धान्त एवं नीतियां बनाने के अपने प्रयास में रास्ताँव और अन्य सिद्धान्तकार कुछ इस प्रकार का आभास देते हैं जैसे कि विकसित देश विश्व इतिहास की इस धारा से अलग-थलग रहकर विकसित हुए हों। आज विश्व में ऐसे किसी समाज या देश को खोज पाना असम्भव कार्य है जो रास्ताँव की पहली अवस्था—परम्परागत अवस्था में हो। ऐसा तभी सम्भव है जब कोई अपनी आँखें ही बन्द कर ले। इसमें कोई आश्वर्य नहीं, क्योंकि रास्ताँव इन अवस्थाओं के निर्माण करते समय न तो अल्प विकसित समाजों के इतिहास को ही ध्यान में रखता है और न ही पिछली कई शताब्दियों में इनके आज के विकसित राष्ट्रों के साथ रहे महत्वपूर्ण सम्बन्धों पर ही कोई ध्यान देता है। रास्ताँव का यह दृष्टिकोण उस तथ्य को नष्ट करता है कि इन सम्बन्धों के माध्यम से आज के विकसित देशों ने इन समाजों की पहले की सामाजिक संरचना (चाहे वह परम्परागत रही हो अथवा न रही हो) का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया था। भारत के प्रकरण में यह सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है जिसका कि नियोगीकरण (de-industrialization) कर दिया गया था। अफ्रीका, जहाँ दासों के व्यापार ने उपनिवेशवाद से बहुत पहले ही समाज को रूपान्तरित कर दिया था; तथा लेटिन अमेरीका, जहाँ 'इन्का' (inca) (स्पेन द्वारा जीत लिए जाने से पहले का पेरु समाज) तथा ऐजटेक (A'ztecs; 1519 में कोर्टेस (Cortes) द्वारा जीत लिये जाने से पूर्व की मैक्सिकन सभ्यता) की सभ्यताओं को पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया गया। व्यापारियों, पूँजीवादी महानगरों तथा इन उपनिवेशों के बीच सम्बन्ध ने टेबुला रेज़ा (Tabula Raza) देशों—अर्जेन्टीना (Argentina) ब्राजील (Brazil) तथा वेस्ट इंडीज (West Indies) में पहले से विद्यमान संरचना को हटाने में सफलता प्राप्त की तथा अन्य देशों में उसने घुसपैठ करने में सफलता प्राप्त कर ली। जिसके फलस्वरूप इन देशों की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक संरचना अब अल्पविकसित संरचना (underdeveloped structure) है। एक ही ऐतिहासिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आज के अल्पविकसित तथा (आज के) विकसित देशों के मध्य इस दीर्घकालिक सम्बन्ध ने अल्पविकसित देशों में निर्यात के क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं किया (आज सार्वभौमिक रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है तथा ये अभी अनुभवाश्रित तथा सैद्धान्तिक रूप से विसंगति पूर्ण दोहरे समाज अथवा आर्थिक प्रबन्ध रखते हैं) अपितु इसके विपरीत इस ऐतिहासिक सम्बन्ध ने उन समाजों के सम्पूर्ण सामाजिक ताने-बाने को रूपान्तरित कर दिया है जो देश आज के अल्प विकसित देश हैं। यदि रास्ताँव के प्रारूप की पहली अवस्था—परम्परागत अवस्था को आज किसी

भी अल्प विकसित देश मे नहीं खोजा जा सकता, तो उसकी दूसरी अवस्था जिसमें आर्थिक विकास के लिए उड़ान लेने की पूर्व-दशाएं सम्मिलित हैं, अपनी अनुपस्थिति के कारण और भी विशिष्ट है। रॉस्टॉव की द्वितीय अवस्था की विशेषता बाहर से विशेषतया विकसित देशों में उत्पन्न किये गये प्रभावों के द्वारा अल्प-विकसित देशों का विभेदन है तथा इनको अल्प-विकसित देशों में विसरित करना है, जहाँ वे परम्परावादी ढाँचे का विनाश करते हुए उन पूर्वदशाओं को उत्पन्न करेंगी जो इसके तुरन्त बाद उड़ान की अवस्था (तीसरी अवस्था) की ओर ले जायेंगे। रॉस्टॉव के सिद्धान्त में दूसरी अवस्था की तथ्यात्मक गलती इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसकी संक्षेप में चर्चा की जा सकती है। जैसा कि हमने प्रथम अवस्था के सन्दर्भ मे देखा था, विश्व के एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका का अल्प विकसित भाग, यदि वे रॉस्टॉव के अर्थ में परम्परागत रहें भी हो, तो भी यूरोप से अपने सम्पर्क से पूर्व वर्तमान काल के विकसित महाकेन्द्रों से उत्पन्न हुए प्रभावों द्वारा विभेदित तथा वहाँ की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित रह चुके हैं और अभी भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। (रास्टॉव का यह कथन भ्रान्ति पूर्ण है कि वर्तमान अल्पविकसित देश पहले उन यूरोप के देशों के सम्पर्क में नहीं थे तथा वे परम्परागत समाज में रह रहे थे, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरीका में रही उच्च कोटि की सभ्यताएं तथा तत्कालीन तकनीकी के विकास को देखते हुए यह परिकल्पना भ्रान्ति पूर्ण लगती है। फिर भी ये महाकेन्द्रीय परिस्थितियाँ तथा प्रभाव, जिनका इतिहास एक शताब्दी से लेकर कई शताब्दियों का है, इन 75 देशों में से एक भी देश में आर्थिक विकास के संदर्भ में 'उड़ान की अवस्था' (take off stage) को नहीं ला पायी जिन्हें 1964 की जेनेवा मे विश्व व्यापार तथा विकास पर हुई कानफ्रेंस में उड़ान की अवस्था (take off) में बताया गया था।

अल्पविकसित देशों से प्राप्त तथ्यात्मक साक्ष्य रॉस्टॉव के सिद्धान्त के लिए विनाशकारी हैं। यह साक्ष्य उन टेबुला रेज़ा (Tabula Raza) देशों से हैं जो विकसित हो रही वाणिज्यक तथा पूंजीवादी व्यवस्था में सम्मिलित करने से पूर्व जनसंख्या विहीन (निर्जन) थे। आज लेटिन अमेरिका के आधे से अधिक क्षेत्र और जनसंख्या दोनों ही (विशेष रूप से अर्जेन्टीना, यूरुग्वे (Uruguay), ब्राजील तथा वेस्ट इंडीज के सभी देश) उन क्षेत्रों मे आते हैं जो यूरोप में केन्द्रित व्यापारिक व्यवस्था में सम्मिलित होने के समय या तो पूर्ण रूप से निर्जन थे अथवा सम्पर्क के पूर्व की जनसंख्या का तीव्र विनाश करके पूर्णरूप से दुबारा बसाये गये। इनमें से किसी भी देश ने रास्टॉव की पहली अवस्था का सामना नहीं किया: व्यापारिक महाकेन्द्रों ने उन क्षेत्रों पर विजय पाकर वहाँ अपने राज्य इसलिए स्थापित नहीं किये थे कि वे वहाँ पर रास्टॉव के परम्परावाद को स्थापित करें अपितु इसका प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक खानों, चीनी मिलों, तथा पशु-संवर्धन शालाओं की स्थापना करके उनका शोषण करना था। यदि इन देशों द्वारा सीधे ही रास्टॉव की द्वितीय अवस्था में कदम रखने से कुछ प्राप्त हुआ है तो वह यहाँ की शोषणकारी व्यवस्था है। परन्तु चार शताब्दियों से भी अधिक समय बीत जाने पर भी रोस्टॉव की द्वितीय अवस्था तथा सम्पर्क इन क्षेत्रों को तृतीय अवस्था में नहीं ले जा पाये, यदि हम चतुर्थ और पंचम अवस्था की बात को छोड़ भी दें। आज से पहले के इन निर्जन क्षेत्रों की अवस्था उन पहले से आबाद क्षेत्रों की भाँति ही अल्पविकसित है जो यूरोप की व्यापारिक और पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ दिये गये थे। वास्तव मे रास्टॉव की द्वितीय अवस्था की धारणा के विपरीत तथा अधिकतर विसरणवादी सिद्धान्तों के

विपरीत उन देशों का जितना अधिक सम्पर्क उन महाकेन्द्रों के साथ रहा उतना ही वे अल्प-विकसित वे आज हैं। (अनेकों ऐसे उदाहरणों में ब्राजील के उत्तर पूर्वी तथा केरेबियन सागर के चीनी का आयात करने वाले क्षेत्र, ब्राजील, बेलिया तथा पेरु के केन्द्र में स्थित पूर्व से खनिज का आयात करने वाले भाग, इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।)

अल्पविकसित राष्ट्रों से प्रचुर मात्रा में प्राप्त साक्ष्य यह दर्शाती है कि रास्ताँव की पहली और दूसरी अवस्थाएं काल्पनिक हैं। इन देशों से प्राप्त तथ्य (समकालीन साक्ष्य) यह दर्शाते हैं कि उसकी बाद की दो अवस्थाएं अव्यवहारिक हैं। अन्त में, यदि ये देश अगर आज स्वयं को चौथी अथवा पांचवी अवस्था में पाते तो हम उन्हें अल्प विकसित नहीं कहते और रास्ताँव को अपनी उन अवस्थाओं की खोज नहीं करनी पड़ती। रास्ताँव की इस व्याख्या में सबसे अधिक काल्पनिक उसकी अन्तिम दो अवस्थाएं हैं जो कि पहली दो अवस्थाओं और तीसरी अवस्था का योग मात्र हैं जबकि अल्पविकसित राष्ट्रों की दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता उनके अल्पविकास की संरचना है जिससे रास्ताँव अपने परम्परावाद तथा बाह्य रूप से उत्पन्न की गई, पूर्वदशाओं से छिपाना चाहता है साथ ही वह उन देशों से उनके संरचनात्मक सम्बन्धों का भी कोई जिक्र नहीं करता जिन्होंने एक लम्बे काल तक इन देशों को बाद की दो अवस्थाओं में पहुँचने से रोका है। रास्ताँव के हिसाब से तब हमारे सामने केवल तीसरी अवस्था रह जाती है। फ्रेंक के अनुसार रास्ताँव के पूरे तर्क-वितर्क में तीसरी और दूसरी अवस्थाओं में महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं।

रास्ताँव चाहता है कि हम यह विश्वास कर लें कि तीसरी अवस्था (उड़ान की अवस्था) में उसने अल्पविकास तथा विकास की संरचनाओं के मध्य होने वाले गत्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन (dynamic qualitative change) का सैद्धान्तिक रूप से विश्लेषण किया है जबकि उसका सिद्धान्त गत्यात्मक (dynamic) है ही नहीं तथा वह संरचनात्मक विशेषताओं अथवा परिवर्तन को पृथक नहीं कर पाता, क्या वह अल्प विकास और विकास की संरचना को भी अपने सिद्धान्त में सम्मिलित कर पाता है ? इसके विपरीत वह इस पर पूर्णरूप से विचार करने में असफल हुआ है। इतिहास के अधिकतर अवस्थावादी सिद्धान्तों की भाँति ही रास्ताँव की यह सारी कसरत अवस्थाओं में तुलनात्मक विश्लेषण तक ही सीमित रह गयी है। विकास की अवस्थाओं की पहचान करते समय वह इस बारे में कुछ नहीं बताता कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था को किस प्रकार से प्राप्त किया जाये। तीसरी अवस्था तथा अन्य अवस्थाओं में भी यही स्थिति है। रास्ताँव के माडल में गत्यात्मकता का अभाव हमें आश्चर्य चकित नहीं करता; क्योंकि जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि उसकी ये अवस्थाएं भी अवास्तविक हैं; तथा उसकी ये अवस्थाएं अल्पविकसित देशों की किसी भी वास्तविकता से मेल नहीं खाती तब उसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकास अल्पविकसित विश्व की वास्तविकता से किस प्रकार मेल खा सकता है?

डेनियल लर्नर का आधुनिकीकरण का सिद्धान्त

डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक 'दी पासिंग ऑफ ड्रेडिशनल सोसायटी (1958)' में आधुनिकीकरण का एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसका आधार उनके द्वारा मध्य-पूर्व के देशों में किया गया एक अध्ययन था। उनके इस अध्ययन की जन संचार माध्यमों के प्रयोग में अमेरिकी विचारों को स्वरूप प्रदान करने तथा उपनिवेशवाद से मुक्त देशों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लर्नर ने अपने इस प्रारूप में विकास को त्वरण

प्रदान करने में संचार माध्यमों की भूमिका पर अत्याधिक ध्यान दिया है। इस अध्ययन की एक विशेषता यह थी कि यह 1940 के दशक के अन्तिम वर्षों में अमेरिकी सरकार द्वारा अनुदानित एक प्रोजेक्ट था जिसका मूल उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या मध्य-पूर्व के देशों में “वॉयस ऑफ अमेरिका” के प्रसारण सुन रहे थे तथा इन कार्यक्रमों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी। 1950 के दशक के मध्य मे लर्नर ने अध्ययन के आंकड़ों का पुनर्विश्लेषण एक नये अवधारणात्मक प्रारूप के सन्दर्भ में किया जिसमें पश्चिमी संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित मूल्य व विचार मध्य-पूर्व के देशों को परम्परागत व प्राथमिक देशों से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वरूप वाले आधुनिक देशों में रूपान्तरित कर सकते थे।

लर्नर का आधुनिकीकरण का सिद्धान्त स्पष्ट था कि कोई भी देश आधुनिक बन सकता है। कोई भी राष्ट्र परम्परागत अथवा पिछड़ा बनने का लक्ष्य नहीं रखता। आधुनिक बनने के लिए, किसी राष्ट्र के नागरिक को केवल उन पश्चिमी देशों के लोगों के विचारों तथा क्रियाओं का अनुकरण करना होगा जो पूर्व में परम्परा से संबद्ध पिछड़ेपन से दूर जाकर आधुनिक विश्व में प्रवेश कर चुके हैं। वे लोग अथवा देश जो आधुनिक पश्चिमी जगत के ‘नवीन तरीकों’ के साथ अनुकूलन करने तथा पश्चिमी आदर्शों को स्वीकार करने प्रति अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं, वे इस परिवर्तन के लिए स्वाभाविक अथवा आनुवांशिक रूप से अक्षम नहीं हैं परन्तु अपने पिछड़ेपन (जिसको परम्परागत सांस्कृतिक व्यवहारों के रूप में देखा जा सकता है) के कारण इन्हें अस्थिर समझा जाना चाहिये। लर्नर के आधुनिकीकरण के सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. पश्चिमी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक मूल प्रारूप है जिसका अनुसरण किसी भी समाज को आधुनिक बनने के लिए करना चाहिये।

2. पश्चिमी समाज अभी भी सामाजिक लक्षणों (शक्ति, सम्पदा, कौशल, तार्किकता) का सबसे अच्छा प्रारूप प्रदान करते हैं। गतिशीलता की अवधारणा पश्चिमी आधुनिकीकरण का केन्द्रीय तत्व है (औद्योगिक क्रान्ति में बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने गांवों से शहर की ओर पलायन किया था)

3. पश्चिमी समाजों में यह आधुनिकीकरण (न कि पूँजीवाद) वह प्रमुख कारक है जो उन समाजों में सामाजिक गतिशीलता के मूल स्वरूप के लिए उत्तरदायी है। पश्चिमी समाजों में इस प्रकार की बृहद गत्यात्मकता का कारण व्यक्तियों द्वारा एक नयी जीवन शैली की तलाश को मानते हुए लर्नर ने इस बात पर बल दिया है “कि वे परिवर्तन के विचार से सीधे अनुभव द्वारा निकट से जुड़ गये”।

4. यह भौतिक गतिशीलता ही थी अपने साथ सामाजिक गतिशीलता को भी ले आयी तथा उसके साथ ही पूँजीवादी मूल्यों की एक ऐसी व्यवस्था (system of bourgeois values) का परिचालन उत्पन्न हुआ जो परिवर्तन को सामान्य मानती है।

सामाजिक संघटन (Social Mobilization)

सामाजिक संघटन व्यक्तियों को परिवर्तन के लिए और अधिक तैयार कर देता है। ऐसा वह उन्हें अपना घर, अपना व्यवसाय, अपने साथी तथा अपनी संचार प्रक्रिया को बदलने की अभिप्रेरणा अथवा शिक्षा आदि दे कर करता है। सामाजिक संघटन नयी आवश्यकताओं, नयी अभिलाषाओं, नयी मांगों, को उत्पन्न करता है। इसमें जनसंख्या के राजनीतिक विकास में वृद्धि हो

जाती है। लर्नर ने तार्किकता को पश्चिमी समाजों के एक विशेष गुण के रूप में देखते हुए इस बात पर बल दिया है कि गत्यात्मक समाज (mobile society) तार्किकता को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि चुनाव की गणना व्यक्तिगत व्यवहारों तथा उसके पारितोषिकों की दशाओं को आकार प्रदान करती है। व्यक्ति अपने भविष्य को नियति न मानकर प्रबन्धित मानते हैं तथा अपनी व्यक्तिगत सम्भावनाओं को प्रदत्त न मानकर अर्जित मानते हैं।

परम्परागत से आधुनिक मे विकास

यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के इतिहास के आधार पर लर्नर का कथन है कि आधुनिकीकरण का प्रारम्भ सामाजिक संघटन से होता है, जब किसी राष्ट्र की ग्रामीण जनसंख्या गांवों से शहर की ओर पलायन करना प्रारम्भ कर देती है। उनके शब्दों में—“from farms to flats, from fields to factories” (“फार्मों से फ्लैटों में, खेतों से फैक्ट्रियों में”)। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि से नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है तथा इसके साथ ही अनेक प्रकार की मांगों की उत्पत्ति होती है—जैसे—स्कूल, जनसंचार माध्यम, मुक्त व्यापार हेतु बाजार, तथा अन्य आधुनिक तथा लोकतांत्रिक रूप से संगठित संस्थाएं। अन्ततः जैसे—जैसे साक्षरता तथा जनसंचार माध्यमों के उपभोग में वृद्धि होती है, त्यों—त्यों आर्थिक सहभागिता (भौतिक उपभोग के उच्च स्तरों के रूप में) के सामान्य स्तरों में भी वृद्धि होती है। लर्नर ने उपभोग वस्तुओं को खरीद पाने की क्षमता तथा मतदान को एक आधुनिक राष्ट्र के कुछ स्पष्टतम संकेतकों में माना है।

जनसंचार माध्यमों की भूमिका

आधुनिकीकरण के इस सिद्धान्त को आकर्षक तथा प्रबल बनाने में जन संचार माध्यमों को प्रमुख भूमिका प्रदान की गयी है। लर्नर की मान्यता है कि पश्चिम से प्राप्त संचार संदेशों (messages) तथा चित्रों (images) का प्रकटीकरण (exposure) उत्तर औपनिवेशिक विश्व में स्थित व्यक्तियों को विचारने तथा कार्य—सम्पादन के परम्परागत तरीकों को छोड़कर उनके स्थान पर आधुनिक तरीकों को अपनाने में सहायक होता है। लर्नर के अनुसार जनसंचार माध्यमों की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भूमिका एक गुणक (multiplier) तथा अभिवृद्धक ही होती है। दूसरे शब्दों में, उसकी मात्रा से कई गुना वृद्धि (तीव्रता) आ जाती है। इस प्रक्रिया को ‘संचालित करने वाली संज्ञानात्मक—क्रियाविधि’ (driving cognitive mechanism) ‘परानुभूति’ (empathy) अथवा ‘मनोवैज्ञानिक गतिशीलता’ (psychic mobility) है। परानुभूति किसी व्यक्ति की स्वयं को अपरिचित परिस्थितियों व स्थानों जैसे आधुनिक विश्व में प्रक्षेपित करने की इच्छा तथा योग्यता है तथा उन दशाओं का अनुभव करने की अभिलाषा है, जिसका प्रतिनिधित्व पश्चिमी समाज करते हैं। परानुभूति तथा मनोवैज्ञानिक गतिशीलता (Empathy and Psychic Mobility)

लर्नर ने अपनी मुख्य अवधारणा ‘परानुभूति’ (empathy) को “उस आंतरिक क्रियाविधि के रूप में परिभाषित किया है जिससे एक नया—नया गतिशील व्यक्ति परिवर्तित हो रहे विश्व में निपुणता से कार्य कर सके। परानुभूति स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर देखने की क्षमता है अथवा ऐसी क्षमता जिससे कि व्यक्ति स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर विचार कर सके, एक ऐसा स्थान जो उसके अपने स्थान से बेहतर हो। लर्नर के सिद्धान्त की प्रमुख उपकल्पना है कि “high empathetic capacity is the predominant personal style only in modern society, which is distinctively industrial, urban, literate and participant.” अर्थात् “उच्च परानुभूतिक क्षमता

आधुनिक समाज में प्रभावी व्यक्तिगत शैली है जो विशिष्ट रूप से औद्योगिक, नगरीय, साक्षर तथा सहभागी है।'

संक्षेप में, मनोवैज्ञानिक गतिशीलता परानुभूति को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से परानुभूति ही मनोवैज्ञानिक गतिशीलता है। प्रारम्भिक अवस्था में यह भौतिक गतिशीलता के कारण उत्पन्न होती है। उसके बदले में, मनोवैज्ञानिक गतिशीलता मनोवैज्ञानिक रूप से गतिमान व्यक्ति की रचना करती है। जो कि आधुनिक समाज का मूलभूत तत्व है तथा जन संचार माध्यम इसके विस्तार को निरन्तर पोषित करते रहते हैं। लर्नर के मत में, जनसंचार माध्यम अनौपचारिक शिक्षण में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। क्योंकि वे वास्तविकता का सरलीकरण करते हैं तथा सूचना को एक ऐसे सन्दर्भ में प्रस्तुत करते हैं जो कि संवेदन (perception) तथा सीखने की प्रक्रिया को सुगम करे। "परानुभूति" व्यक्तियों में परम्परागत उदासीनता को उकसाती है तथा उन्हें पुराने तरीकों तथा संस्तरण क्रम पर प्रश्न खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही उन्हें नवीन राष्ट्र के आर्थिक व राजनीतिक जीवन में पूर्ण सहभागिता करने योग्य बनाती है।

साक्षरता

लर्नर ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में कई मूल कारकों को सावधानीपूर्वक परिभाषित किया है तथा यह भी बताया है कि ये किस क्रम में घटित होते हैं। उन्होंने इसमें चार अन्य कारकों—नगरीकरण, साक्षरता, जनसंचार सहभागिता तथा राजनीतिक सहभागिता को सम्मिलित किया है। व्याकितयों का एक स्थान पर जमाव जन-शिक्षा की संभावनाएं उत्पन्न करता है जिससे साक्षरता व कौशल का विकास होता है। इसके द्वारा जन संचार माध्यमों के लिए एक बाजार बनाने में सहायता मिलती है। साक्षरता बढ़ने से जनसंचार माध्यम के उपभोग में तेजी से वृद्धि होती है, लर्नर ने जनसंचार माध्यम सहभागिता को "समाचार पत्र खरीदने, रेडियो का स्वामित्व रखने तथा सिनेमा देखने के अनुपात के रूप में परिभाषित किया है।" इसके आधार पर लर्नर का तर्क है कि—"rising media participation tends to raise participation in all sectors of the social systems" "जनसंचार माध्यम सहभागिता में वृद्धि के साथ सामजिक व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सहभागिता में वृद्धि होती है।"

इस प्रकार से लर्नर के इस प्रारूप का प्रमुख कारक साक्षरता एवं जन संचार माध्यम सहभागिता है। उनका मत है कि यदि कोई समाज 30% तक साक्षरता प्राप्त कर लेता है तो उस समाज में जन संचार माध्यम अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करने लगते हैं क्योंकि इस स्थिति में जनसंचार माध्यम का गुणकीय प्रभाव (multiplier effect) होता है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति में तेजी के साथ वृद्धि करता है।

लर्नर ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में परम्परागत समाज से आधुनिक समाज में रूपान्तरण के मध्य एक तीसरी अवस्था—संक्रमणशील समाज (transitional society) की परिकल्पना की है। यह एक ऐसा समाज है जो विश्व के अग्रणी क्षेत्रों से सांस्कृतिक विसरण (diffusion) की प्रक्रिया के माध्यम से आधुनिकता का अनुकरण करता है। लर्नर के लिए यह 'संक्रमणशील समाज' ही 'परानुभूतिक समाज' (emphathetic society) है। इस समाज में संक्रमणशील व्यक्ति (transitional man) उन सभी वस्तुओं को वास्तविकता में देखना चाहता है जिन्हें उसने अभी तक केवल अपने मस्तिष्क के पटल पर ही देखा है (रेडियो, सिनेमा तथा टीवी वीड़ियो के माध्यम से)। वह उस

दुनिया (पश्चिमी) में वास्तव में रहना चाहता है जिसमें वह स्थानापन्न रूप से (vicariously) रह रहा है। परानुभूति स्वाभिमान (Self esteem) को कम से कम समय में पुनः व्यवस्थित करना है; लर्नर का परम्परागत समाज का विवरण डुर्कहाइम की 'यान्त्रिक एकता' की धारणा से काफी मिलता है। सामान्य रूप से, लर्नर के लिए समाज जितना अधिक परानुभूति प्रदर्शित करेगा, उतना ही अधिक वह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जुड़ता चला जायेगा। मैकलीलैंड के समाज में 'एचीवमेंट ओरियन्टेशन' (achievement orientation) की भाँति लर्नर का आधुनिकता का परानुभूतिक आधार (empathetic orientation) के भी गणनात्मक पक्ष है।

संक्षेप में आधुनिकीकरण सिद्धान्त के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं

1. आधुनिकीकरण सिद्धान्त आर्थिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक लक्षणों का मिश्रण है जैसे मूल्य व्यवस्था का सन्दर्भ, व्यक्तिगण अभिप्रेरणा, तथा पूँजी संचय।

2. आधुनिकीकरण के अधिकतर विवरणों में सबसे अधिक प्राथमिकता व्यक्तियों के मूल्यों, आदर्शों तथा विश्वासों की भूमिका को दी गयी है—परम्परागत अथवा आधुनिक—दोनों ही प्रकार के समाजों में जिनकी वे रचना करते हैं तथा इस प्रकार मूल्य परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण दशाएं हैं।

3. पश्चिमी जगत में औद्योगिकीकरण के विकास के इतिहास को अब विशिष्ट (Unique) नहीं समझा जाता जैसा कि वेबर का मत था। अपितु इसे सम्पूर्ण विश्व में विकास के ब्लू प्रिंट के रूप में देखा जाता है (देखें आइजेनस्टैड 1966)। विकास के इस प्रारूप को 'यूरोसेन्ट्रिक मॉडल आफ डबलेपेन्ट' के नाम से भी जाना जाता है।

4. जैसे—जैसे परम्परागत व्यवहार के प्रतिमान आधुनिकीकरण के दबाव में मार्ग प्रदान करते हैं, समाज में परिवर्तन उद्विकास के रूप में घटित होता है। यद्यपि पश्चिमी समाजों में इस दबाव को उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ आन्तरिक थीं परन्तु विकासशील देशों में यह बाह्य शक्तियों के दबाव के कारण विचारों तथा तकनीकीक (विसरण द्वारा) घटित होता है।

5. विसरण द्वारा आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को विकासशील देशों में कुछ विशेषताओं को विकसित करना चाहिये, जिसमें एकाकी परिवार पर आधारित नगरीकरण, साक्षरता तथा प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक विकास, समाज के विषय में बढ़ती जागरूकता व विचारों के प्रसार हेतु जनसंचार माध्यम, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभगिता व राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में, निवेश हेतु पूँजी प्रदान करके व्यापारिक संभावनाओं में वृद्धि, परम्परागत आधार पर सत्ता के प्रतिमानों का विस्थापन करके प्रतिनिधित्व पर आधारित राष्ट्रीय सरकार के साथ—साथ कानून की एक तार्किक व्यवस्था इसमें सम्मिलित हैं।

6. विभिन्न समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं क्योंकि वे आधुनिकता के उपरोक्त लक्षणों को उत्पन्न करने में न्यूनाधिक सफल हैं।

आधुनिकीकरण सिद्धान्त की आलोचना

आधुनिकीकरण के उपरोक्त सिद्धान्त को तीव्र आलोचना का समना करना पड़ा है। आधुनिकीकरण सिद्धान्त का दावा उन कारकों को खोज लेने का है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे 'उपलब्ध—अभिप्रेरणा' (achievement motivation) तथा विस्तृत पारिवारिक सम्बन्धों के महत्व में शिथिलता। जबकि ऐसा हो सकता है कि तकनीकी, पूँजी निवेश के स्तर तथा

बाजार की मांग में परिवर्तन के बिना प्रचुर मात्रा में आर्थिक वृद्धि न हो सके, परन्तु यह नहीं हो सकता कि इस प्रकार की आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए मूल्य व्यवस्था तथा सामाजिक संस्थाओं में भी बदलाव करना आवश्यक हो जैसा कि आधुनिकीकरण सिद्धान्त दावा करता है। वस्तुतः इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं जो कि उनके इस दावे का खण्डन करते हैं। 1960 के दशक के बाद के वर्षों से समाजशास्त्रीय साहित्य में उभरे कई सैद्धान्तिक और अनुभवाश्रित (empirical) आलोचनाएं निम्नवत हैं:

1. अनेकों आलोचकों ने इस ओर इंगित किया है कि इस सिद्धान्त की प्रमुख धारणाएं 'परम्परागत' तथा 'आधुनिक' इतनी अधिक भ्रामक है कि इनका प्रयोग विभिन्न समाजों का वर्गीकरण करने के लिए उपयोगी नहीं है। दोनों ही शब्द किन्हीं दो बड़े भिन्न प्रकार के समाजों की ओर संकेत नहीं करते, जो कि वास्तव में हैं या रहे हैं। इसके विपरीत 'परम्परागत' का लेबल एक ऐसी व्यापक अवधारणा के रूप में सुझाया गया है जो पूर्व-औद्योगिक समाजों की एक ऐसी बड़ी शृंखला को समाविष्ट कर लेता है जो सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाओं (जैसे—सामंतवादी, आदिवासी, नौकरशाही राजशाही) में परस्पर बहुत भिन्न हैं। इन समाजों में होते रहे सामाजिक परिवर्तनों की क्रमिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए कहीं अधिक सावधानीपूर्वक ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता है (आइजेनस्टैड 1970:25)।

2. यद्यपि इस सिद्धान्त से समाज किस प्रकार से विकसित होता है? जैसे प्रश्न की व्याख्या करना अपेक्षित है परन्तु इसमें इस प्रक्रिया की बहुत कम व्याख्या हुई है। मात्र प्रगतिशील प्रवृत्तियों और स्वस्थ आर्थिक अभिप्रेरणा की आवश्यकता के, हमें इस बात का कोई पता नहीं चलता कि वह कौन सी क्रियाविधियाँ हैं जो सामाजिक विभेदकरण को लाती है जिसके बारे में इसमें इतना अधिक कहा गया है।

3. फिर भी यदि चर्चा के निहित 'परम्परागत' तथा 'आधुनिक' समाज की अवधारणाओं को मान भी लें तो क्या ये दोनों परस्पर अनन्य (mutually exclusive) श्रेणियाँ हैं जैसा कि सिद्धान्त में कहा गया है। जैसा कि दावा किया गया है कि जैसे—२ समाज विकसित होता है आधुनिक मूल्यों तथा प्रवृत्तियों की शक्तियाँ परम्परागत जगत को निकाल फेंक देती है। परन्तु इस बात के काफी प्रमाण हैं कि आर्थिक विकास तथा आधुनिकता के आगमन से तथाकथित 'परम्परागत' मूल्य, क्रियाएं अथवा विश्वास आवश्यक रूप से समाप्त नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए गसफील्ड (1973) ने इंगित किया है कि आधुनिक तकनीकियों के विकास ने इस्लाम के परम्परागत स्वरूप को सुदृढ़ किया है। इस तरह के भी प्रमाण मिलते हैं कि 'आधुनिक' औद्योगिक समाज में 'परम्परागत' मूल्य न केवल विद्यमान रहते हैं अपितु वास्तव में इसे जारी रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। जैसा कि फ्रैंक (1969:26) ने दर्शाया है कि किस प्रकार प्रदत्त आदर्श (उदाहरण के लिए व्यक्तियों का उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आयु तथा लिंग के आधार पर परखना) जापानी उद्योग में पारितोषिक (rewards) प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि जापानी कम्पनियों में भर्ती का आधार उपलब्धियाँ (achievement) हैं— अभ्यर्थियों के कौशल तथा एक बार जब उन्हें नौकरी पर रख लिया जाता है, उनका वेतन तथा प्रमोशन की संभावनाएं बहुत कुछ उनकी आयु, पृष्ठभूमि तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों पर निर्भर करती हैं जो काफी हद तक प्रदत्त हैं। फ्रैंक ने वास्तव में इस विषय में कई आधुनिक समाजों में परम्पराओं की निरन्तरता के

महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जिनमें जापान, इंग्लैंड तथा अमेरिका भी सम्मिलित हैं। जो यह बताते हैं कि आधुनिक औद्योगिक समाज अपने सदस्यों में आवश्यक रूप से अभिप्रेरणा द्वारा उपलब्धि को प्रोत्साहित नहीं करते अपितु इसके एकदम विपरीत आचरण करते हैं। जैसे अभिलाषा (ambition) का अभाव। इसी प्रकार आधुनिक पूँजीवादी समाज में लिंग सम्बन्ध (gender relations) परिवार, स्कूल, जनसंचार माध्यमों अथवा रोजगार में भी स्त्री-पुरुष के मध्य उपलब्धियों के समान स्तर को हतोत्साहित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप पुरुष प्रधानता (male dominance) तथा महिला की अधीनता (female subordination) जैसी प्रधटनाएं उजागर होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा-व्यवस्था के अनेकों अध्ययनों से कुछ यह बताते हैं कि कई कामगार वर्गों (working class) के युवकों के लिए स्कूली शिक्षा उनकी अभिलाषाओं को नष्ट कर देती है क्योंकि (उच्च उपलब्धि-अभिप्रेरणा) (जैसी मैकलीलैण्ड की मान्यता है) के स्थान पर निम्न उपलब्धि-अभिप्रेरणा के लिए समाजीकृत किया जाता है।

4. इस प्रस्थापना पर प्रश्न उठाया जाना चाहिये कि औद्योगिकीकरण व इसके सहयोगी नगरीकरण में वृद्धि होती है, बृहद नातेदारी व्यवस्था कमजोर हो जाती है क्योंकि व्यक्ति अपने एकाकी परिवार को अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं।

इस प्रस्थापना की आलोचना करते हुए नारमन लौंग ने कहा है कि "कई अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि कुछ विस्तृत नातेदारी व्यवस्थाएं आधुनिक आर्थिक सन्दर्भ में न केवल जीवित रहती हैं अपितु वे प्रायः व्यक्तियों का पूँजी तथा अन्य आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने में सहायक होती है जो आधुनिक पूँजीवादी प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक माने जाते हैं।"

इसके अतिरिक्त नगरीय गरीब तथा मध्यम वर्ग तथा कार्य की तलाश में नगर पहुँचे उन सभी व्यक्तियों के लिए विस्तृत नातेदारी परिजन सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जैसा कि एन्डरसन (1971), पैन (1986) तथा विलमोट व यंग (1971) के अध्ययनों में देखने को मिलता है। यद्यपि जहाँ यह कहना मूर्खता होगी कि नगरीकरण नातेदारी सम्बन्धों को बिलकुल भी प्रभावित नहीं करता वहीं यह कहना भी गलत होगा यह विस्तृत नातेदारी सम्बन्धों को पूर्णतया नकार देता है। ये या तो परिवर्तित हो जाते हैं या अथवा नगरीकरण से पूर्व पायी जाने वाली अवस्था से एक भिन्न स्वरूप में बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त, परम्परा-आधुनिकता सिद्धान्त की एक प्रमुख कमजोरी कि इसके द्वारा ऐसे (बिना किसी ऐतिहासिक अथवा वर्तमान प्रमाणों की जाँच किये) सामान्यीकरणों का प्रतिपादन करना है कि ऐसा-ऐसा घटित होगा।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति अपनी 'परम्परागत' भूमिकाओं तथा अभिलाषाओं (वे जो कि नातेदारी व्यवस्था से जुड़ी हैं) को संसाधनों के रूप में प्रयोग करने में समर्थ होते हैं जो कि उनकी सामाजिक तथा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग में लाये जा सकते हैं।

6. मैकलीलैंड ने अपने 'उपलब्धि-अभिप्रेरणा' के विश्लेषण में मैक्स वेबर के विचारों का अत्यधिक उपयोग किया है जिसे कि वह आर्थिक वृद्धि का प्रमुख कारण मानता है। परन्तु यहाँ मैकलीलैंड ने अपनी इस सैद्धान्तिक शिल्पकारी (handiwork) में वेबर के सिद्धान्त का दुरुपयोग किया है। वेबर ने ऐसी गतिविधि को, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के मतानुयायियों में मोक्ष (salvation) प्राप्ति से सम्बन्धित विषयों से व्युत्पन्न (derived) की गयी है, तार्किक पूँजीवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण

सहयोगी कारक माना है। जबकि मैकलीलैंड ने मैक्स वेबर द्वारा इस धार्मिक उत्कण्ठा (anxiety) को दी गयी महत्ता को अनदेखा करते हुए उसे मात्र एक ऐसी अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में सीमित कर दिया है जो कि सफलता के लिए आवश्यक है। उसके अनुसार यह न केवल 16वीं शताब्दी के बाद के पश्चिमी समाजों में दृष्टिगोचर होती है अपितु उन विभिन्न प्रकार के अनेकों समाजों में भी घटित होती है जिन्होंने आर्थिक वृद्धि का अनुभव बाद में प्राप्त किया। इस प्रकार से मैकलीलैंड का यह सैद्धान्तिक प्रारूप वेबर के सिद्धान्त का सम्मान करने में असफल प्रतीत होता है।

7. इस आधुनिकीकरण के सिद्धान्त की अन्तिम तथा कई अर्थों में सबसे शक्तिशाली आलोचना है कि यह तीसरी दुनिया के देशों में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के प्रभाव को पूर्णरूप से अवहेलना करता है। यह एक आश्चर्यजनक चूक (staggering omission) है। इसमें यह ज्ञापित करने की असफलता भी है कि आर्थिक वृद्धि का सम्बन्ध संसाधनों पर नियन्त्रण करने की शक्ति से भी है। हूगवेल्ट (Hoogvelt) ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि—“पारसन्स के उपागम से ऐसी धारणा बनती है कि मानवता का इतिहास एक सुखी, तनावमुक्त, विचारों के शान्तिपूर्ण आदान-प्रदान, तथा यहाँ-वहाँ तथा सभी स्थानों पर जहाँ भी समाजों में सम्पर्क हुआ, एक प्रेरक प्रगति का इतिहास है। सांस्कृतिक विसरण की प्रक्रिया कुछ ऐसी प्रतीत होती है कि मानों एक मित्रवत व्यापारी यात्री, एक समयविहीन मार्कों पोलो (इटली के वेनिस शहर का व्यापारी जिसने 1271 से 1295 के मध्य यूरोप व एशिया के अनेक देशों में भ्रमण किया था), मासूमियत से विश्व में धूम रहा हो तथा सज्जनतापूर्वक एक स्थान से कुछ विचारों को लेकर दूसरे स्थानों में अहानिकारक तरीके से संग्रह कर रहा हो। आश्चर्यजनक रूप से पारसन्स के उद्विकास पर किये गये किसी भी कार्य में ‘प्राबल्य’ (domination), ‘शोषण’, ‘उपनिवेशवाद’, ‘साम्राज्यवाद’ का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता” (1976:18)।

वास्तव में आधुनिकीकरण सिद्धान्त का प्रमुख बल समाज की विभेदीकरण द्वारा परिवर्तन में है। डुर्कहाइम तथा पारसन्स आदि सभी विद्वान इसे समाज में एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। वहीं वे समाज के दूसरे पक्ष—शक्ति के प्रयोग—को तथा सामाजिक संघर्षों से उत्पन्न परिवर्तन की उपेक्षा करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि यद्यपि आधुनिकीकरण का सिद्धान्त संरचनात्मक दृष्टि से विकास के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालता है परन्तु वहीं यह सामाजिक संघर्षों, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की पूर्णतया उपेक्षा करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

बॉटोमोर, टी. बी. 1971: सोशियोलोजी: ए गाइड टू प्राब्लम्स एण्ड लिटरेचर, बोम्बे: एलन एण्ड अनविन।

वैलेस रुथ ए. एण्ड एलिसन वोल्फ 1986: कन्टमपरेरी सोशियोलोजिकल थ्योरी: कन्टिन्यूइंग दी क्लासिकल ट्रेडिशन, न्यू जैरीसी: प्रेन्टिस हाल इंकलिस।

मेनार्ड, मेरी 1989: सोशियोलोजिकल थ्योरी, न्यूयार्क: लॉगमैन।

पारसन्स, टालकॉट 1964: ‘इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स इन सोसायटी’, अमेरिकन सोशियोलोजिकल रिव्यू 29, 339–57.

पारसन्स, टालकॉट 1966: सोसायटिज: इवोल्यूशनरी एण्ड कम्प्रेरेटिव पर्सेप्रेक्टिव्स, एंगिल्सवुड किलफस्, एन. जे.: प्रेन्टिस हाल इंकलिस।

ਪਾਰਸਨਸ, ਟਾਲਕੌਟ 1951: ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਊਯਾਰਕ: ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਸ।

ਵੈਬਸਟਰ, ਏਨਡ੍ਰ੍ਯੂ 1990: ਇੰਡ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਸ਼ਿਯੋਲੋਜੀ ਑ਫ ਡਵਲੋਪਮੇਨਟ, ਪਾਲਗ੍ਰੇਵ ਮੇਕਮਿਲਨ:

ਲੋਂਗ, ਨਾਰਮੈਨ 1977: ਇਨ ਇੰਡ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸੋਸ਼ਿਯੋਲੋਜੀ ਑ਫ ਰੁਰਲ ਡਵਲੋਪਮੇਨਟ, ਲਨਦਨ: ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਂਗਵੇਜ ਬੁਕ ਸੋਸਾਯਟੀ ਏਣਡ ਟੇਵਿਸਟਾਕ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ

ਹੈਰਿਸ, ਗ੍ਰਾਹਮ 1989: ਦੀ ਸੋਸ਼ਿਯੋਲੋਜੀ ਑ਫ ਡਵਲੋਪਮੇਨਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ: ਲੋਂਗਮੈਨ।

ਹੋਜੇਲਿਜ, ਬੀ.ਏਫ. 1960: ਸੋਸ਼ਿਯੋਲੋਜਿਕਲ ਫਕਟਸ ਇਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਵਲੋਪਮੇਨਟ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ: ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਸ।

ਆਇਜੇਨਸਟੈਡ, ਏਸ. ਏਨ. 1966: ਮੱਡਨਾਇਜੇਸ਼ਨ : ਪ੍ਰੋਟੋਸਟ ਏਣਡ ਚੋਂਜ, ਏਂਗਿਲਸਕੁਡ ਕਿਲਫਸ, ਏਨ.ਜੇ.: ਪ੍ਰੇਨਿੱਟਸ ਹਾਲ ਇੰਕਲਿਸ।

ਆਇਜੇਨਸਟੈਡ, ਏਸ. ਏਨ. 1970: 'ਸੋਸ਼ਲ ਚੋਂਜ ਏਣਡ ਡਵਲੋਪਮੇਨਟ' ਇਨ ਇ.ਏਨ.ਆਇਜੇਨਸਟੈਡ, ਰੀਡਿੰਗਸ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਏਣਡ ਡਵਲੋਪਮੇਨਟ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਏਣਡ ਲਨਦਨ: ਪੇਰਗਾਮਾਨ ਪ੍ਰੇਸ।

ਵੇਬਰ, ਮੈਕਸ 1904: ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਂਟ ਇਥਿਕ ਏਣਡ ਸਿਧਿਰਿਟ ਑ਫ ਕੋਪਿਟੇਲਿਜ਼ਮ, ਟਾਲਕੌਟ ਪਾਰਸਨਸ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ, 1930. ਲਨਦਨ: ਜਾਰਜ ਏਲਨ ਏਣਡ ਅਨਵਿਨ।

ਮੂਰੇ, ਵਿਲਬੈਟ ਈ. 1963: ਸੋਸ਼ਲ ਚੋਂਜ, ਏਂਗਿਲਸਕੁਡ ਕਿਲਫਸ, ਨਿਊ ਜੈਰੀਸੀ: ਪ੍ਰੇਨਿੱਟਸ ਹਾਲ ਇੰਕਲਿਸ।

ਸੱਸੇਲਸਾਰ, ਨੀਲ ਜੋ. 1963: 'ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਑ਫ ਚੋਂਜ ਏਣਡ ਏਡਜੇਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਚੋਂਜ', ਇਨ ਬੀ.ਏਫ. ਹੋਜੇਲਿਜ ਏਣਡ ਵਿਲਬੈਟ ਈ. ਮੂਰੇ (ਸਮਾਦਿਤ) ਇੰਡੱਸਟ੍ਰੀਏਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਏਣਡ ਸੋਸਾਯਟੀ, ਦੀ ਹਾਗ : ਮਾਉਨਟ. ਰਿਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਇਨ ਜੀ. ਗਾਲਟਨ (ਸਮਾਦਿਤ), 1971: ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਵਲੋਪਮੇਨਟ ਏਣਡ ਸੋਸ਼ਲ ਚੋਂਜ, ਨਿਊਯਾਰਕ: ਦੀ ਨੇਚੂਰਲ ਹਿਸਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਸ।

ਮੈਕਲੀਲੈਣਡ, ਡੇਵਿਡ ਸੀ. 1966: 'ਦੀ ਏਚੀਵਮੈਂਟ ਮੋਟਿਵ ਇਨ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ' ਇਨ ਬੀ.ਏਫ. ਹੋਜੇਲਿਜ ਏਣਡ ਵਿਲਬੈਟ ਈ. ਮੂਰੇ (ਸਮਾਦਿਤ) ਇੰਡੱਸਟ੍ਰੀਏਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਏਣਡ ਸੋਸਾਯਟੀ, ਦੀ ਹਾਗ : ਮਾਉਨਟ.

ਰਾਸਤਾਂਵ, ਡਲਲ੍ਯੂ. ਡਲਲ੍ਯੂ. 1969: ਦੀ ਸਟੇਜਿਸ ਑ਫ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ: ਏ ਨਾਨ ਕਮ੍ਯੂਨਿਸਟ ਮੇਨੀਫੇਸਟੋ,

ਲਨਰ, ਡੇਨਿਯਲ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਑ਫ ਏ ਡ੍ਰੇਲਿਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਯਟੀ : ਮੱਡਨਾਇਜਿੰਗ ਦੀ ਮਿਡਿਲ ਈਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ : ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਸ।

‘नवरचना’ में योगदान के लिये निर्देश

1. ‘नवरचना’ मूल रूप से लिखे गये समाजशास्त्रीय शोध—पत्रों का स्वागत करता है। शोध—पत्र (6000— 8000 शब्दों से ज्यादा नहीं) का पृष्ठ के एक तरफ टाइप किया होना तथा पंक्तियों के बीच दोहरी जगह के साथ पृष्ठ के चारों तरफ बराबर हाशिया होना आवश्यक है। शोध—पत्र के साथ (100 शब्दों से ज्यादा नहीं) उसका सामान्य सारांश भी संलग्न होना चाहिए।
2. शोध—पत्र को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करके ई मेल द्वारा संलग्नक के रूप में pubetdr1994@gmail.com पर भेजा जाना चाहिए। लेख के अक्षर Kruti Dev 010 लिपि में होना चाहिए। अन्य किसी लिपि में टाइप किया हुआ लेख स्वीकार्य नहीं होगा।
3. लेख में उद्धरण के लिए कृपया लेखक — दिनांक की प्रक्रिया को अपनाएं, उदाहरण के लिए, (चौहान 2002)। यदि किसी लेखक के एक अधिक लेखों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो कृपया प्रकाशन के वर्षों को अल्पविराम द्वारा अलग (सिंह 1995, 1999)। उद्धरण के पृष्ठ संख्या को कोलन का प्रयोग कर अलग लिखें (मुखर्जी 1995 : 244) तथा यदि एक से अधिक पट्ठों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो पृष्ठ संख्याओं को हाइफन का प्रयोग कर लिखें (दूबे 1995 : 244 344)। जब एक से अधिक लेखकों का उद्धरण दिया जा रहा हो तो भिन्न लेखकों को कालानुक्रम के हिसाब से सभी कोलन अलग कर लिखें (दूबे 1995; मिश्रा 2005; नारायण 2008)। सह—लेखकों के कार्य के लिए, दोनों के नामों को इस प्रकार उद्धृत करें (फँक और डेविड 1995); तीन से अधिक लेखकों को उद्धृत करने के लिए, पहले नाम के बाद ‘और अन्य’ का उपयोग करें (हेल्ड और अन्य, 2010)। वही उद्धरण को उसी परिच्छेद में बिना किसी और उद्धरण के आये दोबारा लिखा जाता है तो, ‘वही’ का प्रयोग करें तथा लेखक के नाम की पुनरावृत्ति किये बिना सम्बन्धित पृष्ठ संख्या को उद्धृत करें (वही: 44)। अगर राजपत्र रिपोर्ट और सरकारी संस्थाओं के या किसी अन्य संगठन के कार्यों को उद्धृत करना हो तो, जिस संस्था / संगठन ने प्रकाशन को प्रायोजित किया हो तो उसका पूरा नाम लिखें (दिल्ली सरकार 2010), और इन्हें फिर से बाद के प्रसंगों में उद्धृत करना हो तो संस्था / संगठन के नाम का शब्द संक्षेप / लघु रूप लिखें (दि.स. 2010)।
4. लेख में प्रयोग में लाये हुए पुस्तकों का विस्तृत विवरण बाद में अलग से सन्दर्भ ग्रन्थ सूची इस क्रम में लिखें : (क) लेख : लेखक का नाम; प्रकाशन का वर्ष; लेख का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); शोध पत्रिका नाम (इटालिक में); और गोल्ड्यूम सं., अंक सं. और प्रारम्भ और अंत के पृष्ठ सं। (ख) संपादित पुस्तकों / कार्यों में अध्याय; लेखक का नाम; प्रकाशन का वर्ष; अध्याय का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); सम्पादक का नाम; पुस्तक का वर्ष (इटालिक में); अध्याय का शीर्षक (इन्वर्टिड कोमा में); अध्याय के प्रारम्भ और अंत के पृष्ठ सं.; प्रकाशन का स्थल; प्रकाशन का वर्ष; प्रकाशन का नाम। सन्दर्भों की सूची में (पहले) लेखक के उपनाम के वर्णक्रमानुसार रूप से लिखा जाना चाहिए।
5. ‘नवरचना’ एंडनोट स्वरूप का अनुकरण करता है जो इस प्रकार है: उन सभी व्याख्यात्मक टिप्पणियों को एक साथ क्रमबद्ध करें जिस क्रम में उन्हें मुख्य लेख में उल्लेखित किया गया है (क्रमांक के आधार पर सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करके) एवं उन्हें लेख के अन्त में पर सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के पहले रखें। एंडनोट्स को सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
6. तालिका, चार्ट, नक्शे, ऑकडे आदि लेख के अन्त में अलग से रखा जाना चाहिए। इन्हें अंकों का प्रयोग कर उपयुक्त शीर्षक/कैप्शन के साथ क्रमानुसार रखें। लेख में उन्हें उनके अंकों द्वारा सूचित करें—सारणी 5, नक्शा 1 आदि न कि उनके स्थान द्वारा—जैसे सारणी के ऊपर विन्द्र के नीचे आदि।
7. अन्य कार्यों से लिए शब्द या वाक्यों को ऐकल उद्धरण चिन्हों के भीतर रखें, दोहरे उद्धरण चिन्हों का उपयोग केवल कोटेशन के भीतर ही करें। यदि कोटेशन पचास शब्दों से अधिक हो तो उन्हें मुख्य टेक्स्ट से अलग लिखें एवं उन्हें पृष्ठ के बाईं तरफ रखें। जब तक पूरा वाक्य उद्धरण का हिस्सा न हो तो विराम चिन्ह उद्धरण चिन्हों के बाहर ही रहना चाहिए।
8. 1से 99 तक के अंकों को शब्दों में लिखें 100 तथा उससे ऊपर के अंकों को ऑकड़ों में। हालांकि कुछ जगहों पर ऑकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे दूरी: 3 कि.मी.; उम्र: 32 वर्ष; प्रतिशत: 64 प्रतिशत एवं वर्ष: 1995 आदि।
9. योगदानकर्ताओं द्वारा अपने लेख के साथ एक अलग पृष्ठ पर अपना नाम, पद, अधिकारिक पता और ई -मेल भेजना आवश्यक है। उन्हीं लेखों के प्रकाशन पर विचार किया जायेगा जिन्हें पहले कभी प्रकाशित नहीं किया गया हो या जिन्हें किसी अन्य जगह पर प्रकाशन के लिए विचार न किया जा रहा हो। इस आशय की एक घोषणा को लेख के प्रथम पृष्ठ में शामिल किया जाना चाहिए।
10. संपादकीय सम्बन्धित पत्राचार इस पते पर किया जाना चाहिए: प्रो. वी. पी. सिंह, सम्पादक, नवरचना, 18, बैंक रोड, इलाहाबाद 211002 (उ.प्र.)

आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना *NAVRACHNA*
www.grefiplus.org/navrachna
वर्ष 1, अंक 2, दिसम्बर 2015, पृ. 37–43

भारतीय सामाजिक संस्तरण : एक समग्रवादी व्याख्या

श्रीपाल चौहान*

समाज व्यवस्था का दूसरा बड़ा तथ्य समाज में व्याप्त असमता का सिद्धान्त है, जिसे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संस्तरण या स्तरीकरण कहा है। मेलविन एम. ट्यूमिन ने सामाजिक संस्तरण को अति प्राचीन, सार्वभौम और विभिन्न आधारों वाली व्यवस्था बताया है (ट्यूमिन, 1969)। उन्होंने यह भी बताया है कि एक ही समाज में विभिन्न श्रेणियों के बीच जीवन के अवसरों की अर्थात् सम्पदा, सत्ता और सम्मान के वितरण में असमानता होती है। इसके परिणामस्वरूप उनकी जीवन शैलियों में भी अन्तर होता है। अतः समाज में विशमता व्याप्त हो जाती है और अन्तर्विरोध पैदा हो जाते हैं। आचार्य जी इस सार्वभौम सामाजिक विषमता को समाज के लिए घातक मानते हैं। उन्होंने लिखा है : “मनुष्य—मनुष्य के बीच जो आकाश—पाताल जैसा अन्तर आज दिखलाई पड़ रहा है, उसे मिटाने और घटाने का समय अब आ गया है। असमानता, ईर्ष्या—द्वेष पैदा करती है। उससे गिरे हुए वर्ग में हीनता—दीनता एवं पतनोन्मुख प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं और उठे हुए वर्ग में विलासिता, अहंकार, लोभ एवं अनुदारता जैसे दोष—दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है। असमानता इतनी ही सत्य और क्षम्य है जितनी हाथ की पाँच उँगलियों में होती है। परिस्थिति और आवश्यकता में अन्तर होने से मनुष्यों का स्तर थोड़ा नीचा—ऊँचा भी रखा जा सकता है, पर उसकी वैसी अति नहीं होनी चाहिए जैसी आज है।” (ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.71)। प्रस्तुत शोध—पत्र में पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के सामाजिक संस्तरण पर चिन्तन को बोध और विश्लेषण की दृष्टि से विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि सामाजिक संस्तरण पर उनका समग्र चिन्तन समाहित हो सके।

आचार्य जी ने सामाजिक संस्तरण के अकार्यों का विश्लेषण करते हुए उसे समाज की जड़ों पर कुठाराधात बताया है। उन्हीं के शब्दों में : “असमानता ने मनुष्य जाति के बीच भारी खाई उत्पन्न की है और एकता की जड़ पर भयानक कुठाराधात किया है। ईर्ष्या—द्वेष की आग भड़काने, अलगाव, आतंक, युद्धों और संघर्ष की विभीषिकाएँ उत्पन्न करने का कारण यह असमानता ही है, जिसने समाज को अपराध और पाप की आग में झाँक दिया।” (ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.71)। सामाजिक संस्तरण के प्रमुख आधारों का भी आचार्य जी ने विवरण और विश्लेषण किया है। उनके

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शासकीय महाविद्यालय, तेन्दुखेड़ा, दमोह (म.प्र.)

अनुसार ये आधार पाँच हैं प्रजाति भेद (रंगभेद), वर्ण एवं जाति भेद, लिंग भेद, वर्ग भेद और पद भेद। यहाँ उनका संक्षिप्त विवरण देना तर्कसंगत होगा।

1. प्रजाति भेद (रंगभेद)

आचार्य जी इस असमानता को अप्राकृतिक मानते हैं। उन्हीं के शब्दों में : “गाय, घोड़ा, बन्दर, कबूतर, मोर, तीतर की भाँति मनुष्य भी एक जाति है। ऋतु और परिस्थिति के कारण मनुष्यों के रंग—रूप, आकृति—प्रकृति में थोड़ा—बहुत अंतर हो सकता है, पर उससे उसके स्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक तथ्य है कि गर्भ देशों में जन्म लेने वाले काली चमड़ी के होते हैं। ठण्डे देशों में जो पैदा होते हैं, उनकी चमड़ी गोरी होती है। मध्य एशिया के मंगोल नस्ल के पीले रंग, तिरछी आँखों और चपटी नाक वाले पाये जाते हैं। किन्तु इस आधार पर उनके स्तर को नीचा—ऊँचा नहीं माना जा सकता। गोरे लोग, काली चमड़ी वालों को, केवल रंग के आधार पर नीचा समझें, धृणा करें, मानवीय अधिकारों से उन्हें वंचित कर दें, यह अन्याय के सिवा और क्या है ? संसार में रंग—भेद को लेकर ऊँच—नीच की मान्यता बुरी तरह फैली हुई है। अमेरिका में अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्र संघ तथा विश्व के सभी विचारशील लोगों ने इसे अन्यायमूलक और अवांछनीय घोषित किया है। फिर भी गोरों का आग्रह अपनी सफेद चमड़ी के आधार पर उच्चता सिद्ध करने का ही है”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.72)।

2. वर्ण एवं जाति भेद

वर्ण और जाति भारतीय समाज की अप्रतिम श्रेणीबद्धता है। आचार्य जी ने लिखा है : “संसार में दूसरी जगहों पर तो गोरी—काली चमड़ी के आधार पर असमानता चल रही है, पर अपने देश में (भारतवासियों ने) तो इस दिशा में गजब ही कर दिया। एक परम्परा, एक ही रक्त, एक ही आंश, एक ही रंग के लोग कल्पित जाति—पांति के आधार पर एक दूसरे को नीचा—ऊँचा मानने लगे हैं। विषमता की अति इस सीमा तक पहुँच गयी है कि तथाकथित ऊँची जाति वाले तथाकथित नीची जाति वालों को पास बैठाने तक में, मानवीय सामाजिकता के सामान्य शिष्टाचार एवं अधिकार तक से इंकार करते हैं। आदर्शवादी, धार्मिक और आध्यात्मिक कहे जाने वाले भारतीय समाज के माथे पर एक अति व्यंग्य और उपहास भरा ऐसा लांचन है, जिसने उनकी गरिमा का मूल्य पूरी तरह गिरा दिया है।”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.72)

आचार्य जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ अति प्राचीन काल में हुआ था। सारे समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके मूल उद्गम का प्रमाण ऋग्वेद के निम्नलिखित मन्त्र को बताया जाता है:

ब्राह्मणोश्च्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कश्तः ।

अरु तस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

(ऋग्वेद 10, 9, 1)

इस श्लोक पर आचार्य जी का कहना है : “इस मन्त्र का सीधा—सा आशय तो यह है कि “समाजरूपी शरीर से ब्राह्मण मुख स्थानीय है, क्षत्रिय भुजाओं के समान है, वैश्य मध्य के धड़ की तरह और शूद्र पैरों का उद्देश्य पूरा करते हैं।” पर बाद में एक का दस अर्थ करने को ही विद्वता का लक्षण मानने वाले ‘पंडितों’ ने यह व्याख्या की कि ब्राह्मण लोग भगवान् के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, वैश्यों की उत्पत्ति पेट से हुई है और शूद्र पैरों की पैदाइश है।

इस प्रकार व्याख्या करने वालों का ख्याल शायद यह है कि जिस प्रकार मानव देह में मस्तक का भाग सबसे महत्त्व का माना जाता है और पैरों को भले—बुरे सब तरह के स्थानों के सम्पर्क में आना पड़ता है, उसी प्रकार संसार में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ और शूद्र उनसे बहुत निकृष्ट हैं। पर ये सब बाल बुद्धि की परिचायक हैं। भगवान् किसी को बाजीगर की तरह अपने मुँह और पेट से निकालते नहीं फिरते।” (आचार्य,, 1998: पृ. 33) आचार्य जी का मानना है कि किसी समय इन चार वर्णों का सृजन गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर व्यवसायों के विभाजन की दृष्टि से किया गया था। उपर्युक्त वेदमन्त्र समाज के कार्य—विभाजन का ही परिचायक है। उसे हजारों जातियों में ऊँच—नीच का आधार मानना अज्ञानता का चिह्न है (आचार्य, 1998: पृ. 34)। यथार्थ में आज के भारतीय समाज में वर्ण—व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर इसे शास्त्रीय आदर्श लोग मानते हों तो हों, वास्तविक प्रभावी स्तरण तो जाति व्यवस्था है।

आज की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए आचार्य जी ने लिखा है : ‘वर्तमान समय में हिन्दुओं में जात—पांत के रूप में जो श्रेणी—विभाजन पाया जाता है वह सबसे अनोखा है। वह ऐसा विवित्र है कि उसका स्वरूप विदेशियों की समझ में आ सकना कठिन होता है। विदेशों में जो श्रेणियाँ या जातियाँ बनती हैं उसका कारण उनकी वर्तमान परिस्थितियाँ होती हैं। धन—सम्पत्ति, विद्या, राजनीतिक अधिकारों के घटने—बढ़ने के साथ उनकी ‘जाति’ भी बदलती रहती है, पर भारतवर्ष में जाति ने इस समय ऐसा स्थायी रूप धारण कर लिया है कि एक ब्राह्मण मूर्ख, दुराचारी, निर्धन होने पर भी सदगुणी वैश्य व कायस्थ से उच्च समझा जाता है। वह ब्राह्मण भी ऐसा मानता है, दूसरे अन्य जातीय व्यक्ति भी ऐसा ही समझते हैं और वैश्य या कायस्थ भी इससे इंकार नहीं करता।’ (आचार्य,, 1998: पृ. 30—31)। आचार्य जी जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण इस प्रकार बताते हैं : प्रथम, छोटी—बड़ी जाति की सब कसौटियों में सिर्फ जाति में जन्म लेना ही प्रमुख है। वह व्यक्ति सदगुणी है या दुर्गुणी, विद्वान् है या मूर्ख, धनी है या निर्धन, इन बातों का कोई विचार नहीं किया जाता। द्वितीय, जातियों के साथ पवित्रता—अपवित्रता, खान—पान, स्पर्श और सम्बन्ध के अनेक नियम और प्रतिबन्ध जुड़े होते हैं। तृतीय, जातियाँ अन्तःविवाही होती हैं। एक जाति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है और अन्तिम रूप से, खास बात यह भी देखने में आती है कि जहाँ ऊँच जाति वालों में संकीर्णता का भाव कम हो रहा है, वहाँ नीची जाति वाले अपने से नीची जाति वालों को दबाकर ही रखने का प्रयास करते हैं (आचार्य,, 1998: पृ. 30—34)।

आचार्य जी जाति—भेद के कारणों का भी वर्णन करते हैं। उनके अनुसार प्रमुख कारण तीन हैं : पहला, शुरू में विभिन्न वर्णों में पारस्परिक विवाह के फलस्वरूप चार वर्णों से अलग जातियाँ पैदा हुई थीं। फिर जब इन नयी पैदा हुई जातियों में भी पारस्परिक सम्बन्ध होने लगे तो अनेक जातियों का आविर्भाव होने लगा। दूसरा कारण यह हुआ कि अनेक वर्णों के व्यक्तियों ने अपने संस्कारों, जातीय नियमों का त्याग कर दिया, जिससे उनका बहिष्कार कर दिया गया और उनकी एक भिन्न जाति तैयार हो गयी। तीसरा कारण यह हुआ कि बाहर से जो शक, हूण आदि कितनी ही विदेशी जातियाँ आयीं, वे यहाँ बसकर एक नयी जाति के रूप में परिणत हो गयीं अथवा यहाँ के लोगों से सम्बन्ध करके उन्होंने अन्य प्रकार की जातियों को जन्म दिया। इस प्रकार चार से सोलह और सोलह से चौसठ जातियाँ बनते—बनते उनकी संख्या इतनी बढ़ गयी कि उन सबकी गिनती कर सकना भी कठिन हो गया (आचार्य, 1998: पृ. 34)।

आचार्य जी जाति-भेद के कारण हिन्दू समाज को हुई हानियों को बहुत गहरा और धातक मानते हैं। इसने हिन्दू समाज के द्वारा बन्द कर दिये। जहाँ प्राचीन काल में शक और हूण जैसे विदेशी भी हिन्दुओं में मिलकर उनकी शक्ति और संख्या बढ़ाते रहते थे, वहीं जाति व्यवस्था ने हिन्दुओं को निर्बल और पंगु बना दिया। हिन्दुओं की संकीर्णता ने उनके बड़े भाग सिक्खों को उनसे अलग किया। इतना ही नहीं, अनेक हिन्दू जातियों ने स्वयं को उत्पीड़ित और उपेक्षित मानते हुए इस्लाम और इसाई धर्म को स्वीकार किया। जिसने भी गैर हिन्दू जाति से सम्पर्क किया या सम्बन्ध स्थापित किया या छुआ—छूत के नियम तोड़े उसे ही जाति से बाहर निकाल दिया गया। पिछले हजार वर्षों से अधिक के इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, जो विपुल संख्या में नहीं आये थे, हिन्दुओं की निरन्तर हार के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण उनकी जाति व्यवस्था है। आचार्य जी ने लिखा है : “जाति-भेद के कारण देश—रक्षा में भी बड़ी बाधा पड़ी है और अधिकांश देशवासी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में कर्तव्यविमुख सिद्ध हुए हैं। कृ कारण यही था कि वहाँ युद्ध करने वाले क्षत्रियों का अभाव था और जाति वाले सोचते थे कि हमारा युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं”(आचार्य, 1998: पृ. 36)। इतना ही नहीं वरन् जाति-भेद की कट्टरता के कारण हिन्दू लोगों का विदेश जाना रुक गया। इसलिए वे संसार में होने वाले नये—नये परिवर्तनों से अपरिचित रहकर कूप—मंडुक बन गये। हिन्दुओं में दहेज की भयानक कुरीति के लिए भी जाति-भेद की कट्टरता उत्तरदायी है। आचार्य जी बताते हैं कि गत कुछ सौ वर्षों में अनेक सन्त और सुधारक हुए हैं: जैसे—कबीर, रैदास, दादू सेन, तुकाराम, नामदेव आदि जो चरित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ थे। उनका निम्न जातियों पर तो प्रभाव पड़ा पर इसी जातीय कट्टरता के कारण हिन्दुओं की उच्च जातियों में वैसा सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था (आचार्य, 1998: पृ. 37)

आचार्य जी आज के भारतीय समाज में भी जाति भेद की कट्टरता बढ़ती हुई देखते हैं। उन्होंने लिखा है : “जातियों ही नहीं उपजातियों तक में बँटा हुआ भारतवर्ष बुरी तरह से विलगाव के रोग से ग्रसित हर दृष्टि से दीन—दुर्बल होता चला जा रहा है। देखने भर के लिए हम एक हैं, पर असलियत में जिस प्रकार सन्तरे के भीतर टुकड़े—टुकड़े के भीतर छोटे—छोटे टुकड़े भरे रहते हैं, उसी प्रकार हम जातियों—उपजातियों और ऊँच—नीच की मूढ़ मान्यताओं में बुरी तरह चिपके हुए हैं। बात इतने तक सीमित नहीं, यह विष राजनीति तक में प्रवेश कर चुका है। चुनावों में जीतने के लिए जाति-पाति के आधार पर वोटरों का समर्थन प्राप्त करना एक प्रमुख तथ्य बन गया है। भीतर—भीतर पनपती इस दुर्बुद्धि के कारण देश के टुकड़े—टुकड़े होने, गृह युद्ध खड़ा होने जैसे अनेकों खतरे आये दिन मंडराते रहते हैं।”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.72)

3. लिंग भेद

आचार्य जी की दृष्टि में असमानता का एक महत्वपूर्ण आधार लिंग भेद भी है। पुरुष की तुलना में नारी की सामाजिक प्रस्थिति नीची है और उसके विरुद्ध अनेकों भेदभाव बरते जाते हैं। आचार्य जी ने लिखा है : ‘पिछले दिनों सामन्तवादी अन्धकार युग में नर—नारी के बीच जो आकाश—पाताल जैसी खाई उत्पन्न हो गयी थी, वह धीरे—धीरे कम तो हो ही गयी है, पर अभी वह मूढ़ता अवांछनीय रूप में विद्यमान है।’(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.72) आचार्य जी उन सभी बन्धनों का वर्णन करते हैं, जिनमें आज नारी जकड़ी प्रतीत होती है। वह शिक्षा से वंचित है, परदे

श्रीपाल चौहान

में बन्द है, सांसारिक ज्ञान में भी शून्य है और एक प्रकार की सम्पत्ति समझी जाती है। भारत में तो बाल विवाह, दहेज प्रथा और वैधव्य की दुर्दशा से वह पीड़ित है। आचार्य जी इन सब कुरीतियों के विरोधी हैं और उन्हें अन्यायपूर्ण मानते हैं। उनकी स्पष्ट प्रतिपादना है : “नर और नारी”दो घटकों से मिलकर समाज बना है। दोनों की स्थिति, उपयोगिता, कर्तव्य एवं अधिकार समान हैं। इनमें से न कोई महत्त्वहीन है, न महत्त्वपूर्ण। न्याय की पुकार है कि दोनों को अपने व्यक्तित्व को समान रूप से विकसित करने का अवसर मिले”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ० 4.73)। इतना ही नहीं वरन् एक सामान्य नियम की प्रतिपादना करते हुए वे लिखते हैं : “समाज के उत्थान और पतन का आधार अधिकांश में स्त्रियों पर ही है। स्त्रियाँ राष्ट्र की जननी होती हैं और भावी सन्तान का चरित्र निर्माण तथा शारीरिक और मानसिक विकास उन्हीं पर निर्भर होता है। जिस देश और काल में जैसी नारियाँ होती हैं, उन्हीं के अनुसार वहाँ का समाज बनता या बिगड़ता रहता है” (आचार्य, 1998: पश्च. 39)। आचार्य जी की दृष्टि में यह लिंग भेद भविष्य में समाप्त होने वाला है और इककीसवीं सदी में उनकी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।(ब्रह्मवर्चस, 1998)

4. वर्ग भेद

वर्ग भेद की दृष्टि से सबसे प्रमुख असमानता धन के आधार पर है। आचार्य जी इस असमानता का वर्णन करते हुए लिखते हैं : “धनी और निर्धन की इसी असमानता के कारण एक व्यक्ति देवताओं जैसी सुख-सुविधा भोगता है और अप्रत्याशित सम्मान पाता है, जबकि निर्धन भोजन, वस्त्र, चिकित्सा जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं से वंचित हो जाता है”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ० 4.73)। उन्होंने अन्यत्र कहा है : “अमीरी और गरीबी के बीच पायी जाने वाली विषमता ऐसी खाई बन रही है, जिसके कारण ईर्ष्या, द्वेष, विग्रह का माहौल क्रमशः बढ़ता ही जाता है। यदि औसत नागरिक स्तर का निर्वाह सभी के लिए एक व्यवस्था बन गयी होती तो न ही ऊँचे टीले दिखाई पड़ते और न ही कहीं खाई-खन्दक। समतल भूमि में ही कुछ निर्माण और उत्पादन सम्भव होता। इस शाश्वत सिद्धान्त की उपेक्षा करके विषमता के विष बीज हर खेत में बोये जा रहे हैं”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ० 4.8)। आचार्य जी रशियन मनीषी प्रिन्स कोपाटिकन को उद्धृत करते हुए लिखते हैं : “यह विषमता न तो ईश्वर प्रदत्त है, न भाग्य का खेल। यह समाज में प्रचलित अर्थ प्रणाली के दोषपूर्ण होने का परिणाम है”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ० 4.73)। आचार्य जी की दृष्टि में प्राचीन काल में ऐसी वर्ग व्यवस्था नहीं थी। उन्हीं के शब्दों में : “प्राचीन काल में ऐसा न था। तब आध्यात्मिक समाजवाद प्रचलित था। नियम कानूनों के बल पर नहीं, विकसित संवेदनाओं के आधार पर परिग्रह को, अतिरिक्त उपभोग, विलासिता को पाप की मान्यता प्राप्त थी। अब वे परम्पराएँ नहीं रहीं तो राजसत्ता के नियन्त्रण में धन के ऊपर समाज का स्वामित्व एवं वितरण व्यवस्था रहने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अगले दिनों यहीं प्रणाली प्रचलित होगी। लेकिन इसका ढाँचा मार्क्स की प्रणाली से सर्वथा भिन्न और अलग होगी”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ० 4.73)। आचार्य जी ने आध्यात्मिक समाजवाद की स्थापना पर जोर दिया है और उसे भावी समाज की व्यवस्था बताया है। आध्यात्मिक समाजवाद एकता, समता और न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है।

5. पद भेद

सामाजिक संस्तरण अथवा असमानता का अन्तिम आधार पद-क्रम है। आचार्य जी के अनुसार, “प्रतिभाशील एवं सुयोग्य व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुरूप काम सौंपे जायें, यह ठीक है। उन्हें अपनी ईश्वर प्रदत्त विशेषताओं, विभूतियों का लाभ जन-साधारण को देते हुए अपना भाग्य सराहना चाहिए एवं महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर पाने का सन्तोष करना चाहिए। पद के कारण सरकारी अफसरों को ठाट-बाट, असाधारण वेतन, अस्वाभाविक-अनावश्यक सम्मान मिलना गलत है। इस प्रलोभन में ‘पद’ प्राप्त करने के लिए अयोग्य लोगों में भी लिप्सा एवं प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है। यदि उच्च पदों पर शान्त, सन्तोष एवं सेवा के अनुपात से उपलब्ध लोक श्रद्धा मात्र का ही लाभ मिले और आज जो आर्थिक लाभ, अहंकार पूर्ति के अवसर अकारण मिलते हैं, वे न मिलें तो अवांछनीय व्यक्तियों को उसके लिए धमाचौकड़ी मचाने का आकर्षण न रह जाये। फिर तो सिर्फ उदात्त व्यक्ति ही श्रेष्ठ आदर्श लेकर उन उत्तरदायित्वों को अपने कन्धे पर उठाने के लिए तैयार हों” (ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.73)।

आचार्य जी सामाजिक विषमता या असमानता को किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं मानते। न तो वह दैवीय है और न प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही। जब सभी उस परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं तो उनमें कोई ऊँचा व कोई नीचा कैसे हो सकता है। एक आध्यात्मिक पुरुष होने के नाते उन्होंने लिखा है : “प्रकृति अपने अनुदान समान रूप से बाँटती है। हवा बहती है वह सबके लिए, वर्षा होती है वह सबके लिए, फल उगते हैं वह सबके लिए। अग्नि कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। सूर्य किसी एक घर को ही प्रकाशित नहीं करता। चन्द्रमा का औषधि तत्त्व सम्पूर्ण वृक्ष-वनस्पति चूसते रहते हैं। परमात्मा का प्राण संसार के सम्पूर्ण प्राणियों के लिए समान रूप से बिखरा पड़ा है, जिसकी जितनी इच्छा हो उपभोग करे। प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। साम्यावस्था को प्रकृति और विषमता को विकृति कहते हैं। समता ही धर्म है और विषमता ही अधर्म है” (ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.24)। आचार्य जी समता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं और सभी से उसके प्रतिपालन का आह्वान करते हैं। उन्हीं के शब्दों में : ‘आत्मवत् सर्वभूतेषू’ के तत्त्व ज्ञान में प्रत्येक प्राणी की मूल चेतना में आत्मा की उपस्थिति दिखाई देने, सबको समान सुख-दुख होने पर प्रत्येक को न्याय का अधिकारी होने की मान्यता है। जीवात्मा की इसी मौलिक स्थिति को समता के तत्त्व ज्ञान से स्वीकार किया गया है। इसका फलीतार्थ ‘जियो और जीने दो’ के रूप में सामने आता है। दूसरों से वही व्यवहार करें, जो दूसरों से अपने लिए चाहते हैं” (ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.25)।

सामाजिक असमानता पर अपनी बात का समाहार करते हुए आचार्य जी ने समता को युगधर्म का आवश्यक आधर बताया और कहा कि भविष्य में मानव-समाज को उसे मान्यता देनी ही होगी। उन्हीं के शब्दों में : “आज भले ही यह बात गले न उतरे पर कल तो इसे अनिवार्य शर्त के रूप में मानना होगा। राजतन्त्र समाप्त हो गये, अब वर्ग तन्त्र भी समाप्त होने जा रहा है। नये

श्रीपाल चौहान

युग में किसी को इस आधार पर ऊँचा—नीचा न माना जायेगा कि उसका अमुक वंश में जन्म हुआ। रंग, जाति या वंश के कारण किसी को न अहंकार जताने का अवसर रहेगा और न इस वजह से किसी को हीनता—दीनता अनुभव होगी”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.73)। आचार्य जी के अनुसार एकता और समता ही भविष्य के सर्वोच्च मूल्य होंगे। उनका कथन है : “इन आदर्शों को हमें किसी देश, क्षेत्र, सम्प्रदाय के सुधार तक ही सीमित न रखकर विश्वव्यापी बनाना चाहिए, ताकि समूची मनुष्य जाति सुख—शान्ति से रह सके और सर्वतोमुखी प्रगति कर सके”(ब्रह्मवर्चस, सं., 1998: पृ. 4.9)।

संदर्भ ग्रंथ

टयूमिन, मेलविन एम. 1969: सोशल स्टैटिफिकेशन, नई दिल्ली: प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया।

ब्रह्मवर्चस (सं.), 1998: पं. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय, भव्य समाज का अभिनव निर्माण, (खण्ड सं. 46), मथुरा : अखण्ड ज्योति संस्थान।

आचार्य, प. श्रीराम शर्मा 1998: रुग्ण समाज और उसका कायाकल्प, हरिद्वार : श्री वेदमाता गायत्री द्रस्त।

ब्रह्मवर्चस (सं.) 1998: पं. श्रीराम शर्मा आचार्य वाङ्मय, इक्कीसवीं सदी : नारी सदी (खण्ड सं. 62), मथुरा : अखण्ड ज्योति संस्थान,, द्वितीय संस्करण।

आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458
नवरचना NAVRACHNA
www.grefiplus.org/navrachna
वर्ष 1, अंक 2, दिसम्बर 2015, पृ. 44–60

उत्तर प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की कार्यदशाएं व सफलता

मधु सिसौदिया*

भारत में पुलिस बल पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययनों का अभाव रहा है। भारतीय पुलिस बल पुरुष प्रधान रहा है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय पुलिस में महिलाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र में ८०प्र० में इलाहाबाद तथा कानपुर क्षेत्र की महिला पुलिसकर्मियों पर किये गये शोध कार्य पर आधारित है। इसमें इनकी कार्यदशाओं व सफलता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है, जिसमें सभी श्रेणियों के पदाधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। समग्र मूल्यांकन के लिए पुरुष पुलिसकर्मियों के दृष्टिकोण को भी जानने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के साथ उनके सामंजस्य का विश्लेषण विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों विचारों के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का विषय “उत्तर प्रदेश की महिला पुलिसकर्मियों की कार्यदशाएँ व सफलता” है, जिस पर प्रथम बार कार्य होने के कारण तथ्यों का संकलन या सूचनाओं के एकत्रीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक स्तरोंतो द्वारा किया गया है। जिसमें औपचारिक व अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसूची का प्रयोग मुख्य तौर पर तथा अवलोकन का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध में तीन वर्गों से निर्दर्शन का चयन किया है। ये वर्ग हैं, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी एवं सामान्यजन के लोग जो कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। निर्दर्शन के चयन का आधार उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निर्दर्शन है। पुलिसकर्मी सूचनादाताओं का चुनाव (महिला एवं पुरुष दोनों के लिए इलाहाबाद और कानपुर दोनों ही जगह हैं, लेकिन सामान्य सूचनादाताओं के लिए केवल इलाहाबाद क्षेत्र ही चुना गया है। पुलिसकर्मियों में विभिन्न पदों, आयु वर्गों और सेवाकाल के लोगों का चुनाव किया है।

मात्र प्रदेश पुलिस के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पद ऊँचे से नीचे पदों की ओर क्रमशः (1) पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक (2) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (3) पुलिस महानिरीक्षक (4) पुलिस उपमहानिरीक्षक (5) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक

*असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बी.एच.यू. वाराणसी

(6) सहायक पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (7) पुलिस उपाधीक्षक (8) निरीक्षक (9) उपनिरीक्षक (10) मुख्य आरक्षी (11) आरक्षी हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हें 5 श्रेणीयों में रखा गया है। 1. भारतीय पुलिस सेवा; 2. क्षेत्राधिकारी में क्र. सं. 1–5; 3. निरीक्षक; 4. उपनिरीक्षक; तथा 5. मुख्य आरक्षी।

1902 के पुलिस आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप प्रदेश में सर्वप्रथम मुरादाबाद में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। वर्तमान में तीन पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (मुरादाबाद में—2 तथा सीतापुर में—1) एक सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर, पाँच पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (एक मुरादाबाद में, एक उन्नाव में तथा तीन गोरखपुर में हैं।) एक रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र चुनार में स्थित है। शाहजहाँपुर पुलिस लाइन में महिला कान्स्टेबल प्रशिक्षणार्थियों हेतु एक आर०टी०सी० कार्यरत है।

उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि

उत्तरदाताओं में 18–25 आयु वर्ग की 19 प्रतिशत महिलाएं हैं, 26–35 आयु वर्ग में 43.3 प्रतिशत 36–45 आयु वर्ग में 36 प्रतिशत, 46–55 आयु वर्ग में 1.2 प्रतिशत महिला पुलिस हैं। सामान्य सूचनादाताओं में 18–30 आयु वर्ग के 21 प्रतिशत लोग हैं, 31–40 आयु वर्ग में 25 प्रतिशत लोग, 41–50 आयु वर्ग में 30 प्रतिशत तथा 51–60 आयु वर्ग में 20 प्रतिशत एवं 60 वर्ष से ऊपर 4 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता हैं।

पुलिस कर्मियों के लिंग के आधार पर वर्गीकरण में 66 प्रतिशत स्त्री तथा 34 प्रतिशत पुरुष हैं। सामान्य सूचनादाताओं में 21 प्रतिशत स्त्रियाँ तथा 79 प्रतिशत पुरुष हैं।

पाँच वर्ष की सेवा अवधि वाली 51 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी, 6–10 वर्ष की सेवा अवधि 1 वाली 12 प्रतिशत महिला पुलिस है। 11–15 वर्ष की सेवा अवधि में 13 प्रतिशत, 16–20 वर्ष की सेवा अवधि वाली 14 प्रतिशत, 21–25 वर्ष की सेवा अवधि वाली 10 प्रतिशत महिला पुलिस हैं।

पुरुष पुलिसकर्मी में 5 वर्ष की सेवा अवधि के 14 प्रतिशत, 6–10 वर्ष की अवधि के लिए भी सूचनादाता नहीं है। 11–15 वर्ष की सेवा अवधि में 12 प्रतिशत लोग हैं। 16–20 वर्ष की सेवा अवधि में 21 प्रतिशत तथा 21–24 वर्ष की सेवा अवधि में 5 प्रतिशत लोग हैं। सर्वाधिक 26 वर्ष एवं इसके ऊपर में 49 प्रतिशत लोग हैं।

शिक्षा की दृष्टि से 5 प्रतिशत महिला पुलिस कर्मी हाई स्कूल, 33 प्रतिशत इण्टर, 39 प्रतिशत स्नातक, 24 प्रतिशत परास्नातक है। सामान्य सूचनादाताओं में 5 प्रतिशत हाईस्कूल, 3 प्रतिशत इण्टर, 25 प्रतिशत, स्नातक, 26 प्रतिशत परास्नातक 42 प्रतिशत अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं।

वैवाहिक प्रस्थिति के अनुसार, 49 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अविवाहित, 43 प्रतिशत विवाहित, 1.20 प्रतिशत तलाकशुदा एवं 6 प्रतिशत विधवा हैं।

धर्म के आधार पर 96 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी हिन्दू तथा 4 प्रतिशत मुस्लिम हैं। पुरुष पुलिसकर्मियों में 94 प्रतिशत हिन्दू, 5 प्रतिशत मुस्लिम हैं। सामान्य सूचनादाताओं में 95 प्रतिशत हिन्दू तथा 5 प्रतिशत हिन्दू, 5 प्रतिशत मुस्लिम हैं। सामान्य सूचनादाताओं में 95 प्रतिशत हिन्दू तथा 5 प्रतिशत मुस्लिम धर्म में सम्बन्धित है। महिला पुलिसकर्मी जाति के आधार पर सामाजिक

प्राचीन लकड़ी के उत्पादन के लिए नियमित विकल्पों के साथ विभिन्न विकल्पों के विवरण

प्राचीन लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची

प्राचीन लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची	दृष्टि	उत्पादन की दर																		
1. लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची	18	31.03	8	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	31.32
2. लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची	11	18.96	3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16.86
3. लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची	10	17.24	4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	16.86
4. लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची	5	8.6	3	15	1	100	1	100	1	100	3	100	3	100	3	100	3	100	13	15.66
5. लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची	12	20.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	14.45
6. लकड़ी के लिए विकल्पों की सूची	2	3.44	2	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.8
		58	100	20	100	1	100	1	100	1	100	3	100	3	100	3	100	33	100	

कोटियाँ यदि देखें तो 71 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी उच्च जाति, 24 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 5 प्रतिशत अनूसूचित जाति के हैं। 70 प्रतिशत पुरुष पुलिस उच्च जाति 28 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। 84 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता उच्च जाति, 12 प्रतिशत पिछड़ी जाति व 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति के हैं।

महिला पुलिसकर्मियों की कार्य दशाएँ

महिला पुलिसकर्मी की सफलताओं एवं असफलताओं को हम तभी ढंग से समझ सकते हैं जब यह पता हो कि वास्तव में महिला पुलिसकर्मी किस प्रकार उपयोगी हैं। इस प्रश्न का स्वयं महिला कर्मियों एवं उनके साथ कार्य करने वाले पुरुष पुलिसकर्मियों से प्राप्त उत्तर के आधार पर उनकी कार्यदशा तथा सफलताएँ सम्बन्धी तथ्यों की जानकारी दी जा रही है। महिला पुलिस से उनकी उपयोगिता के बारे में प्रश्न करने पर यह स्पष्ट होता है कि 31.32 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी ये मानती हैं कि उनकी उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं। 16.86 प्रतिशत मानती है, कि वे महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने तथा न्याय दिलाने में सहायक हैं। 16.86 प्रतिशत मानती हैं, कि महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी हैं। 15.66 प्रतिशत मानती हैं, कि महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता इस कारण है कि वे संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने की उपयोगिता इस कारण है कि वे संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने से सहायक हैं। जबकि 14.45 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों ने उत्तर नहीं दिया है। अन्य कारणों में जो 4.8 प्रतिशत है, यह कहा गया है कि वर्तमान में महिलाओं में भी अपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं जिन्हें रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है, साथ ही महिलाएँ अपनी समस्याओं को निःसंकोच होकर महिला पुलिसकर्मियों से कहती हैं। इस प्रकार 69 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मियों की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित क्षेत्र में, ही अनुभव करती हैं। 16.86 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से देश व समाज के लिए महिला पुलिसकर्मियों की उपयोगिता मानती हैं। यद्यपि विभिन्न मतों में पद के अनुसार प्रतिशत भी भिन्न-भिन्न हैं (सारणी सं. 1)।

लगभग एक तिहाई (31.03) प्रतिशत महिला आरक्षियों ने महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगिता स्वीकार की है। 18.96 प्रतिशत आरक्षियों ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को राकर्ने एवं न्याय दिलाने में सहायक हैं, स्वीकार किया है। 17.24 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने माना कि महिला पुलिसकर्मी सभी प्रकार से देश व समाज के लिए उपयोगी हैं। 8.6 प्रतिशत ने माना कि महिला पुलिसकर्मी संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझने एवं सुलझाने में सहायक हैं। 20.68 प्रतिशत आरक्षियों ने कोई उत्तर नहीं दिया एवं 3.44 ने महिला पुलिसकर्मियों की उपयोगिता के अन्य कारण बताये हैं।

महिला आरक्षियों के मतों में यदि हम कुल महिलाओं से सम्बन्धित उपयोगिता को देखें तो क्रम 1, 2, 4, 6 में क्रमशः 31.03 प्रतिशत, 18.96 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत, 3.44 प्रतिशत यानि कुल 62 प्रतिशत लोगों ने माना है। जबकि 20.68 प्रतिशत लोगों ने उत्तर नहीं दिया है। 17 प्रतिशत लोगों ने महिलाओं की इस विभाग में उपयोगिता सभी प्रकार से स्वीकार की है।

नवरचना के 2 वर्षों की वार्षिक विवरणों का सारांश

नवरचना के 2 वर्षों की वार्षिक विवरणों का सारांश

संक्षिप्त वर्णन	वर्ष	वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		वर्ष		ग्रन्थालयीकृति
		वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	
1. अधिकारी विवरण	5	45.45	12	52.17	1	50	3	60	-	-	21	48.83
2. ग्रन्थालयीकृति	-	-	1	4.34	-	-	1	20	-	-	2	4.65
3. नवरचना के वर्षों की वार्षिक विवरण	1	9.00	5	21.73	-	-	-	-	1	50	7	16.27
4. नवरचना के वर्षों की वार्षिक विवरण	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	1	2.32
5. नवरचना के वर्षों की वार्षिक विवरण	3	27.27	3	13.04	-	-	1	20	-	-	7	16.27
6. ग्रन्थालयीकृति	1	9.00	2	8.66	1	50	-	-	-	-	4	9.30
7. ग्रन्थालयीकृति	1	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.32
वृत्ति	11	25.58	23	53.48	2	4.65	5	11.62	2	4.65	43	100

कुल 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने महिला पुलिस की उपयोगिता, महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ—ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगिता माना है। कुल 15 प्रतिशत के अनुसार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक है। 20 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने सभी प्रकार से समाज व देश के लिए महिला पुलिस कर्मियों को उपयोगी माना है। 15 प्रतिशत ने संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्या को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में सहायक हैं, स्वीकार किया है। 10 प्रतिशत ने अन्य कई कारण माने हैं, पर महिला पुलिस की उपयोगिता है। इस प्रकार से महिलाओं से सम्बन्धित होने के कारण को कुल (क्रम 1, 2, 4, 6) का क्रमशः प्रतिशत 40 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 10.80 प्रतिशत माना है तथा सभी क्षेत्रों में उपयोगी होने को 20 प्रतिशत मात्र प्राप्त हुए हैं।

खास बात यह है कि महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा की अदिकारियों ने अपने 100 प्रतिशत मत संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं की समस्या को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में महिला पुलिसकर्मी उपयोगी हैं, को प्रदान किया है।

महिला आरक्षी एवं उपनिरीक्षकों ने अपने दिये गये मतों में सर्वाधिक मत महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता को महिलाओं ने गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ—ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी स्वीकार किया है। जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियों ने संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में सहायक है, को प्रदान किया है।

पुरुष पुलिसकर्मियों ने अपने साथ काम करने वाली महिला पुलिसकर्मियों की उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित मत पदानुसार व्यक्त किये हैं।

सारिणी (संख्या 2) से पता चलता है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला कर्मियों की उपयोगिता के बारे में जो विभिन्न मत प्रस्तुत किये हैं, उसमें सर्वाधिक 48.83 प्रतिशत मत महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा पूछ—ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगिता को दिया है। 16.27 प्रतिशत मत सभी प्रकार से समाज व देश के लिए उपयोगी हैं, को प्रदान किये हैं। 16.27 प्रतिशत लोगों ने कहा है, कि महिला पुलिस का कोई महत्वपूर्ण उपयोगिता नहीं है। 9.30 प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर नहीं दिया है। 4.65 प्रतिशत ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक माना है। 2.32 प्रतिशत ने कहा है कि संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने एवं सुलझाने में सहायक हैं। 2.32 प्रतिशत ने अन्य विचार प्रस्तुत किये हैं।

जबकि 16.27 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मियों का मानना है, महिला पुलिसकर्मी की इस विभाग में कोई उपयोगिता नहीं है, जो कि नकारात्मक रूख है।

यदि हम पद के अनुसार इन मतों को देखें तो पुरुष आरक्षियों ने क्रम (1) को सर्वाधिक 45.45 प्रतिशत मत दिये उसके बाद क्रम (2) को 9.09 प्रतिशत, क्रम (3) को 27.27 प्रतिशत, क्रम

(4) को 9.09 प्रतिशत, क्रम (5) व (6) के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया एवं क्रम (7) को 9.9 प्रतिशत मत दिये हैं।

पुरुष उपनिरीक्षकों ने भी क्रम (1) को सर्वाधिक 52.17 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं। क्रम (2) 21.73 प्रतिशत, क्रम (3) को 13.04 प्रतिशत, क्रम (4) को 8.69 प्रतिशत, क्रम (5) 4.34 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं एवं क्रम (6) व (7) के बारे में कुछ नहीं कहा है।

पुरुष निरीक्षकों ने क्रम (1) को 50 प्रतिशत एवं क्रम (4) को भी 50 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं। पुरुष उपाधिक्षकों ने क्रम (1) को 60 प्रतिशत, क्रम (3) को 20 प्रतिशत एवं क्रम (4) को भी 20 प्रतिशत मत दिये हैं। भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारियों ने क्रम (2) को 20 प्रतिशत एवं क्रम (6) को भी 50 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं।

पुरुष आरक्षी, उपनिरीक्षक, निरीक्षक एवं उपाधीक्षक पद के लोगों ने अपने सर्वाधिक मत क्रम (1) को दिये हैं। यदि हम कुल पुरुष पुलिस कर्मियों के मत महिला पुलिस कर्मियों के बारे में देखें तो इनकी उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित उपयोगिता वाले क्रम को (1, 5 और 6) क्रमशः $48.83+4.64+2.32=55.8$ प्रतिशत यानि 56 प्रतिशत मत दिये हैं।

इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में महिला पुलिस कर्मियों की उपयोगिता है, ही इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि आधे से अधिक मत इनको प्राप्त होते हैं।

सामान्य सूचनादाता ने अपने विभिन्न मत जो महिला पुलिस की उपयोगिता के बारे में प्रस्तुत किये हैं, उसमें सर्वाधिक 36.36 प्रतिशत मत महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न को रोकने एवं न्याय दिलाने में सहायक हैं, को दिये हैं। 20.27 प्रतिशत लोग मानते हैं कि महिला पुलिसकर्मी महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में गिरफ्तारी, सुरक्षा, पूछ-ताछ, तलाशी, पेशी आदि में उपयोगी हैं। 15.58 प्रतिशत लोग मानते हैं, कि महिला पुलिसकर्मी संवेदनशील होने के कारण महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छा समझने के कारण पारिवारिक विवादों में उपयोगी हैं। 9.09 प्रतिशत लोग इन्हें सभी प्रकार से देश के लिए उपयोगी मानते हैं। 6.49 प्रतिशत लोग मानते हैं कि महिला पुलिसकर्मी का स्वभाव पुरुष पुलिसकर्मी की अपेक्षा ज्यादा नम्र होता है और जनता की समस्या को ढंग से सुनती हैं। 11.68 प्रतिशत लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। सामान्य जन के मत में यदि क्रम 1, 2, 3 का (36.36, 20.77, 15.58) कुल 73 प्रतिशत है जो ये मानता है कि इनकी उपयोगिता उन सभी घटनाओं में है जिसमें कोई भी महिला प्रत्यक्षतः किसी घटना में जुड़ी होती है। इनकी उपयोगिता को यदि हम ध्यान से देखें तो स्वयं महिला होने एवं महिलाओं से सम्बन्धित होने के कारण इनकी उपयोगिता $73+6.49$ (अधिक नम्र एवं जनता की समस्याओं को ढंग से सुनती हैं) =79 प्रतिशत है। अतः इनकी उपयोगिता समाज में है।

यदि हम महिला पुलिस की उपयोगिता के बारे में विश्लेषण करें तो 69 प्रतिशत स्वयं महिला पुलिसकर्मी अपनी उपयोगिता उन सभी मामलों में जिसमें कोई महिला प्रत्यक्षतः शामिल है उनमें सर्वाधिक मानती हैं।

पुरुष पुलिसकर्मियों ने भी इस मत में अपने 56 प्रतिशत मत प्रदान किये हैं, साथ ही साथ सामान्य जनता भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता 73 प्रतिशत मानती हैं जो कि महत्व रखती है।

जनसंख्या की आधी आबादी यदि हम महिलाओं को मानते हैं, तो भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता है। समाज में अपराधिक प्रवृत्ति की महिलाएँ भी हैं, तो महिला पुलिस की जरूरत जरूर महसूस होगी।

17 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी उपयोगिता सभी क्षेत्रों में स्वीकार करती हैं। 16.27 प्रतिशत पुलिसकर्मी भी यह मानते हैं, एवं 9.09 प्रतिशत सामान्य जनता भी यही मानती है।

महिला पुलिसकर्मियों से जब यह प्रश्न किया गया कि पिछले कुछ महीनों या वर्षों में आपको किसी विशेष समस्या सम्बन्धी कार्य सौंपा गया; तो पता चलता है कि 22.41 प्रतिशत महिला आरक्षी ने किसी विशेष समस्या सम्बन्धी कार्य सौंपे जाने के लिए हाँ कहा है, तथा 77.57 प्रतिशत ने मना किया है। इसी प्रकार महिला उपनिरीक्षकों में 50 प्रतिशत ने हाँ तथा 50 प्रतिशत ने नहीं कहा है। महिला निरीक्षक एवं उपाधीक्षक ने 100 प्रतिशत हाँ कहा है, जबकि भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओं में 67 प्रतिशत ने हाँ एवं 33 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह अभी नयी—नयी विभाग में आयी थी और अभी तक उन्हें कोई खास काम सौंपा नहीं गया था, वह अन्डर ट्रेनिंग में थी। कुल महिला पुलिस कर्मियों को देखेंगे तो 32.53 प्रतिशत ने ही हाँ में उत्तर दिया है, काफी मात्रा में यानि 66.26 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया एवं 1.2 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया। यदि हम हाँ में उत्तर देने वाले लोगों के बारे में विचार करें कि उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं, तो पदानुसार यह निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि सभी को अपने पद के अधिकार के अनुसार ही कार्य प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट है कि कुल 22 प्रतिशत आरक्षियों ने जो हाँ में उत्तर दिये हैं, उनमें से 46.15 प्रतिशत ने किसी विवादास्पद धार्मिक या अन्य स्थानों पर ड्यूटियाँ कहा है। 38.46 प्रतिशत ने महिलाओं से सम्बन्धित किसी खास केस में विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ कहा है। 5.38 प्रतिशत ने किसी खास सांस्कृतिक कार्य अथवा खेलकूद में भाग लिया है।

महिला उपनिरीक्षकों में से 50 प्रतिशत ने किसी विशेष कार्य को सौंपे जाने के सम्बन्ध में हाँ कहा है। उन्हें निम्न प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी गयी हैं। 60 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उन्हें महिलाओं से सम्बन्धित कुछ खास केस या समस्याओं का समाधान करवाया है। 20 प्रतिशत ने कहा कि थानाध्यक्ष या चौकी इंचार्ज के पद पर रहते हुए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य तथा 20 प्रतिशत ने किसी खास समस्या का समाधान किया जो कि केवल महिलाओं से ही सम्बन्धित नहीं था।

सौ निरीक्षक को जो काम सौंपे गये हैं, उनमें वी0आई0पी0 सुरक्षा एवं दस्यु उन्मूलन (एन्टी डकैती) के कार्य हैं। शत प्रतिशत उपाधीक्षक ने कुम्भ व माघमेला व चुनाव ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य के लिए कहा है। 67 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिलाओं ने मानवाधिकारों से सम्बन्धित जितने मामले सी0आई0ओ0 में थे, उनका पर्यवेक्षण तथा उत्तराखण्ड के विवाद के समय वहाँ चुनाव कराना था।

काम सौंपें जाने का मतलब है कि वह कार्य को ढंग से कर पा रही है, या समाज में उसकी जरूरत है, और उसकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ उसके पद के अनुसार कार्य लिये जाते हैं। लेकिन क्या ये जो काम उनको सौंपे जाते हैं वह इनकी सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार होते हैं। जब ये प्रश्न उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों से पूछा गया तो निम्न बातें सामने आयी हैं।

पुरुष आरक्षी में से 9 प्रतिशत पुरुष आरक्षी ये मानते हैं कि महिला पुलिस को दी जाने वाली ड्यूटी उनकी सामर्थ्य या क्षमता से कम होती है। जबकि 91 प्रतिशत मानते हैं कि ठीक होती है। पुलिस उपनिरीक्षकों में से 13 प्रतिशत का मानना है कि क्षमता से कम दी जाती है। 17 प्रतिशत मानते हैं, क्षमता से ज्यादा दी जाती है। 70 प्रतिशत मानते हैं कि उनकी क्षमता के अनुसार ठीक ही दी जाती है। शत प्रतिशत निरीक्षक मानते हैं कि उनकी क्षमता के अनुसार ही दी जाती है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षक मानते हैं कि क्षमता से कम दी जाती है एवं 60 प्रतिशत मानते हैं, ठीक दी जाती है। शत प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के लोग मानते हैं, कि ठीक दी जाती है। अगर हम कुल योग देखें तो 14 प्रतिशत लोग क्षमता से कम, 9 प्रतिशत ठीक मानते हैं। ठीक मानने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक फिर दूसरे नम्बर पर कम और तीसरे स्थान पर ज्यादा है। इससे ये भी पता चलता है कि उन्हें जो ड्यूटी दी गयी है वे उसमें भी अधिक की क्षमता रखती है। 66 प्रतिशत मानते हैं कि वे उस ड्यूटी के लिए एकदम ठीक हैं। 14 प्रतिशत लोग मानते हैं कि वे दी गयी ड्यूटी के लिए एकदम ठीक हैं। 9 प्रतिशत मानते हैं कि उनकी क्षमता उतनी नहीं है, जितनी कि ड्यूटी दी जाती है। कुल $77+14=91$ प्रतिशत मत ये हुआ कि महिला पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में सफल है।

महिला पुलिस से ये प्रश्न किया गया है कि आपके काम को कभी सराहा गया है। तो इसका उत्तर विभिन्न पदों के अनुसार निम्न प्रकार से दिया। लगभग दो—तिहाई से अधिक (67. 46 प्रतिशत) महिला पुलिसकर्मी कहती हैं कि उनके कार्य को सराहा गया है, जो सर्वाधिक है। 24 प्रतिशत ने माना है कि उनके काम को कभी विभाग में सराहा नहीं गया है। 8.43 प्रतिशत पुलिसकर्मी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पदानुसार हाँ या नहीं को देखे तो पायेंगे कि 64 प्रतिशत आरक्षियों ने हाँ 24 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया। 12 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। हाँ का प्रतिशत इनमें भी सर्वाधिक है। तीन—चौथाई (75 प्रतिशत) महिला उपनिरीक्षकों ने हाँ एवं 24 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया। निरीक्षक और उपाधीक्षक ने 100 प्रतिशत हाँ में उत्तर दिया है। भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों में 67 प्रतिशत ने हाँ एवं 33 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। सभी पदों के अनुसार उनका प्रतिशत हाँ में ही सर्वाधिक है और कुल में भी हाँ में ही अधिक उत्तर दिया है।

अब जानना यह है कि पद के अनुसार इन्हें किस तरीके के कार्य करने को ज्यादा मिले हैं। यह प्रश्न महिला पुलिस से किया जाता है कि विभाग से सम्बन्धित कौन—कौन से दायित्व आपको प्राप्त हुए हैं तो पद के अनुसार विभिन्न मत प्रस्तुत किया गया है।

सबसे पहले हम महिला आरक्षियों के मतों को सारिणी के अनुसार देखेंगे। महिला आरक्षियों में से 40 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जो कि सर्वाधिक मत है। जबकि 33 प्रतिशत ने पद के अनुरूप उन सभी प्रकार के कार्यों को किया है। 17.24 प्रतिशत ने विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ की हैं जैसे—मेले, रैली, वी0आई0पी0, कुम्भ, कचेहरी, स्कूल, नाइट संतरी, ऑफिस, वोट, विवादास्पद स्थानों की ड्यूटी इत्यादि। 10.34 प्रतिशत ने महिलाओं से सम्बन्धित दायित्वों को निभाया है जैसे—सुरक्षा, पेशी, डॉक्टरी, गिरफ्तारी, अपराध एवं उत्पीड़न को रोकने आदि में। अब हम महिला उपनिरीक्षकों के मत को भी जान सकते हैं।

महिला उपनिरीक्षकों में से 40 प्रतिशत ने कहा है कि उन्होंने पद के अनुरूप सभी प्रकार के कार्य किये हैं। 35 प्रतिशत ने कहा है कि उन्होंने चौकी प्रभारी एवं थाना प्रभारी के सम्बन्धित

सभी प्रकार के कार्य किये हैं। दूसरा मत भी पहले मत में शामिल किया जा सकता है। जो भी उन्हें पद दिया गया है उसके अनुरूप सभी विभिन्न प्रकार के कार्य किया है, इसका कुल मत (12 क्रम यानि $40+34=75$ प्रतिशत) 75 प्रतिशत पद के अनुरूप विभिन्न दायित्व निभाये हैं। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने कहा है कि कुछ खास नहीं केवल औपचारिकता निभाई जाती है और उन्हें अभी तक कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं मिला है। 10 प्रतिशत महिला पुलिस ने इसका उत्तर नहीं दिया है। शत प्रतिशत महिला निरीक्षकों ने कहा कि उन्हें अपने पद के अनुरूप दायित्व प्राप्त हुए हैं, सिविल पुलिस में चौकी इंचार्ज, पदोन्नति से पहले, फिर पी0ए0सी0 में दलनायक तथा कुम्भ मेला में आर0आई0 जल पुलिस आदि। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षकों के अनुसार अपने क्षेत्र में पद के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य उनको मिले हैं। भारतीय पुलिस सेवा की 67 प्रतिशत महिला अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पद के अनुरूप सभी कार्य करने को मिले हैं। 33 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। सभी पदों के अनुसार (जिन्होंने उत्तर दिया है) इस मत का सर्वाधिक प्रतिशत है, कि पदानुसार विभिन्न कार्य करने को मिले हैं।

महिला पुलिस में से 41 प्रतिशत ने कहा कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उनके सम्बन्ध अच्छे हैं, 55 प्रतिशत के सामान्य है एवं 3.6 प्रतिशत के सम्बन्ध ठीक नहीं है। यदि हम पदानुसार देखें तो 36 प्रतिशत आरक्षियों के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्बन्ध अच्छे, 58.62 प्रतिशत के सामान्य, एवं 5 प्रतिशत के सम्बन्ध ठीक नहीं है। 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों के सम्बन्ध अच्छे, 60 प्रतिशत के सामान्य हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे हैं। यानि कार्यक्षेत्र में सामन्जस्य महिला पुलिस का अच्छा रहता है।

पुरुष पुलिसकर्मियों से प्रश्न किया कि सामान्यतः आपकी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है तो उसका उत्तर पदानुसार निम्नवत् था। पुरुष पुलिसकर्मियों में से 60.46 प्रतिशत ने अपनी उच्च महिला अधिकारी का व्यवहार अच्छा स्वीकार किया है। 40 प्रतिशत ने कहा है कि व्यवहार सामान्य रहता है, न अच्छा न बुरा। हम पदानुसार सारिणी में देखेंगे तो आरक्षियों में 45 प्रतिशत ने अच्छा एवं 55 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। पुलिस उपनिरीक्षकों में 76 प्रतिशत ने अच्छा एवं 21.73 प्रतिशत यानि 22 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। 100 प्रतिशत निरीक्षकों ने अच्छा एवं 100 प्रतिशत उपाधीक्षकों ने सामान्य कहा। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने अच्छा एवं 50 प्रतिशत सामान्य कहा है।

अतः कहा जा सकता है कि महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार अपने अधीनस्थ पुरुष कर्मियों से 60 प्रतिशत अच्छा रहता है एवं 40 प्रतिशत सामान्य यानि कार्यक्षेत्र में अपने अधिनस्थों के प्रति व्यवहार कुशल रहती है।

अब हम बराबर के पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियों के व्यवहार के बारे जानना चाहेंगे कि अपने साथ के पुरुष पुलिसकर्मियों के प्रति कैसा रहता है। कुल 26 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मियों का मानना है कि साथ ही समान पद पर आसीन महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार अच्छा रहता है। 74 प्रतिशत के अनुसार व्यवहार सामान्य रहता है। पदानुसार देखेंगे, तो 45 प्रतिशत आरक्षी अच्छा एवं 55 प्रतिशत आरक्षी सामान्य व्यवहार स्वीकार करते हैं। 17 प्रतिशत उपनिरीक्षक अच्छा एवं 83 प्रतिशत सामान्य कहते हैं। शत-प्रतिशत निरीक्षक सामान्य कहते हैं। 20 प्रतिशत उपाधीक्षक अच्छा एवं 80 प्रतिशत सामान्य कहते हैं। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अच्छा एवं

50 प्रतिशत सामान्य व्यवहार स्वीकार करते हैं। यदि हम भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के मत— 50 प्रतिशत अच्छा एवं 50 प्रतिशत सामान्य को छोड़कर देखें तो सभी पदों में 50 प्रतिशत से ज्यादा मत सामान्य व्यवहार को मिला है, यानि सभी पदों में सर्वाधिक मत सामान्य को आधे से ज्यादा मिले हैं।

पुरुष पुलिसकर्मियों से जब ये प्रश्न किया कि उनके नीचे पदों पर नियुक्त महिला पुलिस का व्यवहार कैसा रहता है तो ज्ञात होता है कि 37.20 प्रतिशत पुरुषकर्मियों ने अच्छे व्यवहार के प्रति हामी भरी है, 44 प्रतिशत ने सामान्य एवं 4.65 प्रतिशत यानि 5 प्रतिशत ने खराब व्यवहार एवं 13.15 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया।

पदानुसार हम देखते हैं तो सर्वप्रथम पुरुष आरक्षियों से जब ये प्रश्न किया गया कि आपके नीचे के पदों पर तैनात महिला पुलिस का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है, तो 55 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है, कारण उनसे नीचे की महिला पुलिसकर्मी है ही नहीं। 45 प्रतिशत लोगों ने सामान्य उत्तर दिया है, उसमें वो लोग हैं जो हेड कांस्टेबिल या दीवान हैं। 52.17 प्रतिशत उपनिरीक्षक अच्छा व्यवहार कहते हैं, 31 प्रतिशत सामान्य एवं 9 प्रतिशत पुरुष उपनिरीक्षकों का मानना है कि उनसे नीचे पदों की महिला पुलिस का व्यवहार खराब है। 50 प्रतिशत पुरुष निरीक्षकों ने अच्छा तथा 50 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। 40 प्रतिशत उपाधीक्षकों ने अच्छा एवं 60 प्रतिशत ने सामान्य कहा है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अच्छा एवं 50 प्रतिशत सामान्य कहते हैं।

कुल 41 महिला पुलिसकर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में ये कहा है कि उनके सम्बन्ध उनसे अच्छे हैं एवं 55 प्रतिशत ने सामान्य एवं 3.6 प्रतिशत यानि 4 प्रतिशत ने कहा, ठीक नहीं है। यह तो उनके अपने विचार है, दूसरी तरफ उनके उच्च पुरुष अधिकारियों का कहना है उनके नीचे पदों पर आसीन महिला पुलिस का व्यवहार अच्छा है 37 प्रतिशत ने कहा, साथ 44 प्रतिशत ने सामान्य एवं 5 प्रतिशत ने कहा ठीक नहीं है। 13.15 ने उत्तर नहीं दिया है। फिर यदि अधिकारी महिला है तो उसमें अधीनस्थ पुरुषों का भी मत मायने रखता है।

अधीनस्थ पुरुष पुलिस 60 प्रतिशत कहते हैं कि महिला पुलिस का व्यवहार अच्छा रहता है, एवं 40 प्रतिशत कहते हैं कि सामान्य रहता है। खराब की बात किसी के द्वारा नहीं कही गयी है। साथ—साथ काम करने वाले एक से पदों की महिलाओं एवं पुरुषों के अपने समान स्तर के बारे में 26 प्रतिशत का कहना है कि अच्छा रहता है। 74 प्रतिशत का कहना है, कि सामान्य रहता है। इनमें भी खराब की बात स्वीकार नहीं की गयी है।

इन आंकड़ों से पता चलता है, कि महिला पुलिस का अपने उच्च पुरुष अधिकारियों एवं उच्च पुरुष अधिकारियों का अपने अधीनस्थ महिला पुलिस कर्मियों से व्यवहार में कुछ यानि जैसा कि महिलाओं ने 4 प्रतिशत एवं पुरुषों ने 5 प्रतिशत ठीक नहीं है, स्वीकार किया है। ये सम्बन्ध आरक्षी एवं उपनिरीक्षक पर ही है, लेकिन है। परन्तु महिला पुलिस यदि उच्च पद पर है तो उसके अधीनस्थों से उसका सम्बन्ध सही है। एक समान पद पर पुरुष एवं महिला कर्मियों का आपस में भी व्यवहार काफी हद तक अच्छा है।

इसके अलावा जब हम सामान्य जनता से पूछते हैं कि महिला पुलिसकर्मी का व्यवहार पुरुष पुलिसकर्मी की अपेक्षा कैसा रहता है, तो निम्न तथ्य सामने आते हैं: सामान्य जनता जिसमें विभिन्न नौकरियों एवं व्यवसायों से जुड़े महिला एवं पुरुष हैं, उनका मानना है कि महिला पुलिसकर्मियों

का व्यवहार पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा अच्छा है। इसे 62 प्रतिशत मानते हैं। पुरुषों के समान ही व्यवहार को 36 प्रतिशत लोग मानते हैं। 1 प्रतिशत लोग इनका व्यवहार 'पुरुषों की अपेक्षा भी खराब' मानते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत अच्छे का है जो आधे से भी ज्यादा है। यानि काफी हद तक इनका व्यवहार ठीक रहता है।

एक प्रश्न में महिला पुलिस से पूछा गया है पुरुषों के व्यवहार में आपके प्रति कोई परिवर्तन आया है तो इसका उत्तर पदानुसार इस प्रकार है। महिला आरक्षी में से 50 प्रतिशत मानती हैं कि पुरुषों के व्यवहार में उनके प्रति बदलाव आया है। जबकि 50 प्रतिशत मानती हैं कि कोई बदलाव नहीं आया है। 60 प्रतिशत उपनिरीक्षक हाँ में एवं 40 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक एवं महिला उपाधीक्षक हाँ में उत्तर देती है। 33 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी हाँ में एवं 67 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

कुल प्रतिशत देखें तो 53 प्रतिशत महिला पुलिस ने हाँ में एवं 47 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। इन आँकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि काफी हद तक बदलाव आया है पर पूरी तरह से नहीं, फिर भी महिला पुलिस कर्मियों के प्रति पुरुषों के व्यवहार में जो भी बदलाव आया है, उसमें कुछ प्रभाव शायद पुलिस विभाग की होने की वजह से भी आया है, क्योंकि जब साधारण जन से ये पूछा गया कि अन्य विभाग की महिलाओं की अपेक्षा पुलिस विभाग की महिलाओं में क्या कोई खास अन्तर पाते हैं तो साधारण जन के पुरुषों का निम्न उत्तर था: सामान्य जन के पुरुषों में से 72.13 प्रतिशत का मानना है कि पुलिस विभाग की महिलाओं और अन्य विभाग की महिलाओं में अन्तर पाया जाता है। 28 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि कोई अन्तर नहीं है। 72.13 लोगों ने इसका कारण भी बताया है: सर्वाधिक 32.5 या 33 प्रतिशत लोगों ने कहा कि महिला पुलिस कठिन परिश्रमी होती है। 30 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके व्यवहार में अन्तर आ जाता है यानि उनके अन्दर सामान्य औरतों से अलग व्यवहार होता है जैसे उठना, चलना, बातचीत का अन्दाज जिससे कभी-कभी लगता है, कि रुखा व्यवहार या शिष्टाचार का अभाव है। 22.5 लोगों ने कहा कि ये अधिक निडर एवं साहसी हैं। 10 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इस विभाग की महिलाओं में हीनता बोधता की ग्रंथि पायी जाती है, क्योंकि यह पुरुष प्रधान विभाग है।

पुरुष पुलिसकर्मियों से पूछा गया कि साधारण महिला में और महिला पुलिस में आपको (स्वभाव में) कोई अन्तर मिलता है तो निम्न उत्तर प्राप्त हुए: पुरुष पुलिसकर्मियों में से 81.39 प्रतिशत मानते हैं कि साधारण महिला एवं महिला पुलिस में अन्तर है। 19 प्रतिशत मानते हैं कि कोई अन्तर नहीं है। तदानुसार देखें तो 62 प्रतिशत आरक्षियों ने हाँ एवं 18 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। जबकि 83 प्रतिशत उपनिरीक्षकों ने हाँ एवं 17 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। शत-प्रतिशत निरीक्षक 'हाँ' में उत्तर देते हैं। 80 प्रतिशत उपाधीक्षक हाँ एवं 20 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने हाँ में एवं 50 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है।

पचास प्रतिशत महिला पुलिस मानते हैं कि पुरुषों के व्यवहार में उनके प्रति बदलाव आया है तो बदलाव के कारण के रूप में हमने पाया कि साधारण जन के 72 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि पुलिस विभाग की महिलाओं एवं अन्य विभाग की महिलाओं में अन्तर मान रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यवहार भी परिवर्तित होगा (पुरुषों का इस विभाग की महिलाओं के प्रति) दूसरी तरफ 81 प्रतिशत पुरुष पुलिस का भी मानना है कि महिला पुलिस एवं साधारण महिलाओं के स्वभाव में अन्तर पाया जाता है।

इन आकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 50 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना लगभग सही ही है। महिला पुलिस कर्मियों से प्रश्न किया कि क्या आप वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं तो इसका उत्तर निम्न प्रकार से पदानुसार दिया है: महिला पुलिसकर्मियों में से 81 प्रतिशत महिला आरक्षियों का मानना है कि वे अपनी वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं एवं 19 प्रतिशत ने कहा कि वे सन्तुष्ट नहीं हैं। 60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती है कि वे वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं एवं 40 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक, उपाधीक्षक एवं भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियों ने कहा कि वे वर्तमान सेवा से सन्तुष्ट हैं। इन्होंने नहीं में उत्तर नहीं दिया है। सर्वाधिक 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने नहीं में उत्तर नहीं दिया है। सर्वाधिक 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने नहीं में उत्तर दिया है। 19 प्रतिशत महिला आरक्षियों ने वर्तमान सेवा से असंतुष्टि दर्शायी है तथा उसके निम्न कारण बताये हैं। एक—चौथाई से अधिक (27 प्रतिशत) महिला आरक्षियों का मानना है कि उन्हें अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलता है। 27 प्रतिशत का मानना है कि छोटे कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है। 27 प्रतिशत का कहना है कि समय के अभाव के कारण परिवार पर उचित ढग से घ्यान नहीं दे पाती है। 18 प्रतिशत का कहना है कि पदोन्नति के उचित अवसर नहीं प्राप्त होते हैं। 40 प्रतिशत उपनिरीक्षकों ने वर्तमान सेवा के प्रति असंतोष व्यक्त किया है वे उसके निम्न कारण बताये हैं: 37.5 प्रतिशत महिला पुलिस का कहना है कि महिला पुलिस के प्रति विभाग का रवैया सही नहीं है यानि उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, और कार्यक्षमता का आकलन महिला होने के कारण कम हो जाता है। पुलिस में आना पुलिस के ही अधिकारी मजबूरी में आना समझते हैं। इस विभाग में महिला की योग्यता का उपयोग पूरी तरह से नहीं हो रहा है। 25 प्रतिशत महिला पुलिस का कहना है कि पदोन्नति समय (21 साल या इससे भी अधिक समय में) से नहीं मिलती है। 25 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना है कि वे जो करना चाहती है वह नहीं कर पाती है क्योंकि राजनैतिक हस्तक्षेप और कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारीगणों (पुरुष) के न्यायपूर्ण कार्यवाही करने पर अनुचित दबाव और अकारण हस्तक्षेप के कारण। जबकि 12.5 प्रतिशत महिला का मानना है कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि ड्यूटी के दौरान क्या उन्हें कभी किसी तरह के अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो निम्न प्रकार से उत्तर प्राप्त हुए हैं: 57 प्रतिशत महिला आरक्षियों का माना है कि ड्यूटी के दौरान कभी किसी भी तरह का अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। 3.44 प्रतिशत ने कहा कभी—कभी ऐसा होता है, लगभग 40 महिला प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। 65 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया है। शत—प्रतिशत महिला निरीक्षकों ने नहीं में एवं 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षकों ने हाँ में उत्तर दिया है। 100 प्रतिशत महिला भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी ने नहीं में उत्तर दिया है।

यदि हम कुल प्रतिशत देखें तो 57 प्रतिशत महिला पुलिस ने हाँ में उत्तर दिया है, 41 प्रतिशत ने नहीं में एवं 2 प्रतिशत ने कभी—कभी माना है। आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि ड्यूटी के दौरान अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

अब हम पुरुष पुलिसकर्मियों से जानना चाहते हैं कि क्या यदि उनकी उच्च अधिकारी कोई महिला है तो क्या उसको पुरुष अधिकारी की भाँति ही सम्मान दे पाते हैं या नहीं, इससे कार्यक्षेत्र पर महिला की स्थिति का पता चलेगा। इस प्रश्न का उत्तर पुरुष पुलिसकर्मियों ने इस प्रकार से

दिया है: सभी पदों के पुरुष पुलिसकर्मी अपनी महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान ही सम्मान देते हैं। कुछ पुरुष उपनिरीक्षकों का कहना है कि अपेक्षाकृत ज्यादा सम्मान देते हैं। साथ ही कुछ पुलिस आरक्षियों का भी कहना है कि उन्हें पुरुष पुलिस अधिकारियों से अधिक सम्मान देना पड़ता है क्योंकि किसी भी मामले में काफी भावुक हो जाती हैं।

महिला पुरुष पुलिस कर्मियों के आपस के तालमेल में एक यह प्रश्न भी पुरुष पुलिस कर्मियों से पूछा गया कि क्या महिला पुलिस की उपस्थिति में पुरुष पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर कोई नियंत्रण लगता है तो इस प्रश्न के उत्तर पदानुसार इस प्रकार से हैं। पुरुष आरक्षी में से 55 प्रतिशत मानते हैं महिला पुलिस की उपस्थिति से उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। जबकि 45 प्रतिशत ने कहा कि उनके व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। 35 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों का मानना है कि उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 65 प्रतिशत का मानना है कि उनके व्यवहार में नियंत्रण नहीं लगता है। 100 प्रतिशत पुरुष निरीक्षकों का मानना है कि उनसे व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 40 प्रतिशत उपधीक्षकों का मानना है कि उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 60 प्रतिशत का मानना है कि नियंत्रण नहीं लगता है। 50 प्रतिशत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हाँ में एवं 50 प्रतिशत नहीं में उत्तर देते हैं। कुल 44 प्रतिशत का मानना है कि महिला पुलिस की उपस्थिति में उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है, एवं 56 प्रतिशत का कहना है कि नियंत्रण नहीं लगता है, पहले की भाँति ही रहता है।

महिला पुलिस से पूछा गया कि क्या आपकी भाषा में परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ़ जाता है तो इस पदानुसार इस प्रकार से जवाब मिले हैं। महिला आरक्षियों में से 22 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया है एवं 76 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है। जबकि 2 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। महिला उपनिरीक्षकों में से 5 प्रतिशत ने हाँ में एवं 90 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया। जबकि 5 प्रतिशत ने उत्तर ही नहीं दिया। इस विषय में शत-प्रतिशत महिला निरीक्षक, महिला उपाधीक्षक एवं उपाधीक्षक एवं पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों ने नहीं में उत्तर दिया है।

कुल 17 प्रतिशत महिला पुलिस ने स्वीकार किया कि उनकी भाषा में परिवर्तन या अपशब्दों का प्रयोग करना बढ़ जाता है है। 81 प्रतिशत महिला पुलिस ने नहीं में उत्तर दिया है। एवं 2 प्रतिशत ने प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया है।

पुरुष पुलिस कर्मियों से पूछा गया कि साधारण महिला के एवं महिला के पुलिस स्वभाव में क्या कोई अन्तर दिखाई देता है तो 81 प्रतिशत ने हाँ में उत्तर दिया था। इसी तरह साधारण जन के पुरुषों से पूछा गया तो 72 प्रतिशत हाँ एवं 28 प्रतिशत ने नहीं कहा। 72 प्रतिशत ने हाँ कहा है उसमें 30 प्रतिशत ने कहा कि उनके व्यवहार में अन्तर आ जाता है जैसे— उठना, बैठना, बातचीत का अन्दाज सब कुछ न कुछ प्रभावित हो जाता है। साधारण जन की महिलाओं से पूछा गया कि अन्य विभाग की महिलाओं की अपेक्षा विभाग की महिला में क्या कोई खास अन्तर पाते हैं तो 60 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षकों का मानना है कि उनका व्यवहार अपराधी के प्रति पुरुष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है। 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक कहती हैं कि उनसे अलग नहीं होता है। शत-प्रतिशत महिला निरीक्षकों का कहना है, कि 'हाँ उनका व्यवहार अपराधी के प्रति अलग रहता है पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक का मानना है कि उनका व्यवहार पुरुष पुलिस से अलग नहीं रहता है। 67 भारतीय सेवा की महिला अधिकारियों का

मानना है कि उनका व्यवहार पुरुषों की अपेक्षा अलग रहता है एवं 33 प्रतिशत ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते कि पुरुषों के समान ही रहता है या अलग। कुल 53 प्रतिशत महिला पुलिस का मानना है कि अपराधी के प्रति उनका व्यवहार पुरुष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है एवं 43 प्रतिशत का मानना है कि अलग नहीं रहता है एवं 4 प्रतिशत कहती हैं कि वो बता नहीं सकती कि उनके समान रहता है या अलग। जबकि 53 प्रतिशत महिलाओं ने माना है कि अपराधी के प्रति उनका व्यवहार पुरुष पुलिस की अपेक्षा अलग रहता है तो वो अलग केवल इस आधार पर मानती हैं कि पूछ—ताछ करने के तरीके में अन्तर होता है और वे बिना ज्यादा हिंसा का सहारा लिए कार्य करती हैं, परन्तु सजा दिलाने कि कोशिश में वह पुरुष की तरह ही कार्य करती हैं केवल डील करने के तरीके में अन्तर है।

निष्कर्ष: उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुल 69 प्रतिशत महिला पुलिस, महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित क्षेत्र में ही अनुभव करती हैं। इनमें से 17 प्रतिशत सभी प्रकार से देश व समाज के लिए महिला पुलिसकर्मियों को उपयोगी मानती हैं। 56 प्रतिशत पुरुष पुलिस ने महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में स्वीकार की हैं। 16 प्रतिशत सभी प्रकार से देश व समाज के लिए उपयोगी मानते हैं। 71 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता के अनुसार भी महिला पुलिसकर्मी की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित मामलों के स्वीकार करते हैं। 9 प्रतिशत सभी प्रकार से उपयोगी मानते हैं। स्वयं महिला पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मी एवं सामान्य सूचनादाता महिला पुलिस की उपयोगिता महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में स्वीकार करते हैं साथ ही समाज में सभी प्रकार से उपयोगी भी मानते हैं।

महिला पुलिसकर्मियों ने किसी खास काम को सौंपने के सम्बन्ध में 33 प्रतिशत ने हाँ, 66 प्रतिशत ने नहीं में उत्तर दिया है इसमें भी महिला आरक्षियों का हाँ में उत्तर सबसे कम है, फिर उपनिरीक्षक, भारतीय पुलिस सेवा, निरीक्षक और उपाधीक्षक का है यानि राजपत्रित महिला पुलिस को विशेष कार्य कम मात्रा में सौंपे जाते हैं। महिला आरक्षियों जिन्होने हाँ में उत्तर दिया है, उसमें उनके पदानुसार कार्य सौंपे गये हैं लेकिन अधिकतर धार्मिक स्थानों और महिलाओं से सम्बन्धित ड्यूटी दी हैं। महिला उपनिरीक्षक के भी 60 प्रतिशत महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों या समस्याओं का समाधान ही करवाया है। महिला निरीक्षक ने भी वी0आई0पी0 सुरक्षा एवं दस्यु उन्मूलन के कार्य बताये, महिला उपधीक्षक का कुम्भ मेला, चुनाव ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य रहा है। भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारियों ने मानवाधिकार से सम्बन्धित मामले और चुनाव की ड्यूटी कहा है। काम सौंपे जाने का मतलब है कि वह कार्य को ढंग से कर रही हैं और समाज में उसकी उपयोगिता भी है। 77 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी मानते हैं कि महिला पुलिसकर्मियों को उनकी क्षमता के अनुसार ही ड्यूटी दी जाती है। 69 प्रतिशत महिला पुलिस मानती भी हैं कि उनके कार्यों की प्रशंसा भी कभी की गयी है। जबकि 24 प्रतिशत इनकार करती हैं। 33 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती है कि उन्हें पद के अनुभव में सभी प्रकार के कार्य मिले हैं, 40 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी यही मानती हैं। 100 प्रतिशत महिला निरीक्षक ने भी स्वीकार किया कि पदानुसार सभी प्रकार के कार्य किये हैं। 100 प्रतिशत महिला उपाधीक्षक ने भी यही कहा है कि सभी प्रकार के कार्य मिले हैं। 67 प्रतिशत भारतीय सेवा की महिला अधिकारी भी मानती हैं। 15 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक मानती हैं कि कुछ खास नहीं केवल औपचारिकता निभाई जाती है। 41 प्रतिशत महिला पुलिस ने अपने पुरुष वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में कहा है कि उनके

सम्बन्ध अच्छे हैं। 55 प्रतिशत ने कहा है कि सामान्य या ठीक है। 4 प्रतिशत ने कहा ठीक नहीं है। कुल 60 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मियों ने कहा कि उनके उच्च महिला अधिकारियों से सम्बन्ध अच्छे हैं, 40 प्रतिशत ने कहा सामान्य है। 26 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी मानते हैं कि उनके साथ काम करने वाली समान स्तर की महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार अच्छा है, 74 प्रतिशत ने कहा सामान्य है। 37 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी मानते हैं, कि अपने से नीचे पदों पर तैनात महिला पुलिस का व्यवहार उनके प्रति अच्छा रहा है। 44 प्रतिशत मानते हैं सामान्य एवं 5 प्रतिशत ने कहा है कि खराब रहा है।

महिला पुलिसकर्मियों का अपने से उच्च पुरुष पुलिसकर्मियों से एवं उच्च पुरुष पुलिस कर्मियों का अपने अधीनस्थ महिला पुलिसकर्मियों से व्यवहार में कुछ यानि जैसा कि महिलाओं ने 4 प्रतिशत एवं पुरुषों ने 5 प्रतिशत ठीक नहीं हैं, स्वीकार किया है। पुरुष पुलिसकर्मियों एवं महिला पुलिसकर्मियों का एक समान पद पर रहने पर आपस में सम्बन्ध अच्छे हैं। इसके अलावा यदि उच्च अधिकारी महिला है तो उसके अधीनस्थों से उसके सम्बन्ध अच्छे हैं। 62 प्रतिशत सामान्य सूचनादाता मानते हैं कि महिला पुलिस कर्मियों का व्यवहार पुरुष पुलिस कर्मियों की अपेक्षा अच्छा रहता है। 36 प्रतिशत मानते हैं पुरुष पुलिस कर्मियों की तरह ही रहता है। 1.2 प्रतिशत मानते हैं खराब रहता है। 53 महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि उनके प्रति पुरुषों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। 47 प्रतिशत मानती है कोई परिवर्तन नहीं आया है। 72 प्रतिशत साधारण जन के पुरुष उत्तरदाता ये मानते हैं कि पुलिस विभाग की महिला में एवं, अन्य विभाग की महिला की अपेक्षा अन्तर होता है। 28 प्रतिशत मानते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है।

कुल 81 प्रतिशत पुरुष पुलिसकर्मी भी मानते हैं कि इस विभाग की महिला एवं साधारण महिला में अन्तर होता है, जबकि 19 प्रतिशत मानते हैं कि कोई अन्तर नहीं होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिकतर लोग ये मानते हैं, कि इस विभाग की महिला अन्य विभाग की महिलाओं से अलग होती है या अन्तर होता है।

कुल 77 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी अपनी वर्तमान सेवा से संतुष्ट हैं, 23 प्रतिशत असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट के लिए पदानुसार अलग—अलग कारण दिये हैं। 18 प्रतिशत महिला आरक्षी मानती हैं कि पदोन्नति न मिलने के कारण, 27 प्रतिशत मानती हैं कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। 27 प्रतिशत मानती हैं छोटे कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है। 27 प्रतिशत मानती हैं, समयाभाव के कारण परिवार को समय दे पाना। 25 प्रतिशत महिला उपनिरीक्षक भी मानती हैं, कि पदोन्नति समय से नहीं मिलती है। 13 प्रतिशत कहती हैं कि अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। 37 प्रतिशत कहती हैं महिला पुलिस के प्रति विभाग का रैया सही नहीं है। 25 प्रतिशत कहती हैं जो कार्य करना चाहती हैं, नहीं कर पाती हूँ। जबकि निरीक्षक, उपाधीक्षक और भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी अपनी सेवा से संतुष्ट हैं। 57 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि ड्यूटी के दौरान उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। 2 प्रतिशत ने कहा है कि कभी—कभी ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है, 41 प्रतिशत मानती हैं कि कोई अपमानजनक व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ता है।

शत—प्रतिशत पुरुष मानते हैं कि यदि उनकी उच्च अधिकारी महिला हो तो वे उनको वैसा ही सम्मान देते हैं, जैसे कि एक पुरुष अधिकारी को लेकिन 44 प्रतिशत पुरुष पुलिस मानते हैं कि महिला पुलिस की उपस्थिति से उनके व्यवहार में नियंत्रण लगता है। 17 प्रतिशत महिला

पुलिसकर्मी मानती हैं कि उनकी भाषा में परिवर्तन या अपशब्द का प्रयोग करना बढ़ जाता है। 81 प्रतिशत ने इंकार किया है। 2 प्रतिशत ने उत्तर नहीं दिया है। 81 प्रतिशत सामान्यजनक महिला सूचनादाताओं ने भी माना है, कि अन्य विभाग की महिलाओं की अपेक्षा, महिला पुलिस में अन्तर पाती हैं। अन्तर के कारणों में, 25 प्रतिशत के मत में, बातचीत का ढंग बदल जाता है या अपशब्दों का प्रयोग करती हैं, को स्वीकार किया है। 53 प्रतिशत महिला पुलिसकर्मी मानती हैं कि उनका व्यवहार अपराधों के प्रति पुरुष कर्मियों की अपेक्षा अलग रहता है, लेकिन केवल इस आधार पर कि पूछ-ताछ करने के तरीके में अन्तर होता है, हिंसा का सहारा ज्यादा नहीं लेती है और सजा दिलाने की कोशिश में वह पुरुष की तरह ही कार्य करती है।

हाल के कुछ वर्षों में भारत ने बहुत बेहतर तरीके से महिला पुलिस फोर्स में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। जनवरी 2007 में भारत ने पहली पूर्ण 'यूनाइटेड नेशन्स शांति रक्षा फोर्स' बनायी जिसे लाइबेरिया में मोनरोविया के रोबर्ट इंटर नेशनल एयरपोर्ट पर उतारा। ये यूनाइटेड नेशन्स की भी पहली महिला समूह है। यूएन के संवाददाता बेन मालोर (Ben Malor) ने बताया कि 15000 मजबूत शांति रक्षा बल परिचमी अफ्रीका के देशों में रहते हैं। ये बल राजधानी में रखा जायेगा। यद्यपि महिलाओं को यूनाइटेड नेशन्स की शांति रक्षा बल में रखा गया है पर केवल महिलाओं का यह पहला समूह है। समूह की सदस्य मानती हैं कि उनकी महिलाओं और बच्चों तक ज्यादा अच्छी पहुँच हो सकती है। लाइबेरिया में जहाँ राहत समूह दोषी पाये गये वहाँ ये ज्यादा सुरक्षित सिद्ध होगी, इनका स्वागत किया गया। यूनाइटेड नेशन्स ने मजबूत नीतियों को संस्थागत करके प्रशासनिक शोषण से बचाने का प्रयास यहाँ किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- Gejje M, 2002, netwirks.com, 1st Feb. 2002, he020
- Sebastien Djere, 2002, netwirks.com, 1st Feb. 2002, he021
- SeeRef[he195]he0329
- SeeRef[he190], nakk SeeRef[he191]SeeRef[he192], he011-13
- SeeRef[he193]SeeRef[he194], SeeRef[he195]SeeRef[he196]
- Madeleine Meijer, 2002, netwirks.com, 1st Feb. 2002, he015
- Madeleine Meijer, 2002, netwirks.com, 1st Feb. 2002, he016
- SeeRef[he197]SeeRef[he198]SeeRef[he199]SeeRef[he200]
- The Hindu (Thrsolay 1st Feb. 2007.

21 Feb 2002 —BBC News (thursday)

आई.एस.एस.एन. संख्या : 2454–2458

नवरचना NAVRACHNA

www.grefiplus.org/navrachna

वर्ष 1, अंक 2, दिसम्बर 2015, पृ. 61–63

पुस्तक समीक्षा

लैचनर, फ्रेंक जे० एण्ड जॉन बॉली (सम्पादित) 2004: दी ग्लोबलाईजेशन रीडर, ब्लैकवैल पब्लिशिंग लिमिटेड पृ. XVI, 454।

वैश्वीकरण आज के युग की एक महत्वपूर्ण प्रघटना हैं। समाजविज्ञान के क्षेत्र में इसको समझने के लिए कई सैद्धान्तिक तथा अवधारणात्मक व्याख्या सामने आयी है। पिछले दो दशकों में इस विषय पर अनेकों पुस्तक, शोध पत्र लिखे जा चुके हैं। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधकर्ताओं के लिए इस सारे साहित्य का अध्ययन करना असम्भव है। इस कार्य को सरल करने का प्रयास यह पुस्तक है जिसमें वैश्वीकरण से सम्बन्धित मूल लेखों तथा पुस्तकों के अंश सम्पादित रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। इस पुस्तक में वैश्वीकरण की प्रघटना का विवेचन एवं व्याख्या करने के साथ—साथ इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को भी समझने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्न प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है: वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित है? क्या वैश्वीकरण एक नवीन प्रघटना है? क्या वैश्वीकरण को बाजार के विस्तार द्वारा संचालित प्रक्रिया है? क्या वैश्वीकरण विश्व को अधिक समरूप (Homogenous) बना रहा है? क्या वैश्वीकरण स्थानीय घटनाओं को निर्धारित करता है? क्या वैश्वीकरण हानिकारक है? तथा वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इस पुस्तक में इन सभी प्रश्नों का सफलता पूर्वक उत्तर वैश्वीकरण को संचालित करने वाली प्रतिक्रियाओं के सिद्धान्तों को अनुभवाश्रित अध्ययनों के साथ अच्छी प्रकार से जोड़कर किया गया है।

इस पुस्तक को 10 भागों में विभक्त किया गया है: प्रत्येक भाग का संक्षिप्त परिचय इसके सम्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत वैश्वीकरण पर चर्चित विद्वानों के 60 चुने गये शोध पत्र अथवा अंशों का संकलन किया गया है तथा प्रत्येक भाग के अन्त में प्रमुख विकसित अवधारणाओं के विषय में कई प्रश्न भी उठाये गये हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से पुस्तक को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है: पहले भाग में वैश्वीकरण से सम्बन्धित बहसों, व्याख्याओं तथा अनुभवों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है (भाग I-III); दूसरे भाग में वैश्वीकरण के प्रमुख पक्षों (dimensions) पर ध्यान केन्द्रित किया गया है (भाग IV-VIII); तथा तीसरे भाग में वैश्वीकरण से उत्पन्न परिवर्तनों तथा इसके विरुद्ध प्रतिरोधों से सम्बन्धित है (भाग IX-X)।

प्रथम भाग – ‘डिबेटिंग ग्लोबलाईजेशन’: इसका उद्देश्य वैश्वीकरण की गुणवत्ता तथा दिशा के बारे में विश्वव्यापी बहस के प्रमुख पक्षों को हमारे समक्ष रखना है जिसके अन्तर्गत वैश्वीकरण द्वारा प्रस्तुत लाभों तथा अन्यायपूर्ण परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया गया हैं। इस भाग में प्रस्तुत लेख वैश्वीकरण के विषय में एक सामान्य सहमति प्रस्तुत करते हैं। इसका परिचय वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर विपरीत विचारों की अभिव्यक्ति जे० मिकलैथवेट तथा ए० वूलदरिज के ‘छुपे वादे’ तथा एस० हनटिंगटन के ‘सम्भताओं के संघर्ष में तुलनात्मक रूप से देखी जा सकती हैं। इस भाग में

विशेषरूप से बी० बारबर द्वारा मैक डोनाल्ड के विस्तार पर व्यक्त भय तथा जे० ग्रये द्वारा असंवहनीय वैश्विक मुक्त बाजार व्यवस्था के विस्तार की आलोचना अधिक रुचिकर हैं। ए० सैन अधिक सुदृढ़ तथा मैत्रीपूर्ण रूप से लाभकारी प्रघटना समझने की भूल की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है।

द्वितीय भाग में वैश्वीकरण के विषय में उपलब्ध विभिन्न विवरणों को एक काल्पनिक प्रश्न—किस प्रकार एक नवीन खोजा हुआ समाज विश्व समाज में समाहित होगा?, पर केन्द्रित है। लेखकों का मत है कि इस प्रश्न के उत्तर में अभी तक चार व्याख्याएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं कि यह सामंजस्य किस प्रकार से होगा: (1) आर्थिक शोषण द्वारा (2) राजनीतिक सहमति तथा गठजोड़ द्वारा (3) संस्थाओं में सुधार द्वारा तथा (4) स्व-बाध्य सांस्कृतिक पहचान द्वारा (पृष्ठ 55–56)। इनमें से प्रत्येक व्याख्या को एक सुपरिभाषित ज्ञान के संग्रह से जोड़ा गया है, जैसे विश्व व्यवस्था सिद्धान्त, नव—वास्तविकतावाद/नव—उदारवादी संस्थावाद; विश्व राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त तथा विश्व सांस्कृतिक सिद्धान्त। इस भाग में प्रस्तुत लेख वालेरस्टीन के अधिक संरचनात्मक तथा बृहद विश्लेषण से लेकर अर्जुन अप्पादुरई अथवा यू० हानरेजर के अधिक सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण तक की सीमा तय करते हैं।

जहाँ भाग 1 व 2 वैश्वीकरण के सामूहिक तथा संस्थागत पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, भाग 3—‘एक्सपीरियन्सिंग ग्लोबलाइजेशन’ इसको व्यक्ति द्वारा जिये जाने वाले पक्ष की दृष्टि से प्रस्तुत करता है। इस भाग में इस बात पर जोर दिया गया है कि वैश्वीकरण एक तरफा प्रक्रिया नहीं है तथा व्यक्ति इसमें विभिन्न प्रकार से सहभागिता करते हैं तथा अपनी प्रतिक्रिया देते हैं (पृष्ठ 120) वैश्वीकरण के अनुभव को विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है: जैसे—भोजन, अभिरुचियों तथा संगीत में परिवर्तन (जे० एल० वाटसन); एक विश्व संस्था के रूप में औद्योगिक शिक्षा (ब्रूस फूलर); समुदायों से परे यात्राओं का अनुभव (एम० एलब्रो); अथवा ‘विश्व नागरिक’ बनने हेतु किये जाने वाले ‘पहचान संघर्ष’ (identity struggle) का विश्लेषण (टी० डी० टायलर)।

पुस्तक के चौथे व पांचवे भाग में वैश्वीकरण को इसकी जटिल प्रकृति तथा बहु—आयामी प्रघटना के रूप में देखा गया है। भाग चार ‘वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम’ में उत्पादन के नेटवर्क तथा अभ्यासों, वस्तुओं के वितरण व उपभोग तथा वैश्वीकरण शब्द के आर्थिक अर्थ में उपयोग केन्द्रीय अवधारणाओं का पुनरीक्षण किया गया है। इसके अन्तर्गत एम० कोरजेनिविक, मैरी रॉबिन्सन, आक्सफैम, डी० हेन्डरसन तथा जे० ई० स्टिगलिज के वैश्वीकरण से असन्तुष्टि से भरे उकसाने वाले लेखों के अंश सम्मिलित किये गये हैं।

वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम पर परिचर्चा को भाग : पांच व छः में विभक्त किया गया है। भाग 5 में कोफी अन्नान के राष्ट्र राज्य के अन्त से सम्बन्धित कार्य का परीक्षण के साथ यह एस० स्ट्रेन्ज द्वारा सत्ता का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है; डी० रोडरिम तथा जी० गारैट द्वारा वैश्विक संगठित अपराध, तनावों, तथा विभाजनकारी राजनीति तथा वैश्वीकरण के युग में राज्य की भूमिका (कोफी अन्नान) पर प्रकाश डालता है। छठे भाग ‘रीऑरगेनाइजिंग दी वर्ल्ड’ में अन्तर्राष्ट्रीय गैर—सरकारी संगठनों (INGOs), वैश्विक सामाजिक आन्दोलनों, विश्व राजनीति तथा विश्व प्रशासन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रभाव से सम्बन्धित है। इस भाग में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों

के मध्य क्रिया तथा सम्बन्धों के सिद्धान्तों पर उत्प्रेरक सामान्य समीक्षा प्रस्तुत की गयी है तथा कुछ रोचक मानव जाति सम्बन्धी विवरण भी दिये गये हैं।

भाग सात तथा आठ वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम, मीडिया की भूमिका तथा वैश्वीकरण को स्वरूप प्रदान करने में धर्म की भूमिका पर केन्द्रित हैं। इन भागों में सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की अवधारणाओं का प्रबुद्ध विश्लेषण जे० टॉमलिंसन, एच० टाइरेल, एस० मैकब्रिज, सी० रोएच, जे० सिनक्लेयर, ई० जेका तथा एस० कनिंघम द्वारा किया गया है। इस्लामिक कट्टरवाद, कैथोलिकवाद, अथवा पेन्टेकोस्टेलिज्म (प्रोटेस्टेंट ईसाई मत को पुनर्जीवित करने का आन्दोलन) का वैश्विक परिवर्तनों तथा उभर रही शक्तियों के साथ उनके सम्बन्धों का अध्ययन एम० के० पाशा, बी० टीबी, ए० ई० मेयर, एफ० जे० लेचनर, एस० हाएरी तथा एस० रशदी द्वारा किया गया है।

पुस्तक के अंतिम दो भागों 'वैंजिंग वर्ड सोसाइटी' तथा 'रेसिस्टेंग ग्लोबलाइजेशन' परिवर्तित अभ्यासों तथा कल्पनाओं से सम्बन्धित है जो विश्व में यह सोचने तथा क्रिया करने में योगदान देती है जैसे कि हम एक विश्व में रह रहे हैं। नवे भाग में पर्यावरणवाद को इस विषय के एक अच्छे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार पर्यावरण के सम्बंध में एक वैश्विक जागरूकता उत्पन्न हो रही है जबकि दसवें भाग में युनाइटेड नेशन्स के अंतराष्ट्रीय एजेण्डा तथा पी० वापनर, एम० ई० कैक, के० सिककिंक, ए० अबशाश, डब्ल्यू० साच्स के साथ-साथ वे सभी लेख भी सम्मिलित किए गए हैं जो हमको, एक बेहतर विश्व निर्माण करने के लिए हमेशा आमंत्रित करते हैं जिसको 'अदर ग्लोबलाइजेशन' भी कहा जाता है। (सब कमांडेन्ट मारकोस, जी० स्टेवा, एम० एस० प्रकाश, जे० हार्डिंग तथा वन्दना शिवा) यह पुस्तक वैश्वीकरण के अवधारणात्मक व सैद्धान्तिक पक्षों के साथ-साथ इसके विभिन्न आयामों को समझने के लिए एक बहुत उपयोगी है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वैश्वीकरण पर सभी प्रमुख विद्वानों की रचनाओं को लेख अथवा अंश भाग के रूप में संकलित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। इसके साथ ही वैश्वीकरण के विरुद्ध वैकल्पिक विचारों व सिद्धान्तों के साथ-साथ पर्यावरण सम्बंधी आंदोलनों को भी उचित स्थान प्रदान किया गया है। ब्लैक वेल द्वारा प्रकाशित यह रीडर एक उपयोगी संदर्भ ग्रन्थ है जो स्नातकोत्तर व शोध छात्र व छात्राओं के लिए यह एक आवश्यक पठनीय पुस्तक है।

प्रीति तिवारी
शोध छात्रा
वैश्वीकरण व विकास अध्ययन केन्द्र
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

APPLICATION FORM FOR SUBSCRIPTION

The Editor
NAVRACHNA

Sir,

I would like to subscribe 'NAVRACHNA' Hindi Journal for the year 20...., vol., no. and therefore remit Rs. 300/500/700 by cash/draft/online transfer* as subscription fee for one year/two years/three years as individual subscriber/institutional subscriber respectively.

Yours faithfully,

Signature

(The institutional subscription rate is Rs.500 for one year)

Full Name in Block Letters

(Underline the Surname in case of individual subscriber)

Mailing Address.....

.....
Telephone No.Landline.....Mobile.....

E-mail address.....

Payment details: NEFT/RTGS/IMPS Online transfer no.
dated.....Amount.....Bank.....

Transaction reference no.

Address for Correspondence: *Prof. V. P. Singh
Editor, NAVRACHNA
B-505, Srishti Imperial Heights, 18/19 Stanley Road
Prayagraj 211002 (UP)
E-mail: grefplus2018@gmail.com;
Mobile No.: 09235608187 (whatsapp no.)*

* *Online Transfer can be made in favour of "Global Research and Edu-Foundation India" in Account No. 50200043289227; HDFC Bank, Pallavpuram, Meerut, IFS code: HDFC0001462; Transfer receipt along with filled in Application form must be sent to the Editor either by e-mail/whatsapp only.*

Our website: www.grefglobal.org

Back issues are also available for individuals/institutions on the following rate excluding bank transaction charges if any.

For Individuals: Vol.1, No.1 (2015) INR 150; Vol.1, No.2, (2015) INR 150; Vol.2, No.1&2, (2016) INR 300; Vol.3, No.1&2, (2017) INR 300; Vol.4, No.1&2, (2018) INR 300. Single article in pdf format is available at the rate of INR 50 per article.

Institutions: INR 500 per volume.

फार्म 'बी'

सम्पादक का नाम, राष्ट्रीयता व पता : प्रो. वीरेन्द्र पाल सिंह
भारतीय
18, बैंक रोड, इलाहाबाद, 211 002

प्रकाशक का नाम, राष्ट्रीयता व पता : प्रो. वीरेन्द्र पाल सिंह
भारतीय
18, बैंक रोड, इलाहाबाद, 211 002

अवधि : छःमाही

प्रकाशन का स्थान व पता : इलाहाबाद-18, बैंक रोड, इलाहाबाद, 211 002

स्वामी का नाम, राष्ट्रीयता व पता : प्रो. वीरेन्द्र पाल सिंह
भारतीय
18, बैंक रोड, इलाहाबाद, 211 002

लेजर टाइप सेटिंग : ई.टी.डी.आर. कम्प्यूटर्स
सी-28, पल्लवपुरम, फेस प्रथम, मेरठ-250110

मुद्रक का नाम व पता : साहिल प्रिंट मीडिया, 256, मोहन पुरी, मेरठ